Seventeenth Series, Vol. XXI No. 7

Thursday, December 15, 2022
Agrahayana 24, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Tenth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXI contains Nos.1 to 13)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Editor

Pankaj Kumar Singh

Assistant Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXI, Tenth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 7, Thursday, December 15, 2022/Agrahayana 24, 1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 121 to 125	9-46
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 126 to 140	41-96
Unstarred Question Nos. 1381 to 1610	97-673

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 674-694

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA 695-696

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE
31st Report 697

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
Statements 697-698

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
17th Report 698

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS
16th Report 699

MOTION RE: ELECTION OF ONE MEMBER OF RAJYA SABHA TO COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES (2022-23) 700

MATTERS UNDER RULE 377 741-761

(i) Need to set up a Museum for tourists in Satna district, Madhya Pradesh
Shri Ganesh Singh 741

(ii) Need to run Arunachal Superfast Express (Train No. 22411/12) via Kushinagar in Uttar Pradesh
Shri Vijay Kumar Dubey 742

(iii) Regarding implementation of the recommendations of Kamlesh Chandra Committee pertaining to Gramin Dak Sevaks
Dr. Shrikant Eknath Shinde 743

(iv)	Regarding CBI investigation in the high profile honey trap and money laundering case in Odisha		
		Shri Suresh Pujari	744-745
(v)	Need to convert Patiala to Pehowa, Rehowa to Kurukshetra and Kurukshetra to Ladwa roads to four/six lanes		
		Shri Rattan Lal Kataria	746
(vi)	Regarding inclusion of Mangala Devi Kannagi temple under the PRASAD Scheme		
		Shri P. Ravindhranath	747
(vii)	Regarding increasing incidents of leopard attacks in Uttarakhand		
		Shri Tirath Singh Rawat	748
(viii)	Regarding completion of the upper Lanth Irrigation project in Bolangir, Odisha		
		Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	749
(ix)	Need to rejuvenate historical and religious sites in Badayun and develop the place as a tourist destination		
		Dr. Sanghamitra Maurya	750
(x)	Regarding payment of dues of employees of Triveni Structural Limited, Prayagaraj, Uttar Pradesh		
		Prof. Rita Bahuguna Joshi	751
(xi)	Need to formulate a special programme for imparting higher and technical education to students in tribal areas of the country		
		Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava	752

(xii) Regarding alleged irregularities in implementation of Jal Jeevan Mission in Rajasthan

Shri Arjunlal Meena 753

(xiii) Need to prevent accidents at Ganesh Ghat on Agra-Mumbai highway

Shri Gajendra Umrao Singh Patel 754

(xiv) Regarding completion of construction work of NH No. 65 connecting Hyderabad and Vijayawada

Shri Komati Reddy Venkat Reddy 755

(xv) Need to take steps to control road accidents

Shri Bellana Chandra Sekhar 756

(xvi) Regarding repair of road adjacent to Dakshin Barasat Railway Station, West Bengal

Shrimati Pratima Mondal 757

(xvii) Need to construct a bridge on Punpun river between village Ankuri and Village Jakhora in Karakat Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Mahabali Singh 758

(xviii) Regarding arsenic poisoning in drinking water

Kunwar Danish Ali 759

(xix) Regarding holding of simultaneous elections

Shri Kotha Prabhakar Reddy 760

(xx) Regarding doubling of the Tenali-Guntur railway line and providing its halt near Suddapalli level crossing

Shri Jayadev Galla 761

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (SECOND AMENDMENT) BILL, 2022 762-795

Dr. Nishikant Dubey 762-769

Shri Ve. Vaithilingam 769-771

Dr. DNV Senthilkumar S. 771-774

Shri Vinayak Bhaurao Raut 774-777

Prof. Sougata Ray 777-779

Shri Sunil Dattatray Tatkare 779-781

Shri Syed Imtiaz Jaleel 782-784

Shri Malook Nagar 784-785

Shri Arjun Munda 786-794

Clauses 2 and 1 794

Motion to Pass 795

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (THIRD AMENDMENT) BILL, 2022 796-845

Motion to consider 796

Shri Arjun Munda 796

Shri Saptagiri Sankar Ulaka 797-803

Shri Suresh Kashyap 804-806

Shrimati Aparupa Poddar 806-810

Shri Arvind Sawant 811-814

Kumari Goddeti Madhavi	815-819
Kumari Chandrani Murmu	820-822
Shri Girish Chandra	823-825
Shri Virendra Singh	826-827
Shrimati Supriya Sadanand Sule	828-831
Dr. S.T. Hasan	832
Sadhvi Pragya Singh Thakur	833-834
Shri Hanuman Beniwal	835-837
Shrimati Navneet Ravi Rana	838-840
Shri P. Ravindhranath	841-842
Shri Indra Hang Subba	842-843
Shri Naba Kumar Sarania	844-845

***ANNEXURE – I**	798-805
Member-wise Index to Starred Questions	798
Member-wise Index to Unstarred Questions	799-805
***ANNEXURE – II**	806-807
Ministry-wise Index to Starred Questions	806
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	807

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, December 15, 2022/ Agrahayana 24, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चन नंबर -121

श्री रोड़मल नागर जी।

आज रोड़मल नागर जी का जन्मदिन है, बधाई हो।

अनेक माननीय सदस्य: बधाई हो, बधाई हो।

(Q. 121)

श्री रोड़मल नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में अनेक बेघर लोग फुटपाथ, फ्लाओवर, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर दिखाई देते हैं। बेघर लोगों की पहचान और उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए क्या सरकार की कोई योजना है? बेघर लोगों के प्रकार और प्रकृति को वर्गीकृत करने के लिए क्या सरकार ने कोई तंत्र विकसित किया है?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, land and colonisation are State subjects, and therefore, it is not just primarily but also essentially the responsibility of the State Government to provide facilities for homeless people.

सर, वर्ष 2011 का जो सेन्सस है, उसके अनुसार देश में टोटल अर्बन हाउसलेस पॉपुलेशन 9,38,348 थी। यह अर्बन पॉपुलेशन है। अगर आप इसमें ग्रामीण जनसंख्या को भी जोड़ लें, जो हाउसलेस हैं, तो यह संख्या ज्यादा होगी।

अब हम अपनी तरफ से स्टेटस को कहते हैं कि उसमें पीरिऑडिक दो-तीन साल बाद सर्वे करें कि कितनी हाउसलेस पॉपुलेशन है। जैसे ऑनरेबल मेम्बर बता रहे थे कि वे फुटपाथ्स या अन्य जगहों पर हैं। हाउसलेस या होमलेस की जो परिभाषा है, वह ऑलरेडी है।

वर्ष 2001 के सेन्सस में बताई गई थी। Houseless households are those who do not live in buildings or census houses, but live in the open on roadsides, on

pavements, in hume pipes, under flyovers and staircases, or in the open in places of worship, mandaps, railway platforms, etc.

सर, हमारी जो डीएवाई-एनयूएलएम योजना है, उसके तहत हम फैसिलिटीज़ देते हैं । एसयूएच के तहत जो गाइडलाइन्स हैं, उसके लिए हमने फाइनैंस किया है । अभी 1,788 शेल्टर्स फंक्शनल हैं । स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपनी तरफ से 2,457 शेल्टर्स सैंक्शन किए हैं । टोटल होमलेस शेल्टर की कैपेसिटी 1,25,000 है, परंतु ऑक्युपेंसी सिर्फ 50 प्रतिशत है ।

श्री रोड़मल नागर: अध्यक्ष महोदय, क्या बेघरों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम के तहत उनको लाभ पहुंचाने के लिए विभागों के बीच कोई समन्वय, या ऐसा कोई डेस्क/पोर्टल विकसित किया गया है, ताकि वे अपनी आजीविका के लिए समाज के साथ मुख्यधारा में जुड़ सकें?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Hon. Speaker, Sir, I think, there are two aspects of the question which the hon. Member is asking. One is with regard to facilities which have to be provided within shelters. Secondly, from the Central Government's side, we are providing assistance under the Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban, के जितने भी हमारे होमलेस नागरिक हैं, उनको हमारी स्कीम के कनवर्जन्स का लाभ मिले । The convergence of various entitlements of social security, food, education, and healthcare systems are provided in shelters. शेल्टर्स में क्या-क्या सुविधायें होनी चाहिए, उसकी भी हमने बड़ी डिटेल गाइडलाइंस बनाई हैं ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मेरा आग्रह है कि बेघर लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सभी राज्य सरकारों से आप एक बार बात करें । यह राज्य सरकार का विषय है, क्योंकि जमीन के मालिक राज्य होते हैं । राज्यों से बात करते हुए, किस तरीके से इस देश में एक कार्य योजना बने, ताकि बेघर लोगों को मकान मिल जाए, शायद सबका यही उद्देश्य है । राज्य सरकारों से आप एक बार मीटिंग करें । आप इसके लिए प्रयास करें और राज्य सरकारों को आग्रह करें ।

*__SHRI RAVNEET SINGH:__ Thank you, Hon. Speaker Sir. Whether there is a Scheme or not, we are talking about providing houses to people. The Hon. Minister Sir knows that four days ago, 100 houses of people who had come from Pakistan and got shelter in Jalandhar, their houses were demolished by State Government. They were just bulldozed. In the Winter season, these people have been made homeless.

The Hon. Minister Sir is Punjabi and he knows what has happened. He should himself intervene and provide alternative houses/shelter to these people who have been made homeless. Foreign institutions have said that they are ready to help. The Central Government must help these hapless people of Punjab. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : यह राज्य का विषय है।

श्री हरदीप सिंह पुरी: वह कहने से पहले मैं कहूंगा कि मैं हूं दिल्ली से, पर दिल से पंजाबी हूं। मैं दिल से ही नहीं, बाकी in all respects, I am a Punjabi. I am a very proud Punjabi.

I would like to assure the hon. Member that I am not going to take shelter under the argument कि यह स्टेट सब्जेक्ट है और पंजाब में जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनको इसकी रेस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। I join the hon. Member in this sentiment. I will join that sentiment, and I will appeal to everyone concerned that people -- who are placed in the disadvantageous situation -- should be provided relief. As the hon. Member has said, in the case of Punjab or in any case, there are people outside the country who are willing to come and help. Therefore, I will completely join him and endorse that sentiment so that, whether in any climatic condition, or in

---

* English translation of speech originally delivered in Punjabi.

any part of the year -- when it is cold or not so cold -- you have no right to demolish the houses of those people. I take an exception to the use of that term. Even the other day, in the other House, I said that there are norms which have to be followed, and at the heart of that, there should be a humanitarian streak that people -- who are without a shelter -- should be provided shelter, rather than demolishing whatever their temporary locations are – if that word is used and appropriate in that incident – and then, sending them hundreds of kilometres away.

So, I join the hon. Member in doing that. … (*Interruptions*) I join it everywhere. … (*Interruptions*) Well, I am talking about those humanitarian situations … (*Interruptions*) If somebody is … (*Interruptions*) I am not in a position to provide a guarantee on behalf of the State of Tamil Nadu. I am not in a position to do that. If some illegal activity is being carried out in a particular State … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बैठे-बैठे बोलने वाले लोगों का जवाब क्यों देते हैं?

श्री हरदीप सिंह पुरी: सर, यह बात भी सही है।

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI: Hon. Speaker, Sir, thank you for allowing me to participate in this question. There are many homeless people; this is our experience, in Railway Stations, footpaths, roadside, and under the flyovers. In spite of all the schemes that the Central Government has implemented, they do not have a house to live in, sufficient food to eat, dress to wear, and proper access to education or healthcare. They live like beasts. Even

they do not have any awareness that they are the citizens of the country. They have forgotten that they are human beings.

Sir, we cannot draw any demarcation line between the Centre and the States. The Central Government should urge upon the State Governments and should impress upon the State Governments to do their services. No doubt the Government under the able leadership of our hon. Prime Minister Narendra Modi Ji is doing many things but I think more aggressive steps are needed to give them food, education, and shelter as Swami Vivekananda puts it that no amount of politics would be of avail until the masses of India are once more well educated, well fed, and well cared for. Sir, they are living in a very dirty condition.

Will the Government fix a deadline by which all these problems will be settled and hundred per cent people will be rehabilitated? In this land of Jagannath, Ramnath, Badrinath, Kedarnath, Vishwanath, nobody should be *anath*.

Sir, I appeal to the Government, through you, to take steps within a specific reasonable timeframe.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Mr. Speaker, Sir, the first part of the hon. Member's comment on the existence of homeless people as per the definition is correct but what he is perhaps not aware of is that the guidelines provide very detailed instructions on what needs to be done and he does not seem to be aware of the fact that the hon. Supreme Court is monitoring this process and the States which are not complying have to actually respond.

I have State-wise break-up of States and Union Territories which have sanctioned and functional day care centres. Food is being provided; shelter is being provided; standard adequate bathing and toilet facilities, first aid kit, and all that are being provided.

In fact, the capacity of the shelters is 1.25 lakhs and the occupancy is only 50 per cent. So, it is very well for Members to express concern but they should be aware that the hon. Supreme Court has asked the State Governments to set up a Committee. This is the State's responsibility to form a Committee under a retired Secretary level officer who is monitoring each of these. So, I said I have all the statistics for each State and Union Territory. I would be very happy to share that with hon. Members, if they would like to drop in and have a cup of tea with me.

HON. SPEAKER: Question No. 122,

Shrimati Chinta Anuradha.

(Q.122)

SHRIMATI CHINTA ANURADHA : Thank you Sir.

Can the hon. Minister provide the details of the outcomes achieved through the implementation of RCS-UDAN in Andhra Pradesh? Does the Government propose to review the said implementation to identify scope for further expansion and iron out the persistent difficulties?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, the UDAN Yojana, as we are very well aware, was conceptualised in 2016. Under various rounds of UDAN, many operationalized routes have been put in place in Andhra Pradesh. As of today, 28 routes have been operationalized in Andhra Pradesh. Two airports and one waterdrome have been identified for development in Andhra Pradesh. Kadapa as well as Prakasham Water Barrage is being worked at the cost of roughly about Rs. 20 crore and we will continue to pursue our development of UDAN in every State across the country.

SHRIMATI CHINTA ANURADHA: Sir, is the Government aware that poor financial health of many smaller regional carriers has been hampering the effectiveness of the Scheme especially since the pandemic hit? What specific steps have been taken to aid these smaller carriers and allow them to sustain themselves and compete with big airlines?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, the hon. Member has raised a very pertinent question. As I mentioned in my answer earlier this week on RCS-UDAN, this is a very important Scheme. We have tremendous international to domestic connectivity in our country. We have tremendous connectivity from

tier-I cities to tier-I cities or tier-II cities. But what really needs to be strengthened is last mile connectivity in our country. That last mile connectivity in our country from tier-III to tier-III cities is being focussed at within UDAN. Within UDAN, we are generally looking under a new part of the scheme which we have introduced in the last year. There is a Sub-Scheme called the Small Aircraft Scheme where we look at only sub-20-seater aircraft to provide last mile connectivity both in terms of turboprop, jet as well as helicopters.

I am pleased to report to the House, through you Sir, that in the last round of UDAN 4.2, 132 routes have been awarded of which, in the major sector, 16 are helicopter routes and almost 50 are sea plane routes. So, our Government is concentrating on last mile connectivity to make sure that the democratisation of civil aviation does truly take place in the country.

माननीय अध्यक्ष : श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वैश्चयन के लिस्टेड नाम में पहले श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर जी हैं।

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर – उपस्थित नहीं।

श्री संतोख सिंह चौधरी जी।

… (व्यवधान)

श्री संतोख सिंह चौधरी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र आदमपुर एयरपोर्ट से कोविड के दौरान फ्लाइट्स की सेवाएं बंद हो गई थीं। वहां स्पाइस जेट की फ्लाइट्स चलती थीं। आदमपुर-दिल्ली, आदमपुर-जयपुर और आदमपुर-मुम्बई के लिए फ्लाइट्स सेवाएं थीं। उसको बंद हुए डेढ़ साल हो गये हैं। यह दोआबा का बहुत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। इसका नया टर्मिनल भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है।

मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि ये फ्लाइट्स कब से शुरू होंगी, क्योंकि लोगों को बहुत इनकॉन्विनिएंस हो रही है । दोआबा, जालंधर एक इंडस्ट्री सेंटर है । वहां बहुत सारे लोग एनआरआई हैं और डेली दिल्ली, मुम्बई आते हैं। कृपया आप बताइए कि इसको कब शुरू करेंगे?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, नागर विमानन क्षेत्र एक डी-रेगुलेटेड सेक्टर हो चुका है । इस डी-रेगुलेटेड वातावरण में भी हमारी कोशिश है कि देश के कोने-कोने तक नागर विमानन क्षेत्र से कनेक्टिविटी दे पाएं। इसलिए, 'उड़ान योजना' उसकी पूर्ति करने के लिए एक बहुत महत्वकांक्षी योजना है । पिछले छः वर्षों में हम लोगों ने 453 रूट्स संचालित किए हैं । 70 एयरपोर्ट्स, जो नागर विमानन के नक्शे से देश में मिटा दिए गए थे, उन्हें हम लोगों ने दोबारा स्थापित किया है। जहां तक सांसद महोदय ने आदमपुर की बात की है तो वहां हमारी प्राथमिकता है। वहां तीन रूट्स चलती थीं, जिनमें आदमपुर-दिल्ली और आदमपुर-जयपुर रूट्स शामिल हैं। इन दोनों रूट्स को भी हम लोगों ने 'उड़ान योजना' के अंतर्गत चलाया था, लेकिन वॉयबिलिटी गैप फंडिंग देने की तीन साल की अवधि होती है। वह अवधि समाप्त हो गई है। अगले राउंड ऑफ बिडिंग में हम लोग एयरलायंस से भी बात करेंगे और उनकी रुचि होगी तो इसको ले जाने की कोशिश करेंगे।

SHRI KIRTI VARDHAN SINGH: Sir, under the able leadership of our hon. Prime Minister, all sectors of our country are taking remarkable strides in the path of progress and aviation sector is no exception. It has been long bogged down by archaic rules and was neglected but in acknowledgement of the rapidly rising middle class, a slew of reforms are taking the sector to new heights in terms of connectivity, infrastructure modernisation, and fleet enhancement.

Also, with the new policy on the anvil regarding the aero sports activities, this will further infuse the sector with new energy and a spirit of adventure.

In keeping with this growing demand for air travel and the increasing aero sports activities in our country, I would like to know through you from the hon.

Minister whether the Government is considering further streamlining the process of granting permits for the operation of small commercial aircraft and other ultra-light machines such as ultra-light aircraft from privately owned airfields as in the case of helicopter operations today.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, the main question was on RCS-UDAN Scheme in Andhra Pradesh. But let me respond to the hon. Member. He has raised a very valid question pertaining to the new area of demand and growth of our country.

Aero sports have a tremendous future and potentiality in our country. In the West, aero sports are extremely popular. In the winter season, we can also bring all those aero sports to India because of the weather condition in our country. We have set up an aero sports organisation which will be further decentralised into different State units. We have also mandated that, in terms of permission and in terms of approvals, each of those State units along with the Central unit will certainly look at easing of process so that we can proliferate this across the length and breadth of our country.

श्री हसनैन मसूदी : जनाब, इस साल जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है, उसके मुताबिक श्रीनगर में लगभग 80 लाख टूरिस्ट्स ने विजिट किया है। ये जो सारा ट्रैफिक है, इसको श्रीनगर एयरपोर्ट ही हैंडल करता है। अब यह उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैनपावर नहीं है। वहां एक दिन में 110 फ्लाइट्स आती हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि इसको कंसीडर किया जाए कि जो अवंतीपोरा की एयरस्ट्रिप है, जो कि ऑपरेशनल है और उसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा, उसको ऑपरेशनल बनाया जाए या फिर उसको टर्मिनल श्री डेजिगनेट किया जाए, ताकि साउथ

कश्मीर, अमरनाथ यात्रा और जो पहलगाम के इलाके हैं, वे कवर हो जाएं और श्रीनगर एयरपोर्ट का बोझ कम हो जाए।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, कश्मीर में माहौल अच्छा हो गया है। वहां काफी फ्लाइट्स जाती हैं।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : महोदय, हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है और हमने जम्मू और कश्मीर में जो वातावरण निर्मित किया है, उसके आधार पर केवल आर्थिक प्रगति और विकास ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू-कश्मीर में पर्यटन एक नए ऐतिहासिक मोड़ पर आया है। आज जम्मू एंड कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी स्थापित हो चुका है।

आज जम्मू-कश्मीर में सालों-साल और दशकों के बाद एक अमन-चैन, आर्थिक विकास और प्रगति का माहौल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में स्थापित हो चुका है।

हमारे सांसद महोदय ने स्वयं इसका वर्णन अपने प्रश्न में किया है। मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। श्रीनगर में पर्यटकों का एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोजित हो चुका है। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और नागर विमानन मंत्रालय की प्रतिबद्धता है कि हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट का विकास और प्रगति निर्मित करने वाले हैं। एक हजार करोड़ रुपये की जो वर्तमान की टर्मिनल बिल्डिंग है, हम लोग उसका एक्सपैंशन कर रहे हैं, ताकि हम लोग आधुनिकता के साथ पूर्ण रूप से सारे पर्यटकों और जम्मू-कश्मीर के वासियों के लिए सुगम सुविधा दे पाएं।

महोदय, जहां तक अवंतीपोरा का प्रश्न है, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक सैटेलाइट एयरपोर्ट है। हम लोग जेएंडके की यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के साथ चर्चा कर रहे हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ा पाएं। केवल श्रीनगर के लिए ही नहीं, बल्कि जम्मू का भी एक्सपैंशन प्लान करीब 800 करोड़ रुपये का है। हम लोग दोनों शहरों में एक आधुनिक, विकसित और बड़े हवाई अड्डे को निर्माण करने जा रहे हैं।

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM: Sir, has the Ministry considered giving an approval for an airport in Chettinad Sivaganga in Tamil Nadu which has an unused airstrip?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, we have identified a number of unused airports across the country. All of these airstrips are part of UDAN Scheme. If the hon. Member can come and meet me, I will certainly discuss this issue with him. If that particular airstrip is not part of the current list of UDAN Scheme, the State Government has to put in a request to us. We will certainly include it and take it forward with the State Government.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 123,

श्री किशन कपूर ।

(Q. 123)

श्री किशन कपूर : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर जो उत्तर रखा गया है, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3छ (5) के प्रावधान का विवरण भी दिया गया है। उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 और 226 का भी हवाला दिया गया है।

इसके बावजूद भी सभी राज्यों में मामले बहुत अधिक हैं। इसके बारे में मैं दूसरे सप्लीमेंट्री प्रश्न में कहूंगा। जहां भूमि अधिग्रहण, वन भूमि सहित अन्य भू-राजस्व आदि मामलों के कारण यह संभव नहीं हो पाता है तो क्या मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग के उस विशेष हिस्से का पुन: सर्वेक्षण करने पर विचार करता है, जिससे राजमार्ग का कार्य अविलंब प्रारम्भ हो सके। डीपीआर में संशोधन के बाद जो भूमि पहले अधिग्रहित की जाती है, क्या वह वापस मालिकों को लौटा दी जाती है?

श्री नितिन जयराम गडकरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा, वास्तव में यह समस्या है। अभी हमारे देश में 'CALA' के निर्णय करने के बाद 1 लाख 74 हजार 327 केसेज़ पेंडिंग हैं और स्वाभाविक रूप से वे केसेज़ निर्णय के वक्त हाईकोर्ट में जाते हैं, फिर कुछ केसेज़ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर हम हाई कोर्ट के लेवल पर या 'CALA' के निर्णय को मानते हैं तो इंक्वायरी करने वाले लोग अधिकारियों को पूछते हैं कि आपने अपील क्यों नहीं की? उनके इंटेंशन को वे चैलेंज करते हैं। उस डर के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता है। इसके कारण लोगों को भी तकलीफ होती है और काम भी सफर होता है।

वैसे हमारे देश में Competent Authority for Land Acquisition (CALA) है। लैंड एक्विजिशन राज्य सरकार और भारत सरकार की कनकरंट लिस्ट में है। कानून बनाने का अधिकार हमारा है और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। हमारे यहां 1956 का एन.एच. एक्ट है। इन सब बातों को देखते हुए 'CALA' के निर्णय करने के बाद जो आर्बिट्रेशन में केसेज़ जाते हैं, उनकी संख्या कम हो और कम समय में ट्रांसपेरेंसी से, इंडिपेंडेंटली, इम्पार्शली और फेयरली निर्णय हो, उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमने बीच में विशेष रूप की योजना की थी। हमने 'भूमि राशि पोर्टल' खोला था। उसमें हमने काफी बड़े पैमाने पर 11 हजार 808 नोटिफिकेशन

निकाले थे। इससे हमें कुछ राहत मिली है, लेकिन फिर भी यह समस्या बहुत बड़ी है और इसलिए हम लॉ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर, सब लोगों से चर्चा करके तथा हम इसके ऊपर आर्बिट्रेशन में 'CALA' के निर्णय के बाद यह देखेंगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंटली, इम्पार्शली तथा फेयर टाइम बाउंड जैसी कोई निर्णय प्रक्रिया हो सकती है। इसके कारण कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है तथा जिनकी जमीन जाती हैं, उनको जमीन के पैसे भी नहीं मिलते हैं।

दूसरी एक और बात महत्वपूर्ण है। इस कानून में एक बात ऐसी है कि हम जमीन के लिए एक बार नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में हमारे अलाइंमेंट बदल जाते हैं तो हम उनको जमीन भी वापस नहीं कर सकते हैं और पैसे भी नहीं दे सकते हैं। कानून में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तमिलनाडु के हमारे एक एमपी हैं, उनकी एक समस्या है।

हम उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। इसलिए इन सब बातों पर विचार करते हुए हम इसे ट्रांसपेरेंसी के साथ करप्शन फ्री और टाइम बाउंड करने का सोच रहे हैं। इसके लिए लॉ मिनिस्ट्री भी विचार करेगी, राज्य सरकार का भी ऑपीनियन लेंगे और अगर आप भी कुछ सुझाव देंगे तो उस पर भी विचार करेंगे। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है और मैं इस बात को मानता भी हूँ। हम एक महीने में इसके बारे में जरूर निर्णय करेंगे। चूँकि ये केसेज़ 1 लाख 74 हजार 327 हैं। माननीय सदस्य हिमाचल प्रदेश से हैं, वहां 6 हजार 518 केसेज़ पेंडिंग हैं। आप मुझे बताइए कि 4 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के इस छोटे से राज्य में 6 हजार 518 केसेज़ पेंडिंग हैं। कभी-कभी हमारे हजार-हजार, दो-दो हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार के पास डिपोजिट पड़े रहते हैं। 'CALA' उसका ब्याज लेता है। बैंक वाले मेरे पास आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पैसे हैं, उन्हें हमारे बैंक में डिपोजिट करने के लिए बोलिए। पैसे हमारे पास हैं, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, वे पैसे लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हम इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। हम कानूनी रूप से थोड़ा और सुधार करके इसके लिए निश्चित रूप से कोशिश करेंगे।

श्री किशन कपूर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि ये जो मामले हैं जैसे सबसे ज्यादा मामले तो आपके गृह राज्य से हैं, जो कि 37 हजार 327 हैं। दूसरे नम्बर पर कर्नाटक आता है।

माननीय अध्यक्ष: सभी ने लिस्ट पढ़ ली है। आप प्रश्न पूछिए।

श्री किशन कपूर: अध्यक्ष जी, तीसरे नम्बर पर पंजाब और हरियाणा भी है। ये मामले कब से लंबित हैं? अभी मंत्री महोदय जी ने कहा है कि हम इनका निपटारा बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कितना समय लगेगा? हमारे यहां भू-राजस्व के जो मामले होते हैं, उनमें यह होता है कि अगर दादा केस कर दे तो पोता भी लड़ता रहता है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इनका कब तक निपटारा होगा?

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इससे हमारा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। इन मामलों में आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 'सीएएलए' है, वह निर्णय करता है। फिर उसके निर्णय के ऊपर अपील कमिश्नर लेवल पर होती है। यह सब आपके स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट का कमिश्नर अपनी पावर डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को देता है। मेरे पास इतनी तकरारें आई हैं, कि लैण्ड एक्वीजिशन में काम करने वाले वकील और ये लोग मिलकर ऐसा निर्णय देते हैं, मेरे पास ऐसे केसेज हैं और आखिर यह जनता का पैसा है। ऐसे-ऐसे निर्णय आते हैं कि जहां 1 करोड़ रुपये देने हैं, वहां 10 करोड़ रुपये का अवार्ड हो जाता है। फिर उधर से लोग तकरार करते हैं कि आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं। यह पूरा मामला और यह सिस्टम राज्य सरकार के अधीन है। आप पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने डिटेल में बताया है, मैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता या कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यह उनका अधिकार है।

मैं इतना ही कहता हूं whether it is the State Government or the Central Government, they need to change the procedure. We need to make it transparent, time-bound, result-oriented, qualitative and corruption-free. … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Please do it. What is the problem? Why are you not doing it?

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: The problem is that I have to go to every stakeholder and change the law by passing a Bill. Before that, we need to consult with all the State Governments because they are the stakeholders. The State Government have their own Acts. I cannot take any decision just because I like it. I need to take the advice from the Judiciary, the High Courts, the District Collectors and the State Administrations. After that, I need to make it a law. It is a complicated procedure. It is already in the Concurrent List. In the State List, the State Government is supposed to make law. In the Central List, the Central Government is supposed to make law. In the Concurrent List, both, the Central and the State Governments are the stakeholders. That is the problem and we need to consult with all the stakeholders and find out the solution. We are in the process. I will try my level best to make it a law for the country as early as possible.

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH: Thank you so much, Sir. I would like to convey my thanks, on behalf of the people of Kakinada, to hon. Minister for sanctioning a new NH-516F to Kakinada.

I would also like to know from the hon. Minister one more thing. According to the answer given, there are thousands of arbitration cases pending with respect to national highways. There is a village called Komaragiri in Pithapuram Assembly constituency which is a part of my Parliamentary Constituency. The farmers of this area are getting only Rs. 27 lakh whereas the

farmers of the surrounding areas are getting Rs. 51 lakh. The land cost is rising day by day. Sir, I request you to look into this matter on humanitarian ground and bridge this gap.

There is one more issue. As far as the arbitration process is concerned, the District Collector is saying that if there is any arbitration case, then, in that case, only 30 per cent will be given. Is there any way by which this arbitration amount can be increased from 30 per cent to 60 per cent or 70 per cent?

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, आपको भी शायद यह पता होगा कि आजकल हमारी लैण्ड रोड में मत लो, एलाइनमेंट बदलो, इसके लिए कोई मेरे पास नहीं आता है, बल्कि हमारी लैण्ड लो, और एमपी साहब आते हैं कि यह रोड उधर से इधर से लेकर जाओ। इसका मतलब यह है कि आज बाजार भाव से भी अच्छा प्राइस मिल रहा है। चार गुना ज्यादा प्राइस मिल रहा है और लोग खुश हैं। प्राब्लम यह है कि कुछ जगहों पर लैण्ड का लैण्ड-यूज एग्रीकल्चर है या अर्बन है, जब वहां इंडस्ट्री खड़ी होती है, वह पावर मीटर लेता है तो बोलता है कि मेरी लैण्ड इंडस्ट्रियल है, जबकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहता है कि यह एग्रीकल्चर लैण्ड है। एग्रीकल्चर लैण्ड का रेट अलग है, इंडस्ट्री का अलग है और अर्बन का रेट अलग है। फिर उसके डिस्प्यूट्स होते हैं। यह इसी प्रकार का इश्यू है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें काम्प्लिकेशन्स हैं, इसमें जल्दी निर्णय नहीं होता है, रेट ज्यादा है। मैडम, मैं आपका बताना चाहूंगा कि उत्तराखण्ड में हमने निर्णय किए और ज्यादा भाव दिए। वहां सरकार बदल गई तो राज्य सरकार ने रिकमेंड किया और हमारे अधिकारियों की इनक्वायरी हुई। हमारे अधिकारियों की जब सीबीआई में इनक्वायरी हुई तो उनसे पूछा गया कि आपने क्यों कोर्ट में अपील नहीं की, क्यों आप चुप रहे? अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, वे बोलते हैं कि निर्णय कैसे करें। हर तरफ से थोड़ी-बहुत समस्या है। परन्तु पब्लिक इंट्रेस्ट में और आपकी भावना को देखते हुए एक महीने में अंदर इस बारे में पूरा सोचकर, सभी स्टेकहोल्डर्स से बात करके हम कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे और इस प्राब्लम को सुलझाएंगे।

SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, I have heard the hon. Minister's answer regarding payment of compensation.

Sir, in 2013, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act came into force replacing the Land Acquisition Act. Then, the Act was amended when this Government came to power. Now, the compensation principles have been laid down. The compensation benefits have been given in land acquisition cases. Why are you not extending those benefits here in the National Highways Act? If those provisions of the Act would be applied here, then the problem would be resolved. That is the point with regard to determination of the compensation amount. It is a different point whether anybody is aggrieved or not. They will go in for arbitration case; you leave aside all those things.

Sir, I will tell you one thing. The most important question in India is this. In every compensation matter, whether it relates to State Government or the Central Government, instead of giving compensation benefits to the land losers, they are more willing to go to the High Court or the Supreme Court. … (*Interruptions*)

You should reduce the litigations, and give benefits to them. That is my suggestion. … (*Interruptions*) Although I have raised this point in the form of a question but this is a suggestion. … (*Interruptions*)

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 में यह लैण्ड एक्विज़िशन बिल मैंने ही पार्लियामेंट में पेश किया था। … (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: आप वर्ष 2013 में नहीं थे। … (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : हां, वर्ष 2015 में पेश किया था। गोपीनाथ मुण्डे जी ग्रामीण विकास के मंत्री थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था तथा मैं बाद में टेम्परेरी उस डिपार्टमेंट का मंत्री था। उस समय यह बिल अरुण जेटली जी और हमने बैठकर तैयार किया था। मैं आपको एक बात बता दूं, आप कह रहे हैं, वह भावना बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम कम्पनसेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो इंक्वायरी में यह प्रॉब्लम आती है कि आपने एक्सेप्ट क्यों किया? आपने अपील क्यों नहीं की और आपने ज्यादा पैसा क्यों दिया? इसमें इंटेंशन चैलेंज होती है। अभी ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है कि कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है और रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसमें राज्य सरकार का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। हम केवल यहां से लेकर बैंक में डिपॉजिट करते हैं। कलेक्टर उनका, काला (CALA) उनका, कमिश्नर उनका और हमें उसी सिस्टम में काम करना पड़ता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक तरह से कम्पनसेशन के रेट रीजनेबली काफी बढ़ गए हैं। अभी वह तकरार नहीं रही है कि हम किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको एक बताता हूं। आपको दोनों बातों से सोचना पड़ेगा। यहां पर केरल के एमपीज़ बैठे हुए हैं। मैं अभी केरल में जा रहा हूं। हम केरल में एक हाइवे बना रहे हैं। वहां एक किलोमीटर का खर्चा कितना आया? वहां 100 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर का खर्चा आया। केरल के मुख्य मंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 25 परसेंट लैण्ड का पैसा मैं दूंगा। फिर, उन्होंने अभी पत्र लिखा है कि मैंने मान्य किया था, लेकिन मैं नहीं दे सकता हूं। उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप मैटेरियल को रॉयल्टी फ्री कीजिए, जो स्टेट का जीएसटी है, उतना एग्जेम्प्ट कीजिए और सरकारी लैण्ड दे दीजिए। मैं ऐसा करके कॉम्प्रोमाइज करके मार्ग निकालूंगा। The cost which is coming is around Rs. 100 crore per kilometre. आप मुझे बताइए कि देश में आप प्रमुख हैं और पार्लियामेंट सार्वभौम है। अगर हमें रोड्स बनाने हैं और 100 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर खर्चा आएगा तो कहां से बना पाएंगे? इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि ‘बिटवीन द लाइन’ हमें बराबर मार्ग निकालना पड़ेगा, जो कि टाइम बाउंड होगा, करप्शन फ्री होगा, किसी स्टेकहोल्डर का नुकसान

नहीं होगा। मैं आपकी भावना से सहमत हूं और अच्छी इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी अड़चन में न आएं तो मुझे लगता है कि we will find the way out. You give me the suggestions. I am open for that. After that, by taking suggestions from all the stakeholders, we will finalize the thing, and then come to the Parliament.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 123,

श्री एन. रेड्डप्प ।

(Q.124)

SHRI N. REDDEPPA: Thank you very much, Sir, for your elaborate answer. Apart from that, I would like to ask my supplementary question.

Has the Government taken any special measures to study the climatic and geographic peculiarities of Andhra Pradesh before developing these plans? Also, do the Master Plans account for the fact that Andhra Pradesh is very sensitive to flooding? Please elaborate.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would like to reiterate what is already there in the body of the answer to the Question. Urban planning is a State subject. The functioning of urban local bodies and urban development authorities is the exclusive prerogative of the State Governments. Having said that, I have also said this in the answer and I would like to elaborate that. What we do is that under the AMRUT Scheme, which is a scheme applicable to those cities which have a population of over 1,00,000 --- and there are 500 such cities – we provide some financial assistance for the State Governments and Union Territories to formulate, what are called GIS-based master plans. The incentivisation and encouragement from the Central Government is intended to ensure that the use of technology and geographical information system, circumscribes and then, finally, weeds out any diversion, leakage or corruption.

Under this scheme, for the State of Andhra Pradesh, we have given financial assistance to 26 cities, including the city of Visakhapatnam. There are 461 cities which are under the AMRUT Scheme. Sir, 34 States and Union Territories have opted for this scheme. Dadra and Nagar Haveli and

Lakshadweep have not opted. Some of them have not opted because they do not have urban population. Two States, Kerala and Madhya Pradesh, are formulating master plans in-house, and 32, through outsourcing. Whenever a State Government or a Union Territory formulates its master plan, it must necessarily take into account not only the factors which the hon. Member has mentioned but also the factors such as climatic vulnerability. The hon. Member mentioned those factors that result from the elements of nature like flooding, etc. In some States, coastal areas, in particular, are more vulnerable. They will have to take into account these factors.

We, on our part, only provide incentives through financial support. Out of this, we have already provided a total of Rs.515 crore for these 500 cities under the AMRUT Scheme. Now, under AMRUT – II, we are carrying the scheme forward to those cities which did not qualify under the AMRUT Scheme but which have a population from 55 lakhs to 99 lakhs. Under the reforms of AMRUT Scheme, all cities have to map their water bodies and regerminate green areas. The master plan should take into account these steps because these provide sensitivity both in terms of vulnerability, sometimes, as excess water, and sometimes, as drought. But, then, I do not think the States and the Union Territories would want the Central Government to do this because this is very much a part of the Constitutional division of works. I think most of the States would be wanting to preserve their jurisdiction when it comes to the preparation of such master plans.

HON. SPEAKER: Is there any supplementary from the hon. Member?

SHRI N. REDDEPPA: Yes, Sir. What steps the Government has taken to create local capacities in the area of town planning and management in Andhra Pradesh?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, the specific question that the hon. Member is asking is about capacity building. I am very happy to inform him that under the same scheme, we provide capacity building and training. So far, we have trained 2,606 officials through 73 training programmes. These include 61 from Andhra Pradesh. Out of which, 25, in particular, are from Visakhapatnam.

SHRI JAYADEV GALLA: Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

There are two aspects to this question. One is preparing the master plans for cities, and the other is the development of cities for which master plans have already been prepared. Amaravati, the capital of Andhra Pradesh, which I represent in this House, is one such city for which a master plan has been prepared, and development projects of the city have also been taken up. The work of various projects went on well till 2019 but after that, the Ministry has stopped executing the works.

Since it is 'Question Hour', I will be very specific and pointed. I would request the Minister to be specific and pointed as well.

Sir, as far as I can remember, 25 work orders under 20 projects with an estimated cost of Rs.2000 crore under the Smart City Mission have been issued for Amravati in Andhra Pradesh. But not even a single work has been completed till date. I would like to know from the hon. Minister what the reason behind this is, and by when the Government is going to complete these projects.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Since the hon. Member wants me to be precise and specific, I am delighted to do so. The Question No.124 is on the preparation of master plans, and what assistance the Central Government provides by way of incentivization for preparing GIS based master plans. The hon. Member has moved from there to a project under the Smart City Mission, and there are 100 such Smart Cities, including the one he is referring to. These Smart Cities projects are executed by a body which oversees design, etc. First of all, each Smart City has to come up with a set of projects, and that is the basis on which it gets elected or selected. Once that is done, they have to execute those projects.

As far as Amravati is concerned, I have some statistics with me. The total number of projects which have been identified are 21. The cost of these projects is Rs.2046 crore. The projects are ongoing, and so far as completion of these projects is concerned, as he rightly said, it needs much to be desired. The financial progress, as per the statistics, is this. We have released Rs.488 crore. The Government of India's share transferred to the Special Purpose Vehicle is Rs.488 crore. The State's share transferred is Rs.488 crore. The expenditure of the Government of India is Rs.488 crore. The expenditure of the State is Rs.290 crore, and the amount released so far is eighty per cent.

Insofar as the projects' exact physical state is concerned, since this is not a part of the question, I may respectfully submit to my hon. friend, the hon. Member that when we come prepared for answering questions, we anticipate supplementary questions. But this question is so far removed from what I had come prepared, I will be very happy to invite him for a cup of tea or coffee, and

sit down with him. I will also call whoever is the headmaster of this Special Purpose Vehicle, and we will get the details and find out what the precise stage of each project is. *....(Interruptions)*

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, coffee or high tea! *....(Interruptions)*

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Whatever you prefer, and depending on the time of the day. If you like to come a little in the evening, we can organize that too. *....(Interruptions)*

श्री एम. बदरुद्दीन अजमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी से आता हूँ। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी गुवाहाटी जा चुके हैं, यह नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। इस शहर की हालत बहुत ही खराब है। थोड़ी-सी बारिश हो जाती है, तो बारिश का पानी सेकेण्ड और थर्ड फ्लोर तक पहुंच जाता है। लास्ट ईयर तो रेकॉर्ड बारिश हुई। वहाँ इतनी बारिश हुई कि किसी भी गली में नहीं जा सकते थे। असम के दूसरे सदस्य भी इसको सपोर्ट करेंगे। यह एक टूरिस्ट एरिया भी है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसको मास्टर प्लान में लेंगे? यदि इसको ले लिया है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया और यदि नहीं लिया है, तो आप इसे जरूर लेंगे, मुझे इसकी उम्मीद है।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, as I mentioned earlier, and I am happy to reiterate that preparation of the master plan is a function which is carried out by the State Government, and I have no doubt that the State Government in the preparation of the master plan will certainly factor in the points made about excessive rainfall or the climatic vulnerability, which we are all familiar with. I am sure about it.

I will be happy to sit with the hon. Member, and talk to the State Government, and find out what exactly the state of preparation of the master plan is.

Sir, I am told that the State Government is still to prepare an aquifer management plan under AMRUT. So, we are in touch with the State Government precisely to do that. But my offer stands, I will sit with the hon. Member and with State Government representatives to find out what the stage of the preparation of that plan is.

SHRI B. MANICKAM TAGORE : Thank you very much, Sir. In the reply the hon. Minister has mentioned that master plans have been approved for 152 cities, and the draft GSI based master plan has been formulated for 132 cities.

I want to know from the hon. Minister how many cities from Tamil Nadu are from among these cities. Has any master plan been approved for Madurai Corporation and Sivakasi Corporation? How much amount has the Government of India allotted for these two cities – Madurai and Sivakasi?

Moreover, Sivakasi Corporation is the youngest corporation in Tamil Nadu. Hence, I would request the hon. Minster to be a little generous to Sivakasi Corporation.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I would like to share with the hon. Member that generosity by the Central Government should be taken as a given. We provide money for the country as a whole. So, as I said, for the preparation of master plans in 500 cities which are covered under AMRUT yojana, we have provided, I think, if I remember off-hand, a total of Rs. 631 crore or thereabout. So, I stand

to be corrected on the precise figure. Now, all the cities in Tamil Nadu, which are AMRUT cities, have the option of availing of that facility.

In so far as whether Madurai or any other particular city has availed of this is something that I am in the process of ascertaining and even while we speak, if I have the answer, I would be happy to place it. Otherwise, I would be happy to meet my friend and share that information because I carry the broad framework, but this is a State Government issue. I know that 461 cities have availed of it and they are under preparation, but whether a particular city has prepared it already or is in the pipeline, I would be happy to share that.

HON. SPEAKER: Question No. 125,

Shri K. Muraleedharan.

(Q. 125)

SHRI K. MURALEEDHARAN: Sir, petrol price in India was Rs. 71.41 per litre in May, 2014 when the international crude oil price was USD 106.86 per barrel, but today, the petrol price is more than Rs. 100 per litre when the international crude oil price is USD 77.99 per barrel. I would like to know from the hon. Minister why the petroleum products' price in India is not maintained or reduced corresponding with the international crude oil price.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would like to thank the hon. Member for making it rather easy for me. I want to remind the hon. Member that prices of petrol and diesel were deregulated in 2010 and 2014 respectively. We have on our own done a study of what happened in 2014. We had done a study for seven to eight years, starting from 2014. I would be happy to share those details with my friend. I do not know whether I have the study report with me just now, but I can remember off-hand. In the last eight years, the increase has been the lowest since 1974. I know 1973 and 1974 because that is the time when I was a student in the university and I had the privilege of filling up, at the bunk, a two-wheeler periodically. Today, typically what has happened is that since we have deregulated, the price of petrol at the pump is determined by the cost of production as per the indices which are available, the cost of transportation, that is, freight, insurance charges and the exchange rate because you are paying in terms of dollar. I do not know what the dollar rate is today. Today the dollar rate is X and in 1974, it was very different. Then, you add to that the refiner's margin, the dealer's margin and then, the Central Government's excise and the State

Government's VAT. The Central Government, in order to maintain the price at the pump at a reasonable level, reduced the excise duty on two occasions in November, 2021 and May, 2022. I am happy to inform you that some other States also reduced VAT. Now, we have a situation where some of the States – I am not calling them BJP States, but there are one or two other States also – which have reduced their VAT. Some of them are charging VAT at the rate of Rs. 17 and other non-BJP States are charging at Rs. 32. So, there is a differential. When the hon. Member was saying that today the cost of petrol is Rs. 100 per litre in some places – in some places which are non-BJP States – and in other States, it is Rs. 8-10 cheaper. Today, the important issue is that at a time when globally – I am talking about the geopolitics – we are facing many uncertainties, let me give you the example of petrol prices.

The petrol prices went up by a large margin internationally. They went up by percentages which are sometimes 40 per cent higher or 50 per cent higher. In India, petrol prices increased by only two per cent was that representative period between 2021 and 2022. Why? It is because we reduced our excise and we urged States also to reduce their VAT. Some did, some did not. Now, what has happened is that the ability to keep the price steady and allow the increase of price of petrol only by two per cent – while internationally it went up by a very large per cent – was possible because the OMCs as good corporate citizens took a loss. I have some figures here which are very telling. The OMCs made a profit before tax of Rs. 28,360 crore in H1 of financial year 2021-22. This is profit before tax of Rs. 28,360 crore. These three companies, namely, IOCL, BPCL,

and HPCL, in the H1 of the next year have booked a combined loss of Rs. 27,276 crore. So, it is a combination of the Central Government's reduction of excise at a time when we were going through a very difficult period and there were other expenditure liabilities, and State Governments reducing their VAT. Today, petrol prices in India are perhaps the lowest. I like to choose my words carefully because the hon. Members will instantly say, 'you said this'. The average price of crude of the Indian basket increased by 102 per cent. It went up from $43.34 to $87.55 between November 2020 and November 2022. At that time when it was up by 102 per cent, the retail price of petrol went up only by 18.95 per cent. Now, how much of this is the exchange rate variation? That is one question. The Government which is committed to energy security and affordability. By affordability, I mean it is not a question of just making energy available at the bunk at reasonable prices but also ensuring that in the process of doing that, you do not disrupt the system. The hon. Member would have seen what has happened in the neighbouring countries where for the love of money you could not get energy. … (*Interruptions*) In fact, we have provided some assistance of up to $4 billion to them. We, therefore, have ensured that throughout this crisis period there was never any shortage of petrol or diesel and the prices did not go beyond a certain point. … (*Interruptions*) We would like to have the prices come even lower. But as I said, you have to navigate through what is doable. I have also here figures of how much the percentage increases were in other countries. In the US, it was 144 per cent. … (*Interruptions*)

Mr. Speaker, Sir, I am very happy to share the details. I am also your disciple. I follow your instructions. I do not respond to things which are said when people are sitting. … (*Interruptions*) But let me say, I think this is an occasion where the hon. Members… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आपने अपने उत्तर में सब डिटेल दी हुई है।

… (व्यवधान)

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I also want to share this with the hon. Members. Today, if you look at the international prices and our prices, I was hoping the hon. Members will contribute in their States also – a few that are left – to bring the prices down through a reduction in VAT. But I do not see that happening. … (*Interruptions*)

<u>12.00 hrs.</u>

Sir, the issue here is … (*Interruptions*), the issue here is, today, when we are negotiating, we have reached to the point of the fifth largest economy … (*Interruptions*)… We will soon be the third largest … (*Interruptions*) Energy is the driver of economic strength … (*Interruptions*) And I would like to point out that the States of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and Jharkhand did not cut their taxes. … (*Interruptions*) Sir, the States of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala and Jharkhand did not cut their taxes. … (*Interruptions*).. ये 5 राज्य हैं, जिन्होंने काम नहीं किया है और उनके माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड राज्य से आते हैं। **…** (व्यवधान) इन राज्यों ने वैट कम नहीं किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपनी राज्य सरकारों से कहें कि वे अपने यहां वैट कम कर दें, जिससे इनके राज्यों में भी

दाम कम हो जाएंगे । … (व्यवधान) .. You can then join the mainstream celebration …

(*Interruptions*)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 126 to 140
Unstarred Question Nos. 1381 to 1610)
(Page No. 41 to 673)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त ।

---

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.02 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर-2 श्री वी.के. सिंह जी।

12.02½hrs. (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

12.02¾ hrs

At this stage Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri Sudip Bandyopadhyay, Shri T.R. Baalu and some other hon. members left the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988:-

i. The Motor Vehicles Driving (Amendment) Regulations, 2020, published in Notification No. G.S.R.586(E) in Gazette of India dated 25th September, 2020, together with an explanatory memorandum.

ii. The National Road Safety Board Rules, 2021, published in

Notification No. G.S.R.615(E) in Gazette of India dated 6th September, 2021, together with an explanatory memorandum.

iii. S.O.1655(E) published in Gazette of India dated 16th April, 2021 appointing Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport & Highways as the “Designated Officer”, together with an explanatory memorandum.

iv. The Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2022, published in Notification No. G.S.R.413(E) in Gazette of India dated 2nd June, 2022, together with an explanatory memorandum.

v. The Central Motor Vehicles (Tenth Amendment) Rules, 2022, published in Notification No. G.S.R.479(E) in Gazette of India dated 28th June, 2022, together with an explanatory memorandum.

vi. The Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2022, published in Notification No. G.S.R.617(E) in Gazette of India dated 4th August, 2022, together with an explanatory memorandum.

vii. The Central Motor Vehicles (Twelfth Amendment) Rules, 2022, published in Notification No. G.S.R.625(E) in Gazette of India dated 12th August, 2022, together with an explanatory memorandum.

viii. The Central Motor Vehicles (Thirteenth Amendment) Rules, 2022, published in Notification No. G.S.R.640(E) in Gazette of India dated 18th August, 2022, together with an explanatory memorandum.

ix. The Central Motor Vehicles (Fourteenth Amendment) Rules, 2022, published in Notification No. G.S.R.660(E) in Gazette of India dated 26th August, 2022, together with an explanatory memorandum.

x. The Motor Vehicles Non Transport Vehicles Visiting India Rules, 2022, published in Notification No. G.S.R.680(E) in Gazette of India dated 2nd September, 2022, together with an explanatory memorandum.

xi. The Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Amendment Rules, 2022, published in Notification No. G.S.R.695(E) in Gazette of India dated 14th September, 2022, together with an explanatory memorandum.

xii. The Central Motor Vehicles (Fifteenth Amendment) Rules, 2022, published in Notification No. G.S.R.703(E) in Gazette of India dated 15th September, 2022, together with an explanatory memorandum.

xiii. The Central Motor Vehicles (Sixteenth Amendment) Rules, 2022, published in Notification No. G.S.R.714(E) in Gazette of India dated 20th September, 2022, together with an explanatory memorandum.

xiv. S.O.3896(E) published in Gazette of India dated 12th August, 2022 together with an explanatory memorandum notifying extension in implementation of norms for Wheel RIM.

xv. S.O.4143(E) published in Gazette of India dated 2nd September, 2022 together with an explanatory memorandum notifying implementation of AIS 038 and AIS 156.

xvi. S.O.4144(E) published in Gazette of India dated 2nd September, 2022 together with an explanatory memorandum notifying constant speed fuel consumption test for M and N category vehicles.

xvii. S.O.4567(E) published in Gazette of India dated 28th September, 2022 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. S.O.1365(E) dated 13th December, 2004.

xviii. The Central Motor Vehicles (Seventeenth Amendment) Rules, 2022, published in the Notification No. G.S.R.797(E) in Gazette of India dated 10th November, 2022 together with an explanatory memorandum.

xix. The Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2022, published in Notification No. G.S.R.809(E) in Gazette of India dated 10th November, 2022 together with an explanatory memorandum.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7846/17/22]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956:-

i. S.O.3698(E) published in Gazette of India dated 4th August, 2022 notifying user fee for the project of four and more lane section of Sangli-Solapur section of National Highway No. 166 in the State of Maharashtra.

ii S.O.3727(E) published in Gazette of India dated 8th August, 2022 notifying user fee for the project of four Lane section of Panvel to Kasu Section of National Highway No. 66 (Old NH-17) in the State of Maharashtra.

iii S.O.4153(E) published in Gazette of India dated 5th September, 2022 notifying user fee for the project of Six-Lane Eastern Peripheral Expressway (NH No. NE-II) in the States of Haryana and Uttar Pradesh.

iv S.O.4350(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2022 notifying user fee for the project of four Lane of Partur to Majalgaon developed to two lane with paved shoulder/ 4 lane standards in the State of Maharashtra.

v S.O.4351(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2022 notifying user fee for the project of four and more Lane of Narasannapeta to Ranastalam section of National Highway No. 16 in the State of Andhra Pradesh.

vi S.O.4366(E) published in Gazette of India dated 20th September, 2022 notifying user fee for the project of four and more Lane of Chandikhole-Bhadrak section of National Highway No. 5 (New NH-16) in the State of Odisha.

vii S.O.4367(E) published in Gazette of India dated 20th September, 2022 notifying user fee for the project of six laning of Chitradurga-Davanagere including Chitradurga Bypass of National Highway No. 48 (Old NH-4) in the State of Karnataka.

viii S.O.4400(E) published in Gazette of India dated 21st October, 2022 notifying user fee for the project of 8 lane Access Controlled Greenfield of Delhi-Vadodara Greenfield alignment (NH-148N) on EPC mode under Bharatmala Pariyojana in the State of Haryana and Rajasthan.

ix S.O.4721 (E) published in Gazette of India dated 4th October, 2022 notifying user fee for the project of four/six lane of Jamshedpur-Mahulia Section in the State of Jharkhand.

x S.O.4722 (E) published in Gazette of India dated 4th October, 2022 notifying user fee for the project of four lane section of NH-151A in the State of Gujarat.

xi S.O.4866 (E) published in Gazette of India dated 13th October, 2022 making certain amendments to the Notification No. S.O.1388(E) dated 19.06.2012.

xii S.O.4867 (E) published in Gazette of India dated 13th October, 2022 notifying user fee for the project of four and more Lane of Panipat to Shamli section of NH-709AD in the State of Haryana.

xiii S.O.4875 (E) published in Gazette of India dated 14th October, 2022 notifying user fee for the project of four Lane of Ayodhya-Gorakhpur section of National Highway No. 28 in the State of Uttar Pradesh.

xiv S.O.4876 (E) published in Gazette of India dated 14th October, 2022 notifying user fee for the project of four and more Lane of Bareilly-Sitapur Section of NH-24 in the State of Uttar Pradesh.

xv S.O.4937 (E) published in Gazette of India dated 19th October, 2022 notifying user fee for the project of four Lane of Borkhedi-Wadner-Deodhari-Kelapur of NH-44 (old NH-7) in the State of Maharashtra on Toiling, Operation, Maintenance and Transfer (Invlt).

xvi S.O.4938 (E) published in Gazette of India dated 19th October, 2022 notifying user fee for the project of four lane of Shivpuri-Jhansi Section of NH-27 in the State of Madhya Pradesh on Toiling, Operation, Maintenance and Transfer (Invlt).

xvii S.O.4939 (E) published in Gazette of India dated 19th October, 2022 notifying user fee for the project of four lane of Agra Bypass Section of NH-3 in the State of Uttar Pradesh.

xviii S.O.5068 (E) published in Gazette of India dated 28th October, 2022 notifying user fee for the project of four lane of Repalle to Eeppurpalem Section of NH-214A [New NH-216] in the State of Andhra Pradesh.

xix S.O.5069 (E) published in Gazette of India dated 28th October, 2022 notifying user fee for the project of 2/4 Takoli to Kullu section and Kullu to Manali Section of NH-21 [New NH-3] in the State of Himachal Pradesh.

xx S.O.5154 (E) published in Gazette of India dated 4th November, 2022 notifying user fee for the project of Nokha to Bikaner Section of National Highway No. 89 [New NH-62] in the State of Rajasthan.

xxi S.O.5155 (E) published in Gazette of India dated 4th November, 2022 notifying user fee for the project of Nagaur Bypass to Nokha Section of National Highway No. 89 [New NH-62] in the State of Rajasthan.

xxii S.O.5156 (E) published in Gazette of India dated 4th November, 2022 notifying user fee for the project of four lane of Fagne to Maharashtra-Gujarat border Section of National Highway No. 53 [Old NH-6] in the State of Maharashtra.

xxiii S.O.5245 (E) published in Gazette of India dated 11th November, 2022 notifying user fee for the project of 4/6 laning of Kundapur-Surathkal Section and Mahaveer Circle to Talapady Section of National Highway No. 66 [Old NH-17] in the State of Karnataka.

xxiv S.O.5289 (E) published in Gazette of India dated 14th November, 2022 notifying user fee for the project of four and more lane of Talcher to Duburi Section of National Highway No. 23 [New NH-149] [New NH-53] in the State of Odisha.

xxv S.O.5290 (E) published in Gazette of India dated 14th November, 2022 making certain amendments to Notification No. S.O.5245(E), dated 11th November, 2022.

xxvi S.O.5306 (E) published in Gazette of India dated 15th November, 2022 notifying user fee for the project of six laning of Davanagere-Haveri Section of National Highway No. 48 [Old NH-4] in the State of Karnataka.

xxvii S.O.5307 (E) published in Gazette of India dated 15th November, 2022 notifying user fee for the project of four lane of Teleibani to Sambalpur Section of National Highway No. 6 [New NH-53] in the State of Odisha.

xxviii S.O.5308 (E) published in Gazette of India dated 15th November, 2022 notifying user fee for the project of Hanumangarh, Suratgarh, Loonkarsar, Bikaner, Jodhpur, Thob, Pachpadra, Balotra Sanchore near Santalpur in the State of Gujarat and NH-754A in the States of Haryana, Rajasthan and Gujarat.

xxix S.O.5309 (E) published in Gazette of India dated 15th November, 2022 notifying user fee for the project of four lane of Biramitrapur-Bhramani Bypass and Brahmani Bypass to Rajamunda Section of National Highway No. 23 (new NH-143) in the State of Odisha.

xxx S.O.5311 (E) published in Gazette of India dated 15th November, 2022 notifying user fee for the project of four and more lane of Ranastalam to Hanumanthvaka Junction section of National Highway No. 16 (Old NH-5) in the State of Andhra Pradesh.

[Placed in Library, See No. LT 7847/17/22]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7848/17/22]

(ख) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7849/17/22]

(ग) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड (पूर्व में नर्मदा जलविद्युत विकास निगम लिमिटेड के नाम से ज्ञात), भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड (पूर्व में नर्मदा जलविद्युत विकास निगम लिमिटेड के नाम से ज्ञात), भोपाल का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7850/17/22]

(घ) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7851/17/22]

(ङ) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7852/17/22]

(च) (एक) टस्को लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टस्को लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7853/17/22]

(छ) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिलॉंग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिलॉंग का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7854/17/22]

(ज) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7855/17/22]

(झ) (एक) पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7856/17/22]

(ञ) (एक) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली और इसकी अनुषंगी कंपनियों का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन और अनुषंगी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7857/17/22]

(2) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7858/17/22]

(3) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र के लिए), गुरुग्राम वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र के लिए), गुरुग्राम वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7859/17/22]

(4) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7860/17/22]

(5) (एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7861/17/22]

(6) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क एक्सेस) विनियम, 2022 जो 14 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुषंगी सेवाएं) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आर.ए.-14026(11)/3/2019-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आर.ए.-14026(11)/1/2019-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 16 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीईए-टीएच-17-17/5/2021-टीईटीडी डिवीजन में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7862/17/22]

(7) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रेफ्रिजरेटरों के लेबलों पर विवरण और उनके प्रदर्शन की रीति) विनियम, 2022 जो 30 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीईई/एसएण्डएल/आरईएफ/70/2021-22 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (विद्युत वितरण कंपनियों में ऊर्जा संपरीक्षा करने के लिए रीति और अंतराल) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 31 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 18/1/बीईई/डिस्कॉम/202 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत के मानदंड और मानक, प्ररूप, समय जिसके भीतर योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की पद्धति, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने या खरीदने की प्रक्रिया और ऊर्जा खपत के समकक्ष प्रति मीट्रिक टन तेल का मूल्य) संशोधन नियम, 2022 जो 30 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 669(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7863/17/22]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): सभापति महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(3) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7864/17/22]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापति महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7865/17/22]

(2) (एक) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7866/17/22]

(3) (एक) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7867/17/22]

(4) (एक) इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7868/17/22]

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, on behalf of my colleague, Shri Kaushal Kishore, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited, Bhopal, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited, Bhopal, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7869/17/22]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Noida Metro Rail Corporation Limited, Noida, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Noida Metro Rail Corporation Limited, Noida, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7870/17/22]

(c) (i) Review by the Government of the working of the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Housing and Urban Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7871/17/22]

(d) (i) Review by the Government of the working of the Bangalore Metro Rail Corporation Limited, Bengaluru, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Bangalore Metro Rail Corporation Limited, Bengaluru, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7872/17/22]

(e) (i) Review by the Government of the working of the Maharashtra Metro Rail Corporation Limited, Nagpur, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the Maharashtra Metro Rail Corporation Limited, Nagpur, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7873/17/22]

(2) A copy of the Metro Railways General (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.836(E) in Gazette of India dated 22nd November, 2022 under Section 102 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 7874/17/22]

(3) A copy of Notification No. S.O.4020(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 25th August, 2022 notifying alignment of Patna Metro Rail Project Corridor-I and Corridor-II under clause (a) of sub-section (1) of Section 32 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 issued under sub-section (3) of Section 1 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 7875 /17/22]

(4) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Housing & Urban Development Corporation Limited and the Ministry of Housing & Urban Affairs for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 7875A/17/22]

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7876/17/22]

12.03 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY-GENERAL, LOK SABHA: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 1" April, 2022, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 14th December, 2022, with the following amendments:-

FIRST SCHEDULE

1. That at page 3, lines 5 and 6, for the words "Sant Ravidas Nagar", the word "Bhadohi" be substituted.

SECOND SCHEDULE

2. That at page 4, line 5, for the words "Sant Ravidas Nagar", the word "Bhadohi" be substituted.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

---

* Laid on the Table

Sir, I lay on the Table the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022, as passed by Lok Sabha and returned by Rajya Sabha with amendments.

12.03½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

31st Report

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति महोदय, मैं 'सशस्त्र बलों में युद्ध विधवाओं/परिवारों को उपलब्ध कल्याणकारी उपायों का आकलन' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.04 hrs. **STANDING COMMITTEE ON ENERGY**

Statements

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): Sir, I beg to lay the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy:-

(1) Action-taken by the Government on recommendations/observations contained in Chapter-1 of the Twenty-eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Energy on action-taken by the Government on recommendations/observations contained in the Seventeenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the subject 'Action Plan for achievement of 175 GW Renewable energy Target.

(2) Action-taken by the Government on recommendations/observations contained in Chapter-1 of the Twenty-ninth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Energy on action-taken by the Government on recommendations/ observations contained in the Eighteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the

subject 'Development of Coal Blocks allocated to Power Sector Companies'.

(3) Action-taken by the Government on recommendations/observations contained in Chapter-1 of the Thirtieth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Energy on action-taken by the Government on recommendations/ observations contained in the Nineteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the subject 'Delay in Execution/Completion of Power Projects by Power Sector Companies'.

12.05 hrs.

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

17th Report

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I beg to present the Seventeenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirteenth Report of the Committee on the subject ‘Covid-19 Pandemic: Global Response, India’s Contributions and the Way Forward’.

12.06 hrs.

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

16th Report

HON. CHAIRPERSON: Item No. 11, Shri Ramesh Bidhuri -- not present.

Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil.

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): I beg to present the Sixteenth Report (Hindi and English versions) on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Thirteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas (2022-23) on the subject 'Safety and Security of Oil Installations of Public Sector Oil Companies with Specific Reference to Western Offshore Mishap during Cyclone Tauktae'.

12.07 hrs.

MOTION RE: ELECTION OF ONE MEMBER OF RAJYA SABHA TO COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES (2022-23)

SHRI RAJESH VERMA (SITAPUR): I beg to move the following:

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to elect one member from amongst the members of the Rajya Sabha to associate with the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the un-expired portion of the term of the Committee vice Shri Vishambhar Prasad Nishad retired from Rajya Sabha and do communicate to this House the name of the member so elected to the Committee."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए राज्य सभा से सेवानिवृत्त श्री विशम्भर प्रसाद निषाद *के स्थान पर* समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को निर्वाचित करने के लिए सहमत हो और समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

HON. CHAIRPERSON: Dr. Kalanidhi Veeraswamy -- not present.

Shri Uday Pratap Singh.

… (*Interruptions*)

डॉ. संजय जायसवाल (**पश्चिम चम्पारण**): महोदय, बिहार में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।**… (**व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको अवसर देंगे। आप बैठिए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (**बहरामपुर**): सर**,** मेरा छोटा सा मुद्दा है।**… (**व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री उदय प्रताप सिंह जी।

… (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): सर**,** वहाँ बिहार की पुलिस लाशों को छिपाने में लगी हुई है।**… (**व्यवधान) इससे बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अभी बैठिए। पहले उनको बोलने दीजिए। आपको बुला लेंगे।

… (व्यवधान)

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरे देश में हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की गई थी। वह ग्राम रोजगार सहायक डिजिटल मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन सारे काम ग्राम पंचायत के संधारित करता है। इनके वेतन आदि के लिए अभी मनरेगा से कुछ व्यवस्था की गई है। मेरी जानकारी में है कि मनरेगा की राशि में से कुछ राशि आहरण करके इनको वेतन दिया जाता है। ग्राम सभा के प्रस्ताव पर इनकी नियुक्ति होती है और ग्राम सभा के प्रस्ताव पर इनको अलग कर दिया जाता है। यह बड़ा तात्कालिक जैसा पद है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक आग्रह है कि जिस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ

मिलकर शिक्षक के वेतन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है और उनका जो जॉब है, बाकायदा उनकी नौकरी लगती है, पूरी उम्र भर वह नौकरी करेगा, फिर उसका रिटायरमेंट होगा और उसको जो बीच की सुविधाएं आदि मिलती हैं, जैसे वेतन भत्ता, महंगाई भत्ता आदि उसे सब मिलता है। इसी तरह जो हमारा रोजगार सहायक है, उसकी कभी भी सेवा समाप्त हो सकती है, उसके वेतन की कोई गारंटी नहीं है, उसकी ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। मेरा आग्रह है कि भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों की सहभागिता के साथ इनकी जॉब को तय करे कि इनका जॉब ट्रांसफरेबल होगा, भले ही जनपद के अंदर ट्रांसफर हो और उनकी नौकरी रिटायरमेंट आयु तक चले।

बगैर कोई गंभीर कारण के इनको पदमुक्त नहीं किया जाएगा और इनका वेतन, आज के समय के हिसाब से जो मापदण्ड है, जैसे शिक्षक को दिया जाता है, रेगुलर सचिव को दिया जाता है, उस तरह से वेतन आदि की व्यवस्था भी ग्राम रोजगार सहायकों की हो।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आवश्यक हो और सरकार यदि राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सकती है तो मुझे लगता है कि और सुविधा होगी। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI KHALILUR RAHAMAN (JANGIPUR): Respected Chairperson, Sir, this is to bring to your notice that Murshidabad district has a population of more than 71 lakh with a density of 1334 per sq.km. According to the 2011 census, Samserganj and Raghunathganj Blocks are densely populated with more than 3 lakh. Sir, NH 34 plays the backbone for transportation in Murshidabad district which intersects both Samserganj and Raghunathganj Blocks equally.

Dakbanglow More and Omarpur junctions which are under Samserganj and Raghunathganj Blocks respectively are the gateways to Jharkhand State, North Bengal and Birbhum districts. The presence of Government colleges, hospitals, railway crossing and Dhuliayan Ganga and Jangipur railway stations

are located within a range of one km, which contribute to the high density of traffic flow in both of the junctions. This leads to jams which affect thousands of students, passenger vehicles, transport vehicles, patients, and ambulances on a regular basis. Incidents like deaths in ambulances on way to hospitals are so frequent in both of the junctions.

In view of the above, construction of a flyover in both of the junctions over NH 34 is the need of the hour. People will be highly benefited not only from Samerganj and Raghunathganj blocks but also Murshidabad, Malda, Birbhum districts, North Bengal and Jharkhand State too. Along with that, it will be very helpful for small-scale businesses, which are growing every day throughout the district, which directly impact the financial sector. Construction of these two flyovers will reduce the travel time between Kolkata and Siliguri by more than two hours.

Sir, through this House, I would like to strongly demand to consider my proposal and notify the authority concerned to take the necessary steps for the construction of these two flyovers.

माननीय सभापति: श्री बसंत कुमार पंडा जी।

… (व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : सभापति महोदय, बहुत ही… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिये। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठिये। लिस्ट जरा चलने दीजिए। सीग्रीवाल जी, प्लीज बैठिये।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री बसंत कुमार पंडा जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

… (व्यवधान) …*

माननीय सभापति : मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। प्लीज बैठिये। श्री बसंत कुमार पंडा जी ।

… (व्यवधान)

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे शून्य काल के दौरान बोलने का मौका दिया। मेरा लोक सभा क्षेत्र कालाहांडी और नुआपाड़ा जिले इन दोनों को मिलाकर है तथा दोनों आकांक्षी जिले हैं। यहाँ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग चिकित्सा उपचार, छुट्टियाँ मनाने और शादी-विवाह हेतु खरीदारी करने के लिए विशाखापट्टनम आना-जाना करते हैं। कालाहांडी जिला विशाखापट्टनम शहर के ऊपर बहुत निर्भर है। लेकिन यहाँ से विशाखापट्टनम तक कोई सीधी ट्रेन नहीं है, जिसके लिए क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में बड़ी कठिनाई होती है इसलिए कालाहांडी जिले के जूनागढ़ से विशाखापट्टनम के लिए प्रतिदिन एक DMU ट्रेन आरम्भ की जाए, जो सुबह जाए और शाम को वापस आ जाये।

मेरा एक और निवेदन यह है कि नुआपाड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि एक जिला मुख्यालय है और आकांक्षी जिला है, यहाँ से दिल्ली आने के लिए समता एक्सप्रेस ट्रेन आती है, लेकिन वह ट्रेन रुकती नहीं है, उसका स्टॉपेज बनाया जाए। लांजीगढ़ वेदांत एल्युमिनियम फैक्ट्री का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जहां पर हीराकुंड एक्सप्रेस के स्टॉपेज की भी व्यवस्था की जाए।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन मांगों पर विचार करें और तुरंत निर्णय लें। धन्यवाद।

---

* Not recorded

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, बिहार राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित 37 हत्याएं हुई हैं। … (व्यवधान) बिहार में शराबबंदी है। … (व्यवधान) वर्ष 2016 से हम लगातार यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि यह पूरी पुलिस की मदद से, पुलिस के द्वारा प्रयोजित ज़हरीली शराब और शराब का पूरे बिहार में घर-घर वितरण हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसका संज्ञान नहीं लेते हैं और यह कहते हैं कि जो शराब पिएगा, वह मरेगा, जो शराब पिएगा, वह जेल जाएगा और जो शराब बेचेगा, वह हमारा टिकट पाएगा, वह हमारा उम्मीदवार होगा, लेकिन पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। … (व्यवधान) किसी भी सीरियर अफसर पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। … (व्यवधान) बिहार में 37 हत्याओं की जिम्मेदार बिहार सरकार है। … (व्यवधान) इस तरह की 15 से ज्यादा घटनाएं बिहार में हो चुकी हैं, जो मीडिया के सामने हैं। … (व्यवधान) इसके अलावा प्रतिदिन 3-4 व्यक्तियों की हत्याएं होती हैं। … (व्यवधान) पुलिस का कहना है कि हम तुम्हारे पूरे खानदान को जेल भेज देंगे, अगर तुम इस बात को बाहर जारी करोगे तो। … (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा एक तो ...* जी जिस तरह से विधान सभा में बात करते हैं, वे मानसिक संतुलन खो चुके है। … (व्यवधान) केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पर संज्ञान लेना चाहिए। … (व्यवधान) इन 37 हत्याओं की जिम्मेदार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए और उन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो शराब बेचने वाले हैं। वे सैकड़ों करोड़ रुपयों के मालिक हो गए हैं। … (व्यवधान) शराब का धंधा पुलिस प्रायोजित है। … (व्यवधान) पुलिस 10,000 करोड़ रुपये कमा चुकी है। … (व्यवधान) इन सभी पर और मुख्य मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। … (व्यवधान) मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: जो भी माननीय सदस्य इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करना चाहते हैं, वे कृपया पर्ची सभा पटल पर भेज दीजिए।

राहुल कास्वां जी।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

… (व्यवधान)

श्री राहुल कस्वां (चुरू): सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा पावर मंत्रालय के माध्यम से जुलाई, 2000 में एक नई स्कीम लांच की गई थी। … (व्यवधान) इस स्कीम का नाम रिवैम्प डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म स्कीम है।… (व्यवधान) इसमें बजट का प्रावधान लगभग् 300,000 करोड़ रुपये के आस-पास है। … (व्यवधान) इस स्कीम का मकसद यही था कि राज्यों के अंदर पावर सैक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज़ हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए पैसा खर्च किया जाए। … (व्यवधान) सर, मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि राजस्थान सरकार को भी इस स्कीम के तहत साढ़े 8,000 करोड़ रुपये का बजट सैंक्शन हुआ, परंतु जुलाई, 2000 की लांच हुई स्कीम आज तक राजस्थान में पूरी तरह लागू नहीं हुई है। इस स्कीम का एक बहुत बड़ा पार्ट यह भी था कि इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट इलैक्ट्रिसिटी किमेटी बनानी थी, जिसका अध्यक्ष एक सांसद होता है, वह आज तक गठित नहीं की गई है।

सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू के अंदर पूरी जो एक बेल्ट है – सरदारशहर, सुजानगढ, बिदाशर, रोहतंगढ, जिसके अंदर बिजली की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि वहां कुएं बहुत ज्यादा बन गए हैं, हम एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। परंतु परेशानी यह है कि इस स्कीम के लिए हमारे पास बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके लिए 33केवीए के जीएसएस चाहिए, 32केवीए के सब-स्टेशंस चाहिए। परंतु सरकार के पास कोई नीति नहीं है। हाल ही में लूनासर गांव जो सरदारशहर के अंदर है, वह 5 दिन अंधेरे में रहा, क्योंकि सैक्टर के रिफॉर्म पर काम नहीं हुआ और सरकार नए-नए कनेक्शंस देती जा रही है। सर, यही नहीं, राजस्थान हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा राज्य होगा, जिसके पास अपनी ढ़ाड़ियों में बैठे हुए एक आखिरी व्यक्ति को देने के लिए कोई योजना नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में ही 18,000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी के नए कनेक्शंस की मांग है। राज्य सरकार सोई हुई है।

सर, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण योजना को लागू किया जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि डीईसी बनाने का काम जल्द से जल्द हो, वही एक प्लान बनाएगी कि

कहां-कहां पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राजस्थान सरकार को बाध्य किया जाए और साढ़े 8,000 करोड़ रुपये जो भारत सरकार ने दिए हैं, उसके उपयोग करने के निर्देश दिए जाएं।

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Sir, the Ministry of Railways had announced the redevelopment of 12 stations in Odisha to meet international standards with superior passenger amenities and a Memorandum of Understanding was also signed in 2019 between Bhubaneswar the Development Authority and East Coast Railway to construct a world class station building at Bhubaneswar. However, for remaining 11 stations including Brahmapur, Cuttack, Jharsuguda, Bhadrak and more important stations, there is no progress in construction and developmental activities.

Sir, I therefore, request the hon. Minister to prepare an action plan and allocate funds for the proposed developmental works in the remaining 11 stations expeditiously as more than three years have passed and the expectations of people of Odisha have not yet been met.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं एक छोटा-सा मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं सरकार से यह मांग भी करूंगा कि सरकार इस विषय पर एक श्वेत-पत्र सदन में पेश करे।

अगर आज का 'इंडियन एक्सप्रेस' देखें तो उसके मेन पेज पर यह लिखा है कि एम्स में जो साइबर अटैक हुआ था, वह चीन से हुआ था। इस पेपर में यह भी लिखा गया है कि जब हमारी सीमाओं पर झड़पें होती हैं, जब हमारे ऊपर चीन हमलावर होता है, तब आज की हिन्दुस्तान सरकार ने उसे लाल आँख दिखाने के बदले चीन से आयात को बढ़ा दिया है।… (व्यवधान)

इसे देखते हुए हमें लगता है कि इस सरकार की मंशा क्या है।… (व्यवधान) अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड है, उसमें गिरावट आती है, लेकिन चीन के साथ जो हमारा ट्रेड है, उसमें चीन

को ज्यादा फायदा होता है ।... (व्यवधान) जब चीन की सरकार हम पर हमला कर रही है, हिन्दुस्तान को तबाह करने की कोशिश कर रही है, तब चीन की मदद करने की क्या जरूरत है, यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं ।... (व्यवधान) उसे लाल आँख कब दिखाएंगे?... (व्यवधान) चीन के खिलाफ लाल आँख दिखाइए ।... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): सर, इस पर चर्चा होने दीजिए ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : इस पर नोटिस दीजिए। आप जानते हैं कि चर्चा करने का क्या तरीका है? चर्चा के लिए अनुरोध कीजिए **।** Let it be decided in BAC. आप तो जानते ही हैं।

... (व्यवधान)

श्री सुशील कुमार सिंह (**औरंगाबाद**): महोदय, पूरे बिहार में इस वर्ष अनावृष्टि के चलते धान की फसल मारी गई, अकाल की स्थिति आ गई। उसके बाद जहां-जहां नहरों से सिंचाई की सुविधा थी, वहां पम्प के माध्यम से कुछ किसानों ने किसी तरह धान की रोपाई की। उसमें भी एक मधुआ नामक रोग लग गया और उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। जिन लोगों ने धान की रोपनी में, जुताई, कोड़ाई, फर्टिलाइज़र वगैरह में अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, वैसे किसानों का तो दोहरा नुकसान हुआ।

महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा योजना लागू नहीं है, जिसके चलते किसानों को बीमा की राशि नहीं मिल पाती है। बिहार सरकार की स्थिति यह है कि उससे कोई उम्मीद नहीं है। बिहार सरकार तो जहरीली शराब पिला कर सामूहिक हत्याएं करा रही है ।... (व्यवधान) इसलिए वहां के किसानों को बिहार सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि वह उन्हें राहत पहुंचाएगी और उनकी मदद करेगी ।... (व्यवधान) वहां तो फसल बीमा योजना लागू ही नहीं है**,** इसलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग है कि जिन किसानों की फसल मधुआ रोग से बर्बाद हुई है**,** उन्हें उसका मुआवजा भारत सरकार के माध्यम से दिया जाए।

श्री दुष्यंत सिंह (**झालावाड़-बारां**): सर**,** मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं उस राज्य से आता हूं, जिस राज्य में सिर्फ एक प्रतिशत सरफेस वॉटर है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जल जीवन मिशन में हमारी प्रान्त की सरकार को, वर्तमान की काँग्रेस सरकार को वर्ष 2022-23 में 13,328 करोड़ रुपये दिए। पर, उसमें जो पैसे अभी तक लगाए गए हैं, वह केवल 19 प्रतिशत है।

मैं बारां-झालावाड़ क्षेत्र से आता हूं। वह क्षेत्र एक आकांक्षी जिला है। मेरे क्षेत्र में एक बड़ा डैम बनने जा रहा है। वहां के 906 गांवों में पानी पहुंचाने की आवश्यकता है। सरकार ने वहां दो साल का एलोकेशन बढ़ाने की बात कही है। मगर, वर्तमान सरकार ने अपनी एलोकेशन बढ़ाने के लिए सरकार के नम्बर को अच्छा करने के लिए और एक मधुर वातावरण बनाने की बात रखी है।

परंतु, वास्तविक स्थिति यह है कि वहाँ की वर्तमान स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राज्य सरकार को जो काम करना था, उसने अभी तक पूरा नहीं किया है। हमारे जो आकांक्षी जिले हैं, उनमें 21.1 परसेंट काम हुआ है। मेरे झालावाड़ में भी काम नहीं हुआ है।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वर्तमान केंद्र सरकार इस पर ध्यान दें। अभी माननीय मंत्री जी बैठे हैं। हमारे अर्जुन मेघवाल जी बैठे हैं। मैं इनसे भी अनुरोध करता हूँ। आप केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार से माँग करें। जेजेएम का जो काम है, वह केवल एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, बल्कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत स्लो चल रहा है। इनमें काम किया जाए। हमारे जो आकांक्षी जिले हैं, जहाँ से मैं आता हूँ, उन क्षेत्रों में काम कराने के लिए आप कृपा करें।

***DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB):** Thank you, hon. Chairman Sir. Today, I am going to speak about the need for completion of Halwara International Airport. Sir, Halwara falls in my Parliamentary constituency. It is in Raikot Sub-division. Hon. Minister Puri Sir is here. I am thankful to him. In 2018, he had approved this airport under 'UDAN' scheme. At that time, our Government was there and the work was going on in full swing. The terminal

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

building of airport was inaugurated. But, in March, new Government came into power in Punjab. The AAP Party put the work of Halwara International Airport in cold storage.

I have requested the Civil Aviation Minister Shri Jyotiraditya Scindia to please allot 40-50 crore rupees for completion of this project. The present State Government will not complete this project. Their leaders are trying to mislead the people of Punjab.

This is the project of Central Government. Punjab Government is not cooperating of this matter. So, the Central Government should take things in its control and see the completion of project at the earliest. It is the central point of Punjab. Ludhiana is Bittu ji's constituency. It is as adjacent area. It is a very important project. It should not be left to State Government. Rs. 40-50 crore should be given by the Centre and please see to it that it sees the light of the day.

DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Respected Chairperson, Sir, I would like to raise an important issue regarding the practice of gender discrimination in the Indian Armed Forces

The Supreme Court in its judgment in the Secretary, Ministry of Defence *versus* Babita Puniya & Ors. case directed the Union Government to ensure equal opportunity to women in receiving Permanent Commission in the Indian Army, while critiquing the arguments forwarded by the Governments as being rooted in gender stereotypes. As recently as on 21st November 2022, the

Supreme Court has issued notice regarding implementation of the Babita Puniya judgment.

In light of the same, I humbly request that steps be taken to substantially implement the Babita Puniya judgment in the functioning of the Indian Armed Forces. In light of the most recent case in the Supreme Court regarding withholding of selection boards for promoting women officers, while allowing junior male officers to supersede them, it is requested that this practice be terminated immediately as it goes against the judgment in the Babita Punya case.

Further, if there are any segments of the Army, such as combat units, that are unreasonably inaccessible to women aspirants, it is requested that the policy be amended to reflect gender equality in this regard. It is also requested that a gender policy be incorporated in the Indian Armed Forces addressing various concerns such as promotion and also sexual harassment.

Considering the vast disparity of the number of women in the Indian Armed Forces, not only overall, but also at various levels of promotion and different units, it is crucial that steps be taken to ensure gender equality in the Army.

Thank you, Sir.

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): सभापति महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र राजस्थान के छह डिस्ट्रिक्ट्स के साथ लगता है। इनमें हनुमानगढ़, चुरू, जयपुर, सीकर और झुंझुनु हैं। पता नहीं क्या किस्मत है कि हमें एन.सी.आर. में शामिल कर रखा है, लेकिन हमें एन.सी.आर. का कोई फायदा

नहीं मिलता है । इसके उल्टे जो कंडीशन व अड़चनें कनॉट प्लेस में हैं, वही मेरे सिवानी क्षेत्र में है, वही नांगज चौधरी क्षेत्र में है।

जनप्रतिनिधि चाहे वे विधान सभा के हों, पंचायत के हों या पार्षद हों, हम कई बार भारत सरकार के मंत्रियों से इस बारे में मंत्रणा कर चुके हैं । मेहरबानी करके हमें एनसीआर से बाहर निकालिए, ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। पुरी साहब से मेरी प्रार्थना है, आप सहयोगी से बाद में बात करिएगा । साढ़े 12 बज चुके हैं, टाइम कम है । पुरी साहब, आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है कि हमें एनसीआर से बचाओ। मेरा तो दो सौ किलोमीटर दूर का एरिया है, जो राजस्थान के साथ लगता है । हमें आपसे इस बोर्ड के माध्यम से एक पैसे की भी मदद नहीं मिली, उल्टी अड़चनें ज्यादा हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश भी आगे बढ़ सके। आज 70 प्रतिशत हरियाणा का हिस्सा एनसीआर ने ले रखा है।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (**कटिहार**): महोदय, मैं बिहार राज्य अंतर्गत संसदीय क्षेत्र कटिहार में एन.एच. 31 फुलवरिया चौक से राज्य राजमार्ग (डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड), जो बरारी प्रखण्ड के काढ़ागोला गंगा घाट तक जाती है और गंगा नदी के उस पार भागलपुर जिले के पीरपैंती में एन.एच. 80 के पास मिलती है । मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मांग करता हूं कि एन.एच. 31 फुलवरिया से राज्य राजमार्ग (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड) बरारी प्रखण्ड के काढ़ागोला गंगा घाट से पीरपैंती तक, नया एनएच फोर लेन के साथ-साथ गंगा नदी पर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। इसका निर्माण हो जाने से बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल सहित पड़ोसी देश नेपाल तक से जुड़ जाएगा । इसका निर्माण हो जाने से आवागमन सुचारू रूप से हो सकेगा और व्यापार एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह उस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भारत सरकार से इसके लिए मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): महोदय, आज मैं अपने क्षेत्र की बहुत पुरानी समस्या को लेकर फिर से उपस्थित हुई हूं। यहां एक बड़ी और बहुत पुरानी परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से हमारे

सीधी जिले का रेल का सपना साकार होगा। आज तक मेरे संसदीय क्षेत्र के सीधी जिले में रेल नहीं पहुंची है। इससे भी बड़ी कठिनाई आज हम सबके समक्ष आ रही है।

ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के लिए बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है। क्षेत्रवासियों की वर्षों की आशायें इससे जुड़ी हुई हैं।

महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि उक्त परियोजना में भू-अधिग्रहण के बदले रोजगार हेतु सन् 2010 में जब हमारे क्षेत्र के लोगों की जमीनें ली गई थीं, तो उसके तहत कम से कम 2,086 लोगों ने आवेदन किया था। उनमें से मात्र 1,153 लोगों को अभी तक रोजगार मिल पाया है। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह विषय लाना चाहती हूं। कल मैंने उनसे मिलकर अपना आवेदन दिया था और अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से आग्रह भी किया था कि 11.11.2019 में जब एक आदेश रेल बार्ड की तरफ से जारी किया गया था तो उस आदेश के तहत मेरे यहां इस परियोजना में जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत हुई थी, उनको नौकरियां दी जा रही थीं। लेकिन, अब पता नहीं क्या हो गया है? मैं माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी से भी आग्रह करना चाहती हूं, अश्वनी वैष्णव जी से भी आग्रह करना चाहती हूं, जो इतना बड़ा रेल मंत्रालय देख रहे हैं और मैं उनसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि भूमि-अधिग्रहण के बदले में नौकरियां बंद न की जाएं, रोजगार दिया जाए। लोग बड़ी कठिनाई में हैं। जो किसान हैं, युवा हैं, उनका परिवार, सभी लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि किस तरह से हमें इस परियोजना में जिसमें उनकी जमीनें गई हैं, उसके बदले उन्हें नौकरियां मिलेंगी।

मैं अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की ओर से वहां की सांसद होने के नाते और इस सदन की सदस्य होने के नाते, आपके माध्यम से आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी से, हमारी सरकार से और माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि भूमि-अधिग्रहण के बदले ललितपुर-सिंगरौली रेलवे परियोजना में हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सभापति महोदय, मैं कल से एक सूची बना रहा हूं। मैं जब शाम को सदन से गया था तो कल से लेकर अभी तक हमारी सूची 52 तक पहुंच गई है, 52 वे लोग हैं,

जिनकी पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई है कि इतने लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। आज की तारीख में 100 से अधिक ऐसे लोग हैं, जो अंधेपन की स्थिति में है।

बिहार में मेरे संसदीय क्षेत्र और जिले में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की सूची 100 से भी बढ़ सकती है। हम लोगों ने पूरे साल देखा, न भूकम्प से इतने लोग मरे हैं, न तूफान में इतने लोग मरे हैं, लेकिन एक जिले में एक ही समय में जहरीली शराब पीकर लगभग 52 लोगों के मरने की सूची आ चुकी है, मैं इस सूची को लगातार अपडेट कर रहा हूं। मैं जैसे ही यहां से बाहर निकलता हूं, यह सूची बढ़ जाती है।

चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, नीति बनाना सरकार का अधिकार है। अगर बिहार सरकार ने शराबबंदी की नीति बनाई है तो नीति का अनुपालन करना उसकी जिम्मेवारी है। नीति का अनुपालन नहीं होता है और लोग जहरीली शराब पीने से मरते हैं तो उसी राज्य सरकार का दायित्व है, जो खुद नीति का अनुपालन नहीं करती है और इन गरीब लोगों के मरने का पूरा का पूरा दायित्व भी है।

हमारे पास सूची है, वह समाप्त नहीं हुई है, इसमें तमाम जाति के लोग हैं। बिहार सरकार रोज इन गरीबों, पिछड़ा, अति पिछड़ों, दलितों और महादलितों की बात करती है, मरने वालों में सबसे अधिक उन गरीबों की सूची है, जिनके बारे में सरकार दावा करती है। इन लोगों पर गरीबी की मार के साथ-साथ जहरीली शराब की मार भी पड़ रही है। आखिर इसका उत्तर कौन देगा?

चाहे मशरख हो, मढ़ौरा हो, अमनौर हो, इशुआपुर हो, नगर हो, एक जगह एक ही स्थान पर जहरीली शराब से इतने लोग मर गए हैं। आखिर बिहार में यह कैसा नेटवर्क है, एक जगह लोग नहीं मर रहे हैं, यह पूरे जिले में है। इसका मतलब यह तस्करी है, सरकार की विफलता है, लोग मौत से जूझ रहे हैं। आखिर इसकी बिक्री का जाल किसने बिछाया है? राजनीति छोड़िए, राजनीति में संवेदना होती है। कोई न कोई न इसका उत्तर देगा कि इन गरीबों की मौत का जिम्मेवार कौन है? बिहार की स्थिति बहुत खराब है, यह स्थिति इतनी खराब है, 100 लोग मर जाएं और सदन की

संवदेना न जगे, पूरी दुनिया में 100 लोग आज की तारीख में इस प्रकार से नहीं मर जाते हैं। कहीं न कहीं बड़ी विफलता है। ... (व्यवधान)

मेरी सरकार और गृह मंत्री जी से मांग है कि अविलंब एक सेंट्रल टीम भेजी जाए। क्या बिहार सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, क्या सरकार वहां समाप्त हो चुकी है, एक सेंट्रल टीम भेजकर रिपोर्ट मंगाई जाए।

माननीय सभापति: इस विषय पर संबद्ध कर दीजिए। प्रत्येक माननीय सदस्य एक ही विषय पर नहीं बोल सकते हैं।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की तरफ दिलाना चाहूंगा, जहां देश में किन्नू बहुत ही सीमित मात्रा में होता है। श्रीगंगानगर और इसके सीमावर्ती पंजाब राज्य के कुछ जिलों में इसकी पैदावार होती है। पिछले 2-3 वर्षों से मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण किन्नू की पैदावार 40 प्रतिशत ही हो पा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

किन्नू किसान संघ द्वारा किन्नू को फसल बीमा योजना में शामिल करने के लिए भी कई बार मांग उठाई चुका है, फसल बीमा योजना में किन्नू शामिल नहीं है।

पिछले साल किन्नू को बांग्लादेश भिजवाया गया था, किन्नू की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए रेल गाड़ी से वेस्ट बंगाल से बनगांव तक ही किन्नू पहुंचा था, क्योंकि वह सीमावर्ती क्षेत्र था। मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि श्रीगंगानगर से बांग्लादेश तक सीधे किन्नू भिजवाने की व्यवस्था करें।

बांग्लादेश सरकार ने किन्नू के आयात पर आयात शुल्क 28 प्रति से बढ़ाकर 62 प्रतिशत कर दिया है, जिसके कारण बांग्लादेश में किन्नू की कीमत ज्यादा होगी और उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, जिसका खामियाजा भारतीय किसानों को भुगतना पड़ेगा।

इस विषय पर केन्द्र सरकार बांग्लादेश सरकार से आयात शुल्क घटाने के लिए बात करे। मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है कि किन्नू उत्पादक किसानों की समस्या को देखते हुए उचित निराकरण हेतु जल्द से जल्द कार्रवाई करे। धन्यवाद।

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): *Vanakkam* Chairperson, Sir In this very House on 22nd March, this year, the Union Minister for Road and Surface Transport had assured this House that all toll plazas within sixty kilometres of each other would be closed within three months.

Sir, generally, three months is around 92 or 93 days. I do not know how does the BJP Government calculate three months and how many days does it require to remove those toll plazas. It is because it is almost nine months now and no action has been taken.

Sir, in Tamil Nadu alone, it has the largest number of toll gates. That is 57 toll plazas are there and by March, 2023, it is going to be increased to 60. Actually, by this rule of one toll plaza for every sixty kilometres, Tamil Nadu is supposed to have only 16 toll plazas.

I urge upon the Union Minister to implement this at the earliest.

Sir, on the Ulundurpet – Salem National Highway No. 79, there are three toll plazas which are operating for eleven years and there are 26 places where the four-lane road suddenly becomes two lane which causes fatal accidents. It is illegal to collect tolls from those places where the road is not completed.

Sir, I urge upon the Government to take steps.

And the last point I would like to say is this. There is a general rule of 10 seconds at plazas and 100 metres rule, that is, if you are made to wait in a

queue of 100 metres, you are not supposed to pay toll. During holidays, during weekends and during long queues, they are supposed to allow passengers to go without collecting fees. But none of the toll plazas is following this.

I urge upon the Government to give a directive to all the toll plazas to follow the 100 metres rule or the 10 seconds rule.

Thank you, Sir.

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया । मैं सीमांचल से आता हूं । आप जानते हैं कि वह सबसे डिप्राइव्ड एरिया है। साढ़ तीन साल से एएमयू का कुछ नहीं हुआ है और फ्लड से और नुकसान होता है। अब लगता है कि कुदरत भी हम लोगों से नाराज है। In 2019 and 2020, the Central Groundwater Board analysed 634 water samples from Bihar. It was found that about ten odd districts including Kishanganj, Purnia and Katihar contained high levels of uranium and other heavy metals beyond the permissible limit set by the WHO.

Due to the high levels of uranium, iron and arsenic in drinking water in Seemanchal in particular, cases of cancer, kidney, liver and skin diseases have increased manifold in the recent past. Almost 600 and odd patients have come to me for recommendation for their treatment in the last three years. यह कितनी गंभीर समस्या है, आप समझ सकते हैं। Through you, Sir, I would like to urge the hon. Health Minister to set up a diagnostic centre in my Parliamentary Constituency Kishanganj and also a Government Medical College with super speciality oncology and nephrology units for the treatment of cancer, kidney and liver patients of my Constituency. Thank you very much.

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): धन्यवाद सभापति महोदय । मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रूखाबाद को देश की राजधानी दिल्ली से एकमात्र ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस जोड़ती है। यही एकमात्र ट्रेन कानपुर सेंट्रल से चलकर मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रूखाबाद से दिल्ली होते हुए भिवानी तक जाती है।

महोदय, फर्रूखाबाद से प्रयागराज के लिए कोई सीधी एक्सप्रेसवे या रेल सेवा नहीं है। उसके कारण फर्रूखाबाद लोक सभा क्षेत्र के आस-पास के लोगों को, नौजवानों को शिक्षा के लिए, श्रद्धालुओं को संगम के लिए, किसानों को व्यापार के लिए और अधिवक्ताओं या आम जनमानस को हाई कोर्ट के लिए प्रयागराज तक जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ट्रेन संख्या-14723/14724 कालिंदी एक्सप्रेस को बढ़ाकर प्रयागराज तक कर दिया जाए। यह ट्रेन कानपुर में लगभग छ: घंटे खड़ी रहती है। उत्तर-मध्य रेलवे के अधिकारियों ने रेलवे बोर्ड को कालिंदी एक्सप्रेस को प्रयागराज तक बढ़ाने की अपनी सहमति दे दी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आनंद विहार एक्सप्रेस नामक एक साप्ताहिक ट्रेन चलती है, वह सिर्फ रविवार को ही चलती है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस साप्ताहिक ट्रेन को सप्ताह में कम से कम 3 दिन कर दिया जाए।

SHRI VIJAYKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): Sir, I urge and appeal to the Union Government to take adequate precautionary measures using the latest communication technologies to protect fishermen and those living in the coastal areas during cyclones and other natural calamities.

When cyclone hits Tamil Nadu and other coastal States, fishermen from these States are badly affected due to inadequate precautionary measures and failure in fully utilising the latest communication technologies. The Centre has totally failed to come to the rescue of the affected fishermen. In my constituency, Kanyakumari, I request the Government to set up a fully functional Coast Guard

Station equipped with helipads, emergency ambulance services, speed rescue boats etc. I also request the Government to set up seawalls to stop erosion to safeguard the fishermen and their belongings. In the absence of such a set-up and at times of emergency, we are unable to protect the fishermen.

So, I urge upon the Union Government to take necessary steps to protect the fishermen and those living in the coastal areas during cyclones and other natural calamities.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Sir, a large number of young Indians are entering the job market for the first time. They are also entering the middle class for the first time.

However, we see that a large number of young Indians are not equipped with important money management skills as we do not have financial literacy as a part of the formal school education system. Basic concepts and money management skills like investment, savings, retirement planning, mutual funds, cost of money, rate of return, etc. need to be taught to our young people right at the school or college level so that when they enter the job market, they not only know how to plan their financial life properly but they can also plan a better retirement. Most importantly, it prevents a lot of people from falling prey to fraudulent get rich soon schemes, dubious cooperative banks and such debt traps.

My request to the Government through you Sir is on this point. Very seriously, the Ministry of Education must consider introducing financial literacy as a part of the formal school and college education system so that young

Indians who are entering the job market for the very first time are equipped with very important life skills and they can navigate their financial life in a more effective manner. Thank you.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

***SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA):** Hon. Chairman Sir, Punjabis are at the vanguard as far as bravery is concerned. We are proud of our army and our farmers. You must have watched videos circulating where Punjabi army men are beating the transgressing Chinese soldiers black and blue. The video is viral.

Secondly, you must implement the Swaminathan Commission Report. Their loans should be waived off. Cases lodged against them should be taken back.

You help the Punjabis. We will take care of our borders and our farmers will fill the coffers of central pool with surplus foodgrains. Please take care of Punjabis. Country will remain number one.

SHRI B. Y. RAGHAVENDRA (SHIMOGA): Hon. Chairman Sir, I thank you for allowing me to raise an important issue regarding the problems of areca nut farmers.

Sir, areca nut is cultivated in more than ten States of our country. In Karnataka, areca nut is grown in 16 districts including my Lok Sabha constituency, Shimoga. Around ten lakh families are depending upon areca nut cultivation in Karnataka.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

My State produces about 69 per cent of areca nut of the total production of the country which comes to 16,50,000 metric tonnes. It is contributing a huge revenue of Rs. 24,750 crore to the exchequer in the form of GST and cess on various by products.

The growers of areca nut are really in a very pathetic condition. They are reeling under the attack of leaf spot disease.

So, there is a huge decline in the yield and it has come down to less than 40 to 50 per cent. The growers have received another major blow due to the drastic collapse in the price of areca nut. The farmers are living in helpless condition.

Sir, in the last week of September this year, the price of areca nut was Rs.58,000 per quintal which was reduced to Rs.39,000 in the second week of December. So, my request to the Union Government is to impose heavy import duty on imported areca nut, introduce scientifically-developed medicine to cure the diseases and put a stringent mechanism to prevent illegal trade of areca nut to protect the interests of the areca nut growers of Karnataka. Thank you.

*__SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH):__ Thank you Sir for allowing me to speak in Zero Hour. In my Arambagh Sabha constituency's Arambagh block, there is Tirol village panchayat; it is the area adjoining Bardhaman. The farmers in that area mostly grow two types of paddy, 'Atop' and 'Gobindobhog'. Since the price of fertilizers has increased, the farmers are not getting the right price of paddy. The Central Government has raised the price of fertiliser

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

inexorbitantly and there is absolutely no control or regulation Along with that there is potato cultivation for which the state government had asked for 2.5 lakh tonne fertilizer, but the Union government has only released 70,000 tonnes of feriliser, which is not adequate. The farmers are facing lots of hardships due to that. Moreover, 20% export duty has been imposed on the 'Atop' and 'Gobindobhog' rice as a result of which paddy farmers are in deep crisis. These varieties of rice are grown to the tune of 6000-7000 tonnes every month but because of the 20% export duty imposed, the farmers are not being able to export the rice. The markets are being filled with rice from other areas and the local farmers are unable to sell their produce. Thus, through you Sir, I urge upon the Government of India and the Minister of Agriculture to ensure that the farmers of West Bengal are not deprived. I request you to look into and resolve the matter urgently, otherwise the paddy cultivators of my area will continue to be in distress. Thank you.

SHRI P.C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL) : Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to raise an important issue of my constituency.

Bengaluru remains one of the fastest-growing cities in the world. With this fast growth, we are also witnessing very high traffic density. In Bengaluru city, there are 26 manually operated LC gates which are adding to the traffic gridlock. Out of these 26 LC gates, six are between Banaswadi and Hebbal, three are between Carmelaram and Byappanahalli. Others are between Hebbal and Yeshwantpur, Channasandra and Yelahanka, Kengeri and KSR station, KSR

railway station and Yeshwantpur. Every time, when these LC gates are closed, the motorists have to wait for 15 to 20 minutes for each train to pass.

While the Railways has decided to eliminate LC gates across the country, I want to request the Government through you that the Railways should work with the Bengaluru civic body and the Karnataka Government to eliminate these LC gates within the shortest possible time. Thank you.

श्री दीपक बैज (बस्तर) : माननीय चेयरमैन साहब, मेरे लोक सभा क्षेत्र 'जगदलपुर' के माँ दन्तेश्वरी एयरपोर्ट से विमान सेवा 21 सितम्बर, 2020 से शुरू हुई और वर्तमान में एयर एलायंस-72 सीटर विमान का हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर तक लगातार संचालन हो रहा है, लेकिन वर्तमान में यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से विमान सेवा को अन्य शहरों से जोड़ने की आवश्यकता है । जगदलपुर से दिल्ली, जगदलपुर से विशाखापत्तनम, जगदलपुर से बैंगलोर, कोलकाता, भुवनेश्वर तथा नागपुर को जोड़ा जाए । इसके साथ ही फोर्स के लिए इंडिगो का छोटा विमान दिल्ली से जगदलपुर सप्ताह में तीन दिन चल रहा है और वह बाकी दिनों खाली ही रहता है। अगर वह सामान्य नागरिकों के लिए 30 परसेंट आरक्षित हो जाए तो निश्चित रूप से मैं आपका और मंत्रालय का आभारी रहूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब (**कटक**): चेयरमैन सर, धन्यवाद। दिल्ली के द्वारका में एक नाबालिग के ऊपर एसिड हमले की घटना एक बार फिर से स्पष्ट करती है कि समाज में कुंठा और हिंसा की कितनी परतें खुल रही हैं।

कैसे यह रह-रहकर यह सामने आ रही है।

Sir, here, I would like to draw the attention of the Government. The teen was on her way to the school when she was attacked with acid. That acid was purchased online. It is a horrific incident. The girl was to take CLAT exam on 18th December, that is, to get admitted in a National Law University. She has

faced injuries on her face, neck and on her eyes. She has been admitted in Safdarjung Hospital today.

My question is in two parts. Firstly, how is the acid being made available despite Supreme Court's order of 2013 in retail shops or online? Secondly, why are the acid attack victims not being provided money meant for them? Why have they to run from pillar to post?

Sir, the number of acid attacks that have been reported in 2018, is 11; in 2019, it is 10; in 2020 because of COVID, it is only two; and in 2021, it is nine. An amount of Rs. 36.50 lakh has been collected as penalty. But it has not been distributed. I would, therefore, demand that the retail sales of acid needs to be banned completely. If you give sellers and buyers the leeway, the process will be misused. There is also need to have penal provisions of prison and not just fine. Sir, the Government of Bangladesh has already come with a very strict law in this regard. So, why can we not frame a law? I have submitted a Private Members' Bill also for consideration of this House.

I would request the Government to respond to these types of issues.

माननीय सभापति: किसी दूसरे देश का नाम लेने की जरूरत नहीं थी।

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा ।

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर स्थित सरदार सरोवर की मुख्य नर्मदा कैनाल सौराष्ट्र तक जाती है। मुझे गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में हर घर नल से जल योजना का लाभ पूरे गुजरातवासियों को मिल रहा है। इसमें मेरे लोक सभा क्षेत्र स्थिति सरदार सरोवर की अहम भूमिका है।

महोदय, हम पीने का पानी पूरे गुजरात को देने में सक्षम हो पा रहे हैं, लेकिन सरदार सरोवर मुख्य कैनाल के पूर्व भाग के सभी क्षेत्र जैसे छोटा उदयपुर, कंवाट, नसवाड़ी, बोडली, पावीजैतपुर तहसील में खेती की सिंचाई के लिए आज भी बारिश के जल के अलावा कोई अन्य साधन नहीं है और खेती के लिए बारिश के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बारिश नहीं होने पर किसान भाइयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इनकी फसल भी नहीं हो पाती है, जबकि इसके पश्चिम भाग में सौराष्ट्र तक जाने वाली मुख्य कैनाल से खेती की सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है।

महोदय, उसी तर्ज पर यदि पूर्व भाग में भी खेती की सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान कर दी जाए तो यह निश्चित तौर पर किसान भाइयों के लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत जी, आप एक मिनट में अपनी बात रखिए।

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत (कोरबा): सर, यह खेद का विषय है कि बिलासपुर रेल ज़ोन की आय का 80 प्रतिशत हमारा कोरबा देता है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर यात्री ट्रेन्स बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि कोरबा इतवारी को वापसी में कोरबा तक लाया जाए, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को वापसी में कोरबा तक लाया जाए। हसदेव एक्सप्रेस, जो रायपुर से चलती है, उसे आस्था केंद्र डोंगरगढ़ तक चलाया जाए। घेवरा-पेंडरा रोड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पसान रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। अत: पसान में रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

सर, कोरबा-बालपुर-सारागांव रेल ट्रैक बने पांच साल से ऊपर हो चुका है, वहां पर मालगाड़ी चलती है, लेकिन यात्री ट्रेन नहीं चल पा रही है। उसे पूर्ववत चलाया जाए। कोरबा से कटनी मार्ग पर भी यात्री गाड़ी नहीं है, उसको बजट में प्रस्तावित किया जाए। बैकुंठपुर रोड और कटोरा रेलवे स्टेशन के मध्य नवीन रेलवे स्टेशन उरुमदुगा की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान रखा जाए।

13.00hrs.

कोरबा रेलवे स्टेशन की पिट लाइन बनकर तैयार है, जिसमें नई गाड़ियों के परिचालन की सुविधा प्राप्त की जाए। वहां कोरबा-बीकानेर नयी यात्री गाड़ी परिचालन हेतु बजट में प्रावधान किया जाए। कोरबा औद्योगिक नगरी है। चांपा रेलवे स्टेशन पर गीतांजली एक्सप्रेस, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, कर्मभूमि एक्सप्रेस का ठहराव अति आवश्यक है तो निर्देशित किया जाए कि वहां पर ठहराव हो। कोरबा से चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी का सरगबुंदिया एवं मड़वारानी पर ठहराव किया जाए।

श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' (आज़मगढ़) : सभापित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : कोई गीत सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं।

श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' : सभापति जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं, वह एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग-अलग जाति, धर्म, सम्प्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए, उनके सम्मान में उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग-अलग राज्य, धर्म, सम्प्रदाय तथा जाति के नाम पर सेना में रेजिमेंट बनी हैं। ये अहीर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है।

मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। … (व्यवधान) मैं थोड़ी बात और बताना चाहता हूं। जिस दिन इस अहीर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी। … (व्यवधान) सभापति जी, मैं उसका कारण एक सेकण्ड में बता देता हूं। सन् 1962 के युद्ध में रेजांगला चौकी पर 124 अहीर जवान तैनात थे। उन्होंने 100-200 नहीं, तीन हजार चीनी सैनिकों को मारा और चाइना ने यह कहा कि ये अति वीर हैं, इनको हराना मुश्किल है। धन्यवाद।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र मधेपुरा से एनएच 107 और एनएच 106 गुजरता है। वहां एनएच 106 में निर्माण होना था, जो बिहपुर से उदाकिशुनगंज तक

का निर्माण था। उसका नौ साल पहले काम शुरू हुआ। नेशनल हाइवे 107 में पांच साल पहले निर्माण कार्य शुरू हुआ था। एजेंसी के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि दो साल के अंदर उसको काम करके देना था, लेकिन अब तक वह काम पूरा नहीं हुआ है। मंत्रालय बार-बार उसका समय बढ़ाता जा रहा है। उसकी गति इतनी धीमी है कि शायद एक दशक और उसके निर्माण में लग जाए। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि नेशनल हाइवे 106 और नेशनल हाइवे 107 पर जो निर्माण का कार्य चल रहा है, उसको मार्च, 2023 तक हर हालत में पूरा करवा लिया जाए, क्योंकि जनता काफी परेशान है तथा आम लोगों को काफी दिक्कत होती है।

श्री देवजी पटेल (जालौर) : सभापति महोदय, पुरी जी भी यहां विराजमान हैं और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में जोधपुर क्षेत्र में एक गैस ब्लास्ट हुआ, जिसमें भूंगरा गांव के एक ही परिवार के बहुत सारे लोग चल बसे। आज भी हॉस्पिटल में जो लोग हैं, अगर डॉक्टर बाहर निकलते हैं तो वहां से एक ऐसी आहट होती है तो कहीं और कोई तो नहीं चला गया।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो गैस ब्लास्ट हुआ है, उसकी यहां से जांच करवाई जाए, क्योंकि वहां डीएलओज़ लीपापोती कर रहे हैं तो यहां से एक जांच टीम बनाई जाए। उस जांच टीम के द्वारा दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उस परिवार को उचित मुआवज़ा दिया जाए।

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Hon. Chairperson, Sir, recently the Central Government has revoked a very old scholarship scheme for SC, ST, OBC, and minority pre-matric students. As a result, a few crore applications become null and void. Both, formal and residential students would receive Rs. 750 and Rs .1000 at a time as book grant respectively.

Both, Central and State Governments, jointly shared this amount in 75 per cent and 25 per cent ratio. Now, these students are deprived of this monetary help which enabled them to get their education.

Now, a few crore students of the downtrodden communities will have to face a severe and a critical financial situation. … (*Interruptions*)

So, I would like to draw the kind attention of the hon. Prime Minister to this issue and request him to take back this capricious decision and also give opportunity of education to these few crore poor children. This is my humble request. Thank you. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: अनिल फिरोजिया जी, आप कहां हैं? आज कल आप पहचान में नहीं आते हैं। He has reduced some 40 kgs of weight.

…(व्यवधान)

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): माननीय सभापति जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय सदन में रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति जी, नब्बे के दशक में उज्जैन टेक्सटाइल हब हुआ करता था। हीरा मिल, इंदौ टेक्सटाइल, विनोद मिल, समय-काल के गर्त में वे धीरे-धीरे सब खत्म हो गए। बाबा महाकाल के अलावा उज्जैन में रोजगार का कोई साधन नहीं है । मैं आपके माध्यम से कपड़ा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सात टेक्सटाइल हब देश में देने का निर्णय लिया है, उसमें से आप अगर एक टेक्सटाइल हब उज्जैन में देंगे, तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र अम्बाला के धुलकोट रेलवे स्टेशन की ओर दिलाना चाहता हूं, जोकि बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है। जिसके नजदीक वीर जी की कुटिया 10 एकड़ में बनी हुई है, जिसे गीतानंद महाराज जी द्वारा स्वयं बसाया गया था। यहां इस कुटिया में दूर-दराज से लाखों लोग सत्संग सुनने आते हैं। धुलकोट रेलवे स्टेशन नजदीक होने के कारण लोगों का आना-जाना लगातार बना रहता है । यह कुटिया और धुलकोट रेलवे स्टेशन गीता नगरी नामक स्थान पर बसे हुए हैं। जब आज देश और विदेश में गीता

का प्रचार बढ़ रहा है और लोग गीता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में इस श्रद्धा केन्द्र का महत्व और बढ़ जाता है।

मैं सदन में मांग करता हूं कि धुलकोट रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर गीता नगरी रखा जाए। धन्यवाद।

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): Sir, I would like to draw the kind attention of the hon. Minister for Rural Development regarding increment of several monthly pensions under the schemes such as Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme, Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, and National Family Benefit Scheme under the National Social Assistance Programme.

At present, different eligible beneficiaries are getting monthly pensions under several schemes from Central share in addition to the State's top-up share. The said monthly pension amounts are not sufficient enough for the beneficiaries to maintain their livelihood. Hence, through you, I would request the hon. Minister that the Central share in respect of the above-mentioned schemes may be tripled. Thank you.

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव) : सभापति महोदय, वास्तव में, मैं आपको यह कहूं कि

छला गया था मांझी पहले अपने ही पतवारों से
और डोली लूटी राह में सहसा धोखेबाज कहारों से।

जिनके हाथ में सत्ता सौंपी गई, वही आज छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए तैयार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ संगठित भ्रष्टाचार, सट्टा, नशा और अपराध का गढ़ बन चुका है। राज्य सरकार के सर्वोच्च अधिकारी आईएएस अधिकारी, वे कोयला माफिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा माफिया जैसे अवैध धंधे में संलिप्त हैं। हाल में कोयले से संबंधित वसूली का रैकेट ईडी ने

पर्दाफाश किया है। जिसमें राज्य के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी की संलिप्तता सामने आई है।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों के इस अवैध गठजोड़ से स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। भारत सरकार शराब में हो रहे संगठित भ्रष्टाचार की भी जांच कोयले में हो रही जांच की तर्ज पर कराए। क्योंकि इस भ्रष्टाचार में स्वयं प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री ... * संलिप्त हैं । (व्यवधान)

माननीय सभापति : नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्री संतोष पान्डेय: महोदय, दुबई से संचालित भ्रष्टाचार में महादेव बुक हेल्पलाइन, जो सट्टा चल रहा है, उससे संबंधित है। उस पर भी जांच होनी चाहिए।...(व्यवधान)

#SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI): Hon Chairman Sir, Vanakkam. National Highway No 44 passes from Jammu Kashmir to Kanniyakumari. On this highway, a toll plaza is situated at Tirumangalam near Madurai. Thirumangalam – Kollam National Highway is just 4 kilometers from this Toll Plaza. People from the areas like Srivilliputhur, Rajapalayam, Tenkasi and Kadaiyanallur of my Tenkasi Parliamentary Constituency use this National Highway.

The people of these areas are forced to pay the full toll fee just for using this 4 km stretch of road. I therefore request the Union Government and the Minister for Road Transport and Highways to completely waive off the toll fee for this stretch and allow the people living in the adjoining areas to use NH744 without any hindrance.

Thank you.

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

English translation of the speech originally delivered in Tamil.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

मुम्बई का वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार को फिर से खराब स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन इस बार दिल्ली की तुलना में अधिक खराब है। पिछले गुरुवार को खराब स्तर पर पहुंचने के बाद शहर के एएक्यूआई में कुछ सुधार हुआ था। पिछले दिनों वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट के लिए वर्तमान मौसम की स्थिति को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्य रूप से तापमान में गिरावट के साथ हवा की गति में गिरावट के परिणामस्वरूप निचले वातावरण में निलम्बित धूल-कण, पदार्थ लटके हुए हैं।

मुम्बई में नवम्बर और फरवरी के बीच सर्दियों के दौरान सबसे अधिक प्रदूषित दिन देखे गए हैं, जिससे फेफड़े की बीमारी वाले लोगों को साँस लेने में परेशानी हो सकती है, जैसे अस्थमा और हृदय रोग वाले बच्चों और बड़े लोगों में भी इसका खराब स्तर साँस लेने में परेशानी का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले साल महाराष्ट्र में एयरोसॉल प्रदूषण अपने मौजूदा कमजोर नारंगी क्षेत्र से अत्यधिक संवेदनशील लाल क्षेत्र में पहुंच जाएगा।

माननीय सभापति : आप क्या चाहते हैं, यह बता दें।

श्री राहुल रमेश शेवाले: सर, मैं डिमांड कर रहा हूँ।

मुम्बई का जो वायु प्रदूषण है, उसे समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए और केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर मुम्बई के लिए एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। मेरी यही मांग है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I would like to raise a very important and a serious matter concerning lakhs and lakhs of insurance agents in the country.

The Insurance Regulatory and Development Authority of India has taken up the mission of universal insurance. The IRDAI has proposed amendments to change the existing regulations governing the expense of management and also

the commission structure. It is reliably learnt that the total commission is limited to 30 per cent. The IRDAI proposes to set up an insurance market infrastructure where the insurers, the distribution networks, and the policy holders would meet across a same digital platform, named Bima Sugam. Both the proposals are adversely affecting the livelihood of the life insurance and general insurance agents who depend on the insurance sector for their livelihood.

The decision is arbitrary. The situation is alarming, and it is against the interest of lakhs and lakhs of insurance agents.

Hence, I urge upon the Government to stop further proceeding in this regard and discuss the matter with the stakeholders and protect the interest of the life insurance and general insurance agents.

Sir, I am seeking a response from the Minister also. Thank you very much, Sir.

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ।

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति रद्द करने का निर्णय सरकार ने लिया है। यह निर्णय किसी भी पूर्व सूचना के अभाव में लिया गया था। इस साल भी हजारों की संख्या में छात्रों से आवेदन प्राप्त किए गए और अचानक इस छात्रवृत्ति को रद्द करने का निर्णय लिया गया है।

मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि इस पर सरकार जरूर पुनर्विचार करे। राइट टू एजुकेशन में एजुकेशन फ्री है, लेकिन जो छात्र स्कूल जाते हैं, उनके लिए यह छात्रवृत्ति की राशि एक प्रोत्साहन के रूप में काम करती है। बाल मजदूरी में आने वाली पीढ़ियों को न

ढकेलते हुए उनको शिक्षा के मार्ग पर मार्गस्थ करने के लिए इस पर पुनर्विचार करके इस निर्णय को रद्द किया जाए।

धन्यवाद।

***SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA):** Sir, there are several instances of bravery but the bravery shown by our Tenth Guru Shri Guru Gobind Singh ji is unparalleled. He inspired his father towards martyrdom to save the Hindu religion. He was only 9 years old at that time. Then, protesting against forced religious conversion, all 4 sons of the Guru ji attained martyrdom. I thank the Government that the martyrdom day of younger sons Baba Jujhar Singh ji and Baba Fateh Singh of Guru ji will be known as Veer Bal Diwas. They were walled alive at the tender age of 5 years and 7 years. They fought forced religious conversion and became martyrs. There is no other such instance anywhere. We the Sikhs, are feeling bad because we consider them holy spiritual souls, not like common children. They are called Sahibzadas. It should be called Sahibzada Shahid Diwas.

उन्होंने मांग की है कि इसको साहिबज़ादा शहादत दिवस कहा जाए। ... (व्यवधान) मैं सरकार से अपील करती हूं कि इसे वीर बाल दिवस के रूप में न मनाएं। ... (व्यवधान) आप इस वीर बाल दिवस को साहिबज़ादा शहादत दिवस बनाएं। ... (व्यवधान)

श्री मलूक नागर (**बिजनौर**) : सभापति महोदय**,** आपका बहुत**-**बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका किया। ... (व्यवधान) गांव-देहात में पिछड़ों, दलितों और अकलियत समाज के लोगों में शिक्षा की बहुत कमी है।

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

आजकल एक बड़ी बढ़िया व्यवस्था भारत सरकार के अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने की है। उन्होंने 'ग्राम पाठशाला' के नाम से एक संस्था बनाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 2,500 गांवों में और देश के अन्य हिस्सों में लाइब्रेरी खोली है।

अत: मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा प्रोविजन करे, कुछ हिस्सा उसमें डाले, जिससे ज्यादातर गांव-देहात तक लोगों को किताबें और बढ़िया शिक्षा मिल सके। यह आइडेंटिकल इश्यू है, इस तरह के संबंधित विषय पर माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'मन की बात' में भी इन लोगों की तारीफ की है।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मेरा विषय थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप मुझे बोलने के लिए दो मिनट दे दीजिए। … (व्यवधान) जल जीवन मिशन के तहत यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी का विजन है कि हर घर को 'नल से जल' मिले। यह काम वर्ष 2024 तक हो, इसलिए सभी राज्य सरकारों को मदद देने का प्रावधान रखा गया है।

इस संबंध में राजस्थान सरकार को करीब 26,000 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन वह इसे समय पर खर्च नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही जब राशि खर्च करने की बात आई, तो अभी हाल ही में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के जो टेंडर्स जारी किए गए, उनमें उनकी जो बीएसआर की रेट है, वह 43 परसेंट ज्यादा है। ऐसा लगता है कि उसमें जो बंदिश थी कि टेंडरार साइट विजिट करके एक्शन का सर्टिफिकेट लेगा और उसे साथ सब्मिट करेगा, तो जितने भी टेंडर्स वाले हैं, जब उनको यह पता चला, तो उसकी वजह से यह 43 परसेंट ज्यादा आया।

सर, इसका कारण यह है कि भारत सरकार का उसमें 50 प्रतिशत हिस्सा है और 50 प्रतिशत हिस्सा स्टेट का है। लेकिन इसके अलावा 10 प्रतिशत मेरे पाली लोक सभा क्षेत्र के ग्रामीणों को देना पड़ेगा, उनके ऊपर 10 प्रतिशत का भार पड़ेगा। इसमें सैकड़ों-करोड़ों रुपयों का गड़बड़झाला है।

मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय, जो यहां विराजमान हैं, वे इस विषय की इंक्वायरी करें, इसकी जांच करें और यह मामला सीबीआई को दें।

धन्यवाद।

*__SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB):__ Hon. Chairman Sir, in my Lok Sabha Constituency, Shri Anandpur Sahib, there is an area called Garhshankar. Sir, there is a Mehandwani village. There are two factories over there. One is cosmetics factory. Another factory is also there. Both these factories spread so much pollution that air and water of the area has been contaminated. Through rivulet swan, the pollutants flow into river Sutlej.

I had urged the Environment Minister Sir that a Central Pollution Control Board team should be sent there. These factories should be shut down. The team visited the area but nothing has happened.

I urge upon the Government to again send a Central Pollution Control Board team over there and close down both these factories. People of the area will be grateful to you.

Thank you.

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): सभापति जी**,** मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के बीच से होकर गुजरने वाली एनएच 231 लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के रायबरेली से जौनपुर के बीच मार्ग में सर्विस लेन ना होने तथा जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र में अनेक स्थानों पर वन्य अभ्यारण की भांति जानवरों की अधिकता होने, विशेषकर नीलगाय प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अचानक तेज गति से

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

चलने वाले वाहनों के सामने तेजी से दौड़ने वाली नीलगाय टकराती हैं जिससे बड़े-बड़े हादसे घटित होते रहते हैं ।

जनपद प्रतापगढ़ के कई सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय व्यापारियों के साथ इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट चुकी हैं।

मैं आज आपके माध्यम से भारत सरकार की भूतल परिवहन मंत्री से मांग करता हूं कि एनएच 231 के रायबरेली से बादशाहपुर के बीच डिवाइडर एंगल के साथ-साथ सर्विस लेन एवं किनारों पर बाड़ एंगल लगाकर जानवरों से राष्ट्रीय राजमार्ग को सुरक्षित कराए जाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें ।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THEISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
Shri Khalilur Rahaman	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri Uday Pratap Singh	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shri Devaji Patel Shri Rodmal Nagar Shri Ganesh Singh Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Dr. Sanjay Jaiswal	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shrimati Rama Devi Shri Sushil Kumar Singh Shri Jagdambika Pal Shri Devaji Patel Shri Ram Kripal Yadav Shri Janardan Singh Sigriwal

	Dr. Nishikant Dubey Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rahul Kaswan	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Dr. Manoj Rajoria Shri Devaji Patel Shri Dushyant Singh Shri Subhash Chandra Baheria Shri Arjunlal Meena Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Chandra Sekhar Sahu	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri Sushil Kumar Singh	Shri Malook Nagar Shri Girish Chandra Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Dushyant Singh	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shri C. P. Joshi Dr. Manoj Rajoria Shri Arjunlal Meena Shri Devaji Patel Shri P. P. Chaudhary Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Dr. Amar Singh	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Dr. D. Ravikumar	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shri Dhanush M. Kumar DR. DNV Senthilkumar S

Shri Dharambir Singh	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Dulal Chandra Goswami	Dr. Alok Kumar Suman Shri Dileshwar Kamait Shri Mahabali Singh Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Riti Pathak	Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rajiv Pratap Rudy	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shri Gopal Shetty Shri P. P. Chaudhary Shri Jagdambika Pal Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Nihal Chand Chouhan	Shri Subhash Chandra Baheria Shri Dushyant Singh Shri Malook Nagar Shri P. P. Chaudhary Shri Jagdambika Pal Kunwar Pushpendra Singh Chandel
DR. DNV Senthilkumar S	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar Shri G. Selvam Shri Dhanush M. Kumar
Dr. Mohammad Jawed	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Mukesh Rajput	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

Shri Vijaykumar alias Vijay Vasanth	Shri Dhanush M. Kumar DR. DNV Senthilkumar S Shri Jagdambika Pal
Shri Tejasvi Surya	Shri P. P. Chaudhary Shri Gopal Shetty Shri Malook Nagar Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ravneet Singh	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri. B.Y. Raghavendra	Shri Jagdambika Pal Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Bhartruhari Mahtab	Shri Jagdambika Pal Shri Malook Nagar Dr. Shrikant Eknath Shinde Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Shrirang Appa Barne Shri Girish Chandra Shrimati Supriya Sadanand Sule
Shri Devaji Patel	Shri P. P. Chaudhary Shri Dushyant Singh Dr. Manoj Rajoria Shri Rahul Kaswan Shri Subhash Chandra Baheria
Shri P. P. Chaudhary	Shri Dushyant Singh Dr. Manoj Rajoria Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Malook Nagar	Shri Girish Chandra
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	Shri Malook Nagar Shri Girish Chandra
Shri Santosh Pandey	Shri Jagdambika Pal

Shri Dinesh Lal Yadav 'Nirahua'	Shri Jagdambika Pal Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rahul Ramesh Shewale	Dr. Shrikant Eknath Shinde Shri Shrirang Appa Barne Shri Malook Nagar
Shri N.K. Premachandran	DR. DNV Senthilkumar S
Shri Dhanush M. Kumar	DR. DNV Senthilkumar S
Shrimati Gitaben V. Rathva	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Sangam Lal Gupta	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri P. C. Mohan	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजकर बीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.22 hrs.

The Lok Sabha then adjorned till Twenty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.25 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Twenty-Five Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

14.25½ hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up Matters under Rule 377.

Shri Kripanath Mallah – not present.

Dr. Umesh G. Jadhav – not present.

(i) Need to set up a museum for tourists in Satna district, Madhya Pradesh

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मेरा लोकसभा क्षेत्र सतना (मध्य प्रदेश) में स्थित चित्रकूट में भगवान श्री राम 11 वर्षों तक वनवास काल में रहे। मां शारदा मैहर में पवित्र पीठ है। सतना में स्थित भरहुत में बौद्धकालीन उच्च उत्कृष्ट अवशेष मौजूद हैं। यहाँ विश्वस्तरीय व्हाइट टाइगर सफारी मौजूद है। इन सभी स्थानों में लाखों लोग आते हैं, किन्तु पर्यटकों हेतु एक भी संग्रहालय न होने के कारण जिले की प्राचीन विरासत को दिखाने की व्यवस्था नही है।

मैं लम्बे समय से पर्यटन मंत्रालय से एक संग्रहालय स्थापित करने हेतु मांग कर रहा हूँ किन्तु आज तक स्वीकृति नही हो पाई है। कृपया इसकी स्वीकृति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: Shri Sanjay (Kaka) Patil – not present

Shrimati Raksha Nikhil Khadse – not present

Shri Vijay Kumar Dubey

(ii) Need to run Arunachal Superfast Express (Train No. 22411/12) via Kushinagar in Uttar Pradesh

श्री विजय कुमार दुबे (कुशीनगर): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र कुशीनगर है, जिसकी आबादी लगभग तीस लाख है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। यह सभी बौद्ध देशों के लिए धार्मिक स्थल है। इस कारण से यह एक अंतराष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है, जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र कुशीनगर से देश के पूर्वी राज्यों यथा असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम जाने के लिए कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है। मेरे कुशीनगर क्षेत्र के निवासियों को दूसरे जिले में जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। यहाँ मै बताना चाहूंगा कि मेरे जिले में विदेशी पर्यटकों का आगमन भी बहुत ज्यादा है एवं ट्रेन के लिए व्यापारिक संभावनाएं भी बहुत हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि रेल संख्या 22411/22412 अरुणाचल सुपर फास्ट एक्सप्रेस को गोरखपुर से वाया कप्तानगंज, सिवान होते हुए डायवर्ट कर दिया जाए तो इससे कुशीनगर जिले के लोगों को एवं बौद्ध तीर्थ यात्रियों को पूर्वोत्तर राज्यों में आने जाने के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी।

(iii) Regarding implementation of the recommendations of Kamlesh Chandra Committee pertaining to Gramin Dak Sevaks

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, the number of Gramin Dak Sevaks (GDS) presently employed in the country is more than 2.50 lakhs and they render a number of mail and financial services which meet the requirements of rural populace. They are beneficial for the people since they serve in running of Branch Post Offices in rural areas and providing services like sale of stamps, booking etc. The Kamlesh Chandra Committee was set up in 2015 by the Government of India for examining the conditions of service, emoluments and other facilities available to the Gramin Dak Sevaks. However, due to non-implementation of major recommendations of the Committee, there has been resentment and regular demands by Gramin Dak Sevaks regarding improvement in benefits and pay structure. I request the Government to kindly accept the demands of Gramin Dak Sevaks which include provision of ES/CGHS Medical Facility, Housing Allowance, Group Insurance, Education Allowance, increase in gratuity amount and grant of 30 days paid leave in a year and with a provision for carrying forward of leaves subject to the maximum of 180 days along with leave encashment. I also request the Government to implement the recommendations of Chandra Committee in order to improve the working conditions of Gramin Dak Sevaks who discharge several important functions including implementation of Government Schemes in rural areas.

(iv) Regarding CBI investigation in the high profile honey trap and money laundering case in Odisha

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): This is regarding the high-profile honey trap and money laundering case in Odisha, that is hitting the headlines nowadays in the State, leading to the arrest and judicial custody of the alleged kingpin and others.

Enforcement Directorate (ED), which is probing the money laundering angle in the high-profile honey trap case in Odisha, has taken into custody the prime accused on a seven-day remand and is interrogating. Prominent political leaders, besides prominent businessmen, film producers, real-estate tycoons, bureaucrats, and police officials are reportedly honey-trapped by the accused, who was allegedly running a high-profile sex racket to please wealthy and influential customers of different spectrums of the society.

This incident has shaken the conscience of the people at large in the State of Odisha and has practically put the system of our society in particular and the faith of the voters in democracy in general helplessly on the dock. This is not a good sign of a healthy democracy and will lead to a situation where the voters will start losing faith in politicians, elected representatives, bureaucrats and thereby will cause harm to the system itself unless an impartial and thorough inquiry is conducted by a competent agency like the Central Bureau of Investigation and all the culprits are nabbed and tried by a Fast Track Court.

Therefore, I would request the hon. Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions to take up the matter with the State Government of

Odisha and direct the CBI to investigate the entire episode, nab all the culprits and put all the accused persons to trial by a Fast Track Court to restore faith of people back on the system.

माननीय सभापति: श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर जी – उपस्थित नहीं।

श्री रतन लाल कटारिया जी।

(v) Need to convert Patiala to Pehowa, Pehowa to Kurukshetra and Kurukshetra to Ladwa roads to four/six lanes

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): महोदय, यह समय भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष है । आज़ादी के अमृत काल के समय हम आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रख रहे हैं, जिसमे इंफ्रास्ट्रक्चर की गति को नई दिशा दी गई है। आज भारत तीन गुना प्रतिदिन नेशनल हाइवे के विस्तार की गति से काम कर रहा है और प्रतिदिन 36 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहा है तथा आने वाले समय में 50 किलोमीटर का लक्ष्य है।

मैं आदरणीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान पटियाला से पेहवा, पेहवा से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से लाडवा व रिसेप्शन की सड़क की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिस पर आज़ादी के बाद कई गुना वाहनों का परिचालन हो गया है। आज उपरोक्त सड़कों को फोर लेन या सिक्स लेन बनाने की अति आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने गीता ज्ञान की भूमि कुरुक्षेत्र को कृष्णा सर्किट में शामिल किया है। पटियाला से वाया कुरुक्षेत्र, यमुनानगर से बिलासपुर, कपाल मोचन तक की इस सड़क पर हर रोज कई लाख लोगों का अवागमन रहता है। केंद्र सरकार 142 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली नेशनल इनफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर कार्य कर रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त योजना में इस सड़क को शामिल किया जाए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कटारिया जी, धन्यवाद।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (व्यवधान)*

HON. CHAIRPERSON: Only the text will come on record.

… (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

(vi) Regarding inclusion of Mangala Devi Kannagi temple under the PRASAD Scheme

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): I want to bring to the notice of the Government about the neglected condition of the around 2000 years old Mangala Devi Kannagi temple which is located at Pazhiyankudi in Theni District on the border of Tamil Nadu and Kerala.

As per the historical evidence, the temple originally belonged to Tamil Nadu but now it falls in the State of Kerala. The temple surrounded by forest has been closed throughout the year except during the Chitra Pournami festival when thousands of devotees visit the sacred temple of Kannagi.

The Government has launched the PRASAD Scheme with the aim to integrate pilgrimage destinations in a prioritized, planned, and sustainable manner and provide a complete religious tourism experience. Therefore, I would like to urge upon the Government to include the Mangala Devi Kannagi temple under the PRASAD Scheme and declare it as a protected monument under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 along with adequate funds allocation for the preservation of this historical temple.

I also request the Government to allow devotees to visit this sacred Kannagi temple throughout the year, which will not only be beneficial for devotees but also would spread the values of this sacred temple across the country.

(vii) Regarding increasing incidents of leopard attacks in Uttarakhand

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): महोदय, मैं उत्तराखंड राज्य में तेंदुए के हमलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहाड़ी राज्य में, सर्दियों में तेंदुए के हमले बढ़ जाते हैं। अब तक, राज्य में मानव-पशु संघर्ष में 50 लोगों की मौत की सूचना मिली है। हर साल अनुमानित 70 प्रतिशत हमले तेंदुए के हमलों के कारण होते हैं। अब जंगलों से सटे गांवों में रहना असुरक्षित हो गया है। स्थिति दिन-ब-दिन बद से बदतर होती जा रही है और गांव वाले बच्चों, बुजुर्गों या विकलांगों का शिकार करने वाले तेंदुए को लेकर चिंतित हैं। महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक असुरक्षित हैं और वे ही ज्यादातर तेंदुए के हमलों का शिकार होते हैं।

पौड़ी जिले के पोखड़ा और एकेश्वर ब्लॉक तेंदुए के हमले से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और पौड़ी के मंझगांव, भरतपुर और डबरा गांव पूरी तरह से खाली हैं। वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली ब्लॉक एवं बस्ता ग्राम रुद्रप्रयाग वन प्रमंडल में भी घटनाएं घटित हुई हैं। इन इलाकों में तेंदुए के हमले की आशंका से खेती भी प्रभावित हो रही है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य में अन्य बाड़ वाले वन क्षेत्रों में तेंदुओं को पकड़ने और स्थानांतरित करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं ताकि उत्तराखंड के लोगों पर तेंदुओं के हमलों को कम किया जा सके।

(viii) Regarding completion of the Upper Lanth Irrigation Project in Bolangir, Odisha

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, the erstwhile Planning Commission (now *NITI Aayog*) had cleared three irrigation projects in my Parliamentary constituency during 1998. One of them being the Upper Lanth Irrigation Project under Belpada Block of Balangir District. It was to be taken up in the 13th Five-year Plan and completed within five years. It was proposed as one of the poverty alleviation measures of old KBK districts of Odisha supported by Special Central Funding.

This project would irrigate 6170 hectares resulting in 24,699 tonnes of crop production annually, thereby ensuring food security. It would also provide drinking water for about 10,000 families. The generated Micro Hydro Power would help in generating domestic power supply to small scale industries.

The Stage-I forest clearance was given by the Government of India in 2018-19. Subsequently, the Odisha Government has identified and mutated 341.23 hectare of land for compensatory afforestation and deposited the money into the CAMPA account. Compliance to Stage I was submitted to the Government of India in February 2020. Hence, I would request the hon. Minister of Jal Shakti to review the status of the project in order to expedite the completion of the Upper Lanth Irrigation Project in Bolangir, Odisha.

(ix) Need to rejuvenate historical and religious sites in Badayun and develop the place as a tourist destination

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): महोदय, बदायूं प्राचीन काल से कौशल साम्राज्य का अभिन्न अंग रहा है। भारत वर्ष विभिन्न विधाओं के साथ अपने गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है। ऐतिहासिक दृष्टि से बदायूं का अतीत अत्यंत गौरवशाली और महिमा मंडित रहा है पुरातात्विक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक दृष्टि से बदायूं का अपना विशेष स्थान है। बदायूं हिंदू मुस्लिम सदभाव, आध्यात्मिक, वैदिक, पौराणिक,शिक्षा, संस्कृति, संगीत, सुंदर भवन, धार्मिक मंदिर, मस्जिद, ऐतिहासिक दुर्ग, गौरवशाली संस्कृति कला की प्राचीन धरोहर को आदिकाल से अब तक समेटे हुए है। यदि हम बदायूं के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो बदायूं स्थित गौरी शंकर मंदिर, बदायूं से लगभग 1 मील दूर बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त है, कछला में भगीरथी गुफा, नगला मंदिर, मंगला माता मंदिर, जामा मस्जिद, छोटे बड़े सरकार की दरगाह, नवाब इखलास खां का रौजा (काला ताज), सरसोंता, हरिबाबा बांध, जैसे तमाम ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। अतः अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि बदायूं के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थालो का जीर्णोद्धार कार्य कराया जाये और बदायूं को पर्यटन से जोडा जाए । जिससे इतिहास भी जीवित रहे और आर्थिक विकास का भी मार्ग मिल सके।

(x) Regarding payment of dues of employees of Triveni Structural Limited, Prayagaraj, Uttar Pradesh

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (**इलाहाबाद**): माननीय सभापति जी, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (TSL) एवं भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (BPCL) दोनों ही भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कंपनियां नैनी, प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं जिनका परिसर भी मिला हुआ है। यहां तक कि कई बार दोनों कंपनियों के सीएमडी भी एक ही थे। भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार कंपनी को न चलाने एवं इसको बंद करने के निर्णय पर बीपीसीएल के लिए CCEA द्वारा अनुमति प्राप्त की गयी है, जबकि TSL के लिए कंपनी न चलने का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने कंपनी बंद करने का आदेश पारित किया, साथ ही यह भी कहा कि बंदी आदेश से VRS/VSS प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। BIFR/AAIFR मात्र सलाहकार निकाय (Advisory Body) है जिनके आधार पर मंत्रालय के अधिकारियों को CCEA द्वारा अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अपना पक्ष उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था जिसे पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से TSL के कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकरण की समीक्षा करते हुए निवेदन है कि TSL के कर्मचारियों को न्यायिक प्रक्रिया से अलग करके, उनके देयों का भुगतान मंत्रालय स्तर पर कराया जाए। भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (TSL) में रूचि न रखने के कारण संस्थान के कर्मचारी भुखमरी से जूझ रहे हैं, जबकि भारी उद्योग मंत्रालय की ही एक अन्य कंपनी जिसकी भौगालिक स्थिति अगल-बगल की है, पर पूर्णतया नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों का पूरा भुगतान एवं पुनर्वास हेतु VRS/VSS की सुविधा दी गयी है। BPCL में कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात कंपनी के असेट्स को बेचा जा रहा है अर्थात संपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। TSL में भी कमचारियों का भुगतान करने के पश्चात इसकी संपत्तियों को ऑफिशियल लिक्विडेटर के द्वारा बेचा जा सकता है।

(xi) Need to formulate a special programme for imparting higher and technical education to students in tribal areas of the country

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): भारत सरकार देश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के युवाओं के विकास को ध्यान में रखकर तमाम शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन कर रही है । इसके बावजूद इन क्षेत्रों के काफी ऐसे युवा छात्र हैं जो धन के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । देश के पिछड़े ट्राइबल क्षेत्रों के छात्रों के समग्र विकास तथा उन्हें देश की मुख्यधारा में लाने के लिए उच्च तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि वे अपना समग्र विकास करके देश की उन्नति में अपने योगदान से वंचित न रह सकें । आज जब हमारा देश 21वीं सदी के दुनिया के तमाम विकासशील देशों को पीछे छोड़कर आगे निकल रहा है तब हमें अपने पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं को उच्च शिक्षा तथा तकनीकी से जोड़कर देश की मुख्यधारा में लाने के सतत प्रयास करने चाहिए । इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के छात्रों की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु तत्काल एक विशेष कार्यक्रम बनाया जाए ।

(xii) Regarding alleged irregularities in implementation of Jal Jeevan Mission in Rajasthan

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं जल जीवन मिशन योजना के तहत राजस्थान और मेरे लोकसभा क्षेत्र उदयपुर (राजस्थान) में हो रही अनियमितताओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

सरकार ने प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना शुरू की है, परंतु इस योजना का फायदा आम आदमी को नही मिल रहा है। मेरे लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में स्वयं मेरे द्वारा गोद लिए गए, सांसद आदर्श ग्राम ढेलाना में मैंने पाया कि वहाँ घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन बिछा दी गई है, जिससे कई पाइपलाइनों से पानी लिकेज होकर व्यर्थ बह रहा है एवं कई कनेक्शंस आधे-अधूरे पड़े हैं।

वेंडर एप्रूव्ड करने के लिए जो मापदंड बने हुए हैं, उनको ताक में रखकर अवैध तरीके से वेंडर एप्रूव्ड कर रहे हैं। कंपनी से ही पी.डी.पी.ई. पाइप और अन्य सामान के सैम्पल सीधे टेस्टिंग लैब में न भेज कर अवैध तरीके से पास कर दिया जाता है और घटिया पाइप लगाकर भुगतान कर दिया जाता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर मैं भारत सरकार से माँग करता हूँ कि राजस्थान और मेरे लोक सभा क्षेत्र उदयपुर में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जाँच स्वतंत्र एवं निष्पक्ष केन्द्रीय एजेंसी से करवाने का श्रम करावें।

(xiii) Need to prevent accidents at Ganesh Ghat on Agra-Mumbai highway

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के आगरा-मुम्बई राजमार्ग पर गणेश घाट जो कि एक खतरनाक दुर्घटना स्थल के रूप में उभर कर आया है। यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है। मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि इस समस्या के समाधान हेतु प्रयास किए जाएं, जिससे दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके और आम जन को सुविधा उपलब्ध हो सके। ऐसे स्थलों को चिन्हित करके उनका समाधान किया जाए।

HON. CHAIRPERSON: Dr. Sujay Vikhe Patil - Not present.

Shri Rajmohan Unnithan - Not present.

Shri D.K. Suresh - Not present.

(xiv) Regarding completion of construction work of NH No.65 Connecting Hyderabad and Vijayawada

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): Sir, I would like to bring to your kind notice that NH No.65, which connects the two most important cities of Hyderabad in Telangana and Vijayawada in Andhra Pradesh, has heavy vehicular traffic. There was a commitment to improve the road and rail connectivity between the two cities under Andhra Pradesh State Reorganisation Act, 2014.

The Government has already taken up the work of 6/8-laning of the 40 km of the highway on Hyderabad side. However, no work has been taken up on the balance stretch of over 200 km of the highway that is operated and maintained by two Concessionaires under NHAI. The capacity of the 4-lane highway (60,000 PCU) has already exceeded by almost 50 per cent length. The 6-laning is to be carried out by the Concessionaire and hence no funding is required by the Government or the NHAI. There have been many accidents resulting in loss of life at many junctions and there are eight identified black spots. There is a huge resentment in local public due to congestion and frequent accidents.

I request the hon. Minister of Road Transport and Highways, to take up this matter on top priority.

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Kanimozhi Karunanidhi - Not present.

(xv) Need to take steps to control road accidents

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): Thank you, hon. Chairperson, Sir. Road accidents have caused 1.5 lakh deaths each year since 2015. The accidental death rate in India is 18.9 per 1,00,000 people. The country loses 3 per cent of its GDP due to road accidents. These figures show that road safety is a matter of serious concern for India. Poor road infrastructure, delay in ambulance medical services and unauthorised speed breakers are the major reasons.

Human resource, budget constraint of Public Works Department as well as failure of civic agencies to coordinate with and poor traffic rules enforcement also add to the high death rates due to road accidents.

The Central Government has introduced policies and legislations to lower deaths due to accidents including the National Road Safety Policy. However, more steps can be taken. I would like to suggest some solutions like 10 per cent of the funds of PWD must be earmarked for maintenance of roads. National Safety Board must be made operational. Transport Data Centre at the national level should conduct applied research on roads

Accountability of contractors responsible for construction of road, streamlining medical services and other agencies to avoid delay in providing medical attention during the golden hour can reduce the deaths.

Further, I request for vehicle safety features such as electronic stability control, effective Car Crash Standards, and advanced braking be made mandatory in cars with less than 4 airbags.

(xvi) Regarding repair of road adjacent to Dakshin Barasat Railway Station, West Bengal

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR) : Chairman, Sir, due to dire need of the people of my Constituency, I had spent an amount of Rs. 23 lakh for construction of a black top road from Uttar Kalikapur PWD road towards Dhruba Chand Halder College in the year 2016-17. The road falls under the jurisdiction of Railways. It is adjacent to Dakshin Barasat Railway Station on the Sealdah Joynagar line. It is the lifeline in terms of connectivity for thousands of passengers mainly students. With passing of time, the condition of the said road has deteriorated and needs immediate repairing. I would have taken a step towards the same through my MPLAD fund but since it was suspended for two years, the burden on it is immense. Therefore, I would request the hon. Railway Minister to take necessary action for including the said road under the railway maintenance map and get it repaired at the earliest.

(xvii) Need to construct a bridge on Punpun river between village Ankuri and Village Jakhora in Karakat Parliamentary Constituency, Bihar

श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र काराकाट (बिहार) के अन्तर्गत औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड के पंचायत- मीरपुर के ग्राम- अंकुरी और हसपुरा प्रखण्ड के पंचायत मलहरा के ग्राम- जखौरा के बीच में पुनपुन नदी पर पुल नहीं बनाने के कारण नाव से इस पार से उस पार जाने के क्रम में लगातार सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं। नदी के इस पार और उस पार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) रोड भी है। ये पुल बन जाने पर गोह प्रखण्ड और हसपुरा प्रखण्ड की दूरी काफी कम हो जाएगी, और देवकुंड तीर्थ धाम एवं अरवल होते हुए पटना जाने में काफी आसानी होगी । यह क्षेत्र नक्सल प्रभावी क्षेत्र है। नक्सली गतिविधियों पर काबू पाने में पुलिस को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है| पुल के अभाव में नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ग्राम- अंकुरी और ग्राम- जखौरा के बीच में पुनपुन नदी पर पुल अतिशीघ्र बनाया जाए।

(xviii) Regarding arsenic poisoning in drinking water

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Referred to as the largest poisoning source in the history of the world, arsenic in drinking water has been a major cause of cancer in stomach, lungs, skin, cervical, and many more health diseases. Even the children at schools are drinking water with high levels of toxic chemicals. The incident, where thousands of children from over 300 schools in Western Uttar Pradesh used toxic water of high arsenic and lead levels, is still not out of our mind. Amroha has been witnessing poor water quality over recent years and cases of cervical cancer are increasingly reported in the constituency. This is alarming since the current and upcoming generation is at great risk of cancer. Therefore, I would like to request the Ministry of Jal Shakti to take note of this matter and undertake immediate action against responsible industries found guilty of contaminating water and direct PCBs to effectively monitor water quality in the State.

(xix) Regarding holding of simultaneous elections

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): In a country with a population of 1.38 billion people, going to elections every two to three months, the hope of transformation takes a backseat to political competition and campaigning. This non-stop run of elections at multiple election units often leads to the freezing of policies, schemes and projects till the process of elections ends. During elections, the entire State and Central machinery are deployed in the execution of safe and fair elections which evidently leads to the halt of public service delivery and a loss of working days for the Government staff. Moreover, these departments are not only resource-strapped but also low on staff. Not only this, multiple elections cause a burden on the exchequer which is not fiscally prudent. The 2014 general election is estimated to have costed Rs 3,870 crore to the Consolidated Fund of India. Hence, I would like to propose that a model of holding simultaneous and synchronized elections be taken into consideration.

HON. CHAIRPERSON: Shri M. Selvaraj – Not present.

(xx) Regarding doubling of the Tenali-Guntur railway line and providing its halt near Suddapalli level crossing

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Tenali-Guntur line doubling with electrification was taken up three years ago with an objective to complete within 18 months but is still languishing. The pace of execution of this project is causing concern and at this pace there is every possibility of time and cost overrun. The line is just 24.5 kms and has got all necessary approvals. In addition to expediting the work, there is also a need to extend it up to New Guntur station.

Between Guntur-Tenali, Vadlamudi is a place where we have dairy, fodder factory, university and, its affiliated colleges. Two medical colleges with attached hospitals are likely to come up. To reach Vadlamudi, people are using road only. If a halt is provided near Suddapalli Level Crossing (LC) where Railways have got its own land, it will be of utmost use to commuters and future traffic.

Hence, I request the Minister of Railways to ensure completion of this project within a fixed timeframe.

15.00hrs.

HON. CHAIRPERSON: Now, the House shall take up Item No. 14, further discussion on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2022.

Dr. Nishikant Dubey *Ji.*

15.01hrs.

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (SECOND AMENDMENT) BILL, 2022* -- Contd.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में तमिलनाडु की जो दो जातियां, नरिकोरावन और कुरिविकरन हैं, इन दोनों जातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब में लाने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस पार्लियामेंट में जब भी शेड्यूल्ड कास्ट में कोई अमेंडमेंट की बात आती है या शेड्यूल्ड ट्राइब में इन्क्लूजन या एक्सक्लूजन की बात आती है तो मैं हमेशा देखता हूं कि सांसदों की इच्छा रहती है और उनको लगता है कि यह छोटा बिल है, इसलिए इस पर क्या चर्चा होनी है। संख्या चाहे इस तरफ की हो या उस तरफ की हो, मैं हमेशा देखता हूं कि उसमें उतना इंट्रेस्ट नहीं रहता है। लेकिन, हम सभी चुनाव लड़ने जाते हैं। जाति इस भारतीय समाज की एक रिएलिटी है और जाति के आधार पर ही मैक्सिमम वोटिंग पैटर्न है और वोट होता है। मोदी जी की बात अलग है कि उनके नाम पर सारी जातियां टूट जाती हैं। लेकिन, इसके पहले, उसके बाद या इसके बाद जो कुछ होना है, मेरा इस बिल के बारे में हमेशा से मानना है कि – 'देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर'। जिन जातियों को आजादी के 75 साल बाद उनका हक मिल जाता है, आप समझ सकते हैं कि उनके घर में कैसी होली-दीवाली मनती होगी। 75 सालों से जो जातियां आज तक एक्सक्लूडेड हैं, उनके यहां कैसी समस्या होती होगी? यदि उनके बारे में देखेंगे, जब भी यह चर्चा होती है, मैं वर्ष 2009 में सांसद बना

* Further discussion on the motion for consideration of the Bill moved by Shri Arjun Munda on 09.12.2022

हूं, यहां कोई ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट की चर्चा नहीं हुई, जिसमें मैंने भाग नहीं लिया। मेरे भाग लेने के पीछे रीजन है। 70-75 साल की शासन व्यवस्था में जनता ने कांग्रेस को वर्षों तक शासन चलाने का मौका दिया। वर्ष 1950 के पहले, मैं एक कागज लेकर आया हूं कि वर्ष 1935-36 में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का नोटिफिकेशन कैसे हुआ और ब्रिटिश काउंसिल ने शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट का नोटिफिकेशन कैसे किया? जब कांस्टिट्यूएंट असेंबली बैठी तो वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 1950 तक में वर्ष 1935-36 का शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो नोटिफिकेशन था, उसमें सब कुछ उसने उसी तरह से डाल दिया। जब 26 जनवरी, 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो एग्जैक्ट वही नोटिफिकेशन चला आया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और यह तय हुआ कि जो नोटिफिकेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है उममें काफी लूपहोल्स हैं। वर्ष 1956 में, इन लोगों को कमेटी बनाने की बड़ी आदत है, इन्होंने कालेलकर कमेटी बनाई। कालेलकर कमेटी ने अपनी रेक्मेंडेशन दी कि ऐसी-ऐसी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जातियां हैं और इनको जोड़ना चाहिए।

उस कमेटी से ये लोग संतुष्ट नहीं हुए । वर्ष 1965 में, उस वक्त मदन बी लोकुर सेक्रेटरी लॉ थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी। उनसे कहा गया कि तुम एक ऐसा लेजिस्लेशन लेकर आओ जिस लेजिस्लेशन के आधार पर इन्क्लूड भी हो जाए, एक्सक्लूड भी हो जाए और एक कांम्प्रिहेंसिव बिल के आधार पर वर्ष 1950 के नोटिफिकेशन में जो लूपहोल्स रह गये हैं, उनको दूर कर पाएं। उसकी रिपोर्ट आ गयी। वर्ष 1967 में इसी पार्लियामेंट में वह बिल इंट्रोड्यूस हुआ। यह जो ट्राइबल मंत्रालय है, इसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे प्रधान मंत्री थे, हम लोगों को उनके प्रति शुक्रगुजार और कृतज्ञ होना चाहिए कि यह जो सारा सोशल जस्टिस का पार्ट था - चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो या ओबीसी हो, सोशल जस्टिस मंत्रालय का जो शेड्यूल्ड कास्ट का पार्ट था, उन्होंने उससे ट्राइबल मंत्रालय को अलग कर दिया। इसलिए, ट्राइबल का बिल अलग आता है। लेकिन, उस वक्त एक सोशल जस्टिस मंत्रालय ही था। वह बिल इंट्रोड्यूस हुआ। वर्ष 1967 में वह बिल इंट्रोड्यूस हुआ। उसमें दो साल लग गए।

यह पार्लियामेंट है, हम लोग यहां सोचते हैं कि हम यहां जो बोलते हैं, उसका बहुत मतलब होता है। जेपीसी बन गई, क्योंकि चाहे हम अपोजिशन में हों या कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में हो, कोई भी मुद्दा हो, तो सबको लगता है कि जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ। जैसे जेपीसी बनाना बहुत बड़ा काम है। उस वक्त भी हंगामा हुआ कि जेपीसी बनाई जाए। सन् 1967 में उस बिल के इंट्रोडक्शन के बाद एक जेपीसी बनी। तब कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मेंबर ए. के. चंदा साहब थे, उन्होंने जेपीसी को लीड किया। उस बिल के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी सीरियस थी। हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ श्री नेता सुंदर सिंह भंडारी साहब थे, वे भी इस कमेटी के मेंबर थे।

मैं आपको बता सकता हूं कि उस जमाने में भारतीय जनसंघ था। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए चिंतित रहती है। तब कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने काफी चीजों का विरोध किया और हम लोग उनको बहुत सम्मान और आदर देते हैं, वे कार्तिक उरांव साहब हैं। कार्तिक उरांव साहब भी उस जेपीसी के मेंबर थे। सन् 1969 में जेपीसी की रिपोर्ट आई। हमारा जेपीसी के बारे में यह मानना है कि जेपीसी का जो रेकमेंडेशन्स हैं, वे पर्सूएसिव होती हैं। जेपीसी जो रेकमेंड करती है, मोर और लेस सरकार को उसको मानना चाहिए या सरकार उसको मानती है।

मैं आज वही रिपोर्ट लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे यहां कई एक दुविधाएं हैं। उन लोगों ने सन् 1969 में क्या सोचा था और आज भी हम लोग कितने परेशान हैं। हम हमेशा शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी एमपी हो, हम शेड्यूल्ड कास्ट के लिए काम करेंगे, हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए काम करेंगे, हम दलितों के लिए करेंगे, पिछड़ों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, लेकिन आज क्या सिचुएशन है? हमने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उनके एक एरिये में कन्फाइन कर दिया है, एक राज्य में कन्फाइन कर दिया है।

यदि आज बिहार का कोई आदमी अपने पिता के साथ महाराष्ट्र में नौकरी करने के लिए जाता है, यदि वह आरक्षण के आधार पर नौकरी पाता है और वह महाराष्ट्र में बस जाता है, तो महाराष्ट्र में उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का यही भला कर रहे हैं? हम उनको एक राज्य में कन्फाइन कर रहे हैं। उस वक्त की कमेटी के लोग यह समझते थे। मैं इस हाउस में उसकी केवल दो रेकमेंडेशंस पढ़ना चाहता हूं कि हम 53 सालों के बाद भी जेपीसी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाए हैं।

महोदय, आज समस्या है। हमारे यहां के कई ऐसे एमएलएज़ हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के आधार पर जीतकर आते हैं और उनके खिलाफ माहौल बन जाता है। ऐसे कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। असम के चाय बागान के लोग जो संथाल हैं, हमारे यहां के लोग हैं, वे इतने वर्षों से रो रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला है। उसके लिए कमेटी बनाई गई और माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए चिंतित हैं। मैं उस कमेटी की दो रेकमेंडेशंस पढ़ना चाहता हूं कि हमने क्या नहीं किया। यदि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया और हमें क्या करना चाहिए। उसकी दो बड़ी ही अच्छी रेकमेंडशंस हैं। उन्होंने जो पहली रेकमेंडशंस दी है -

> "At present, if a Scheduled Caste person belonging to any particular State migrates to some other State, he will not be treated as Scheduled caste unless his caste is included in the list of Scheduled Caste of the State to which he has migrated. The Committee feels that this entails hardship and is also not equitable in as much as the Member of the Scheduled Caste continues to suffer from the various disabilities arising out of the traditional practice of untouchability. His economic and social status does not necessarily improve by migration and he needs special assistance. The Committee have, therefore, inserted a provision to the effect

that a Member of Scheduled Caste who migrates to another State will continue to be treated as a Scheduled Caste of the State to which he has migrated.”

HON. CHAIRPERSON: It is State specific.

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, आज क्या है? इसका मतलब ये है कि हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का डेवलेपमेंट चाहते ही नहीं हैं। हम चाहते ही नहीं हैं कि उनके बच्चे आईएएस बनें, आईपीएस बनें, इंजीनियर बनें या डॉक्टर बनें, हम तो उनको एक सीमा में बांधकर रखना चाहते हैं। यह क्या है? इस पार्लियामेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी जो मेन रेकमेंडेशन है, कल मैं इस संसद में बोल रहा था। कई लोगों को लगता है कि एक शेड्यूल्ड कास्ट अनटचेबिलिटी है। उसका जो मेन विषय है, वह अनटचेबल है। हमने अनटचेबिलिटी के कारण ही उसको अपलिफ्ट करने के लिए आरक्षण दिया है।

HON. CHAIRPERSON: An untouchable in a particular State may not be an untouchable in another State.

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, यह हमेशा होगा। मैं कास्ट को इंनक्लूड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अनटचेबल, अनटचेबल है। जब उसकी शादी होगी तो पूछा जाएगा कि उसके बाप-दादा कहां थे और पता चलेगा कि वह वहां पर शेड्यूल कास्ट का था तो मैं आज इतना होने के बावजूद भी आपको कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं मन में फीलिंग होगी कि ऐसा कैसे हो गया, हम उसके साथ शादी करें या नहीं करें। उसके साथ जो कास्ट का इश्यू लगा हुआ है, वह लगा रहेगा। दूसरा, मुंडा साहब यह कोटेशन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है।

“The Committee also considered the question as to whether a member of Scheduled Tribe should continue to be treated as a Scheduled Tribe after conversion to another religion”.

सर, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। यह कांग्रेस के ही लोगों ने कहा, क्योंकि जेपीसी तो उन्हीं की ही थी, उन्हीं का शासन था, उन्हीं के चेयरमैन थे। यह यूनेनिमस डिसिजन है और कमेटी का जो फाइनल जजमेंट है, उसे ही मैं कोट कर कर रहा हूँ।

"The Scheduled Tribe should continue to be treated as a Scheduled Tribe after conversion to another religion other than a tribal religion, the Committee are of the opinion that no person who has given up the tribal faith or faiths or has embraced Christianity or Islam should be deemed to be a member of Scheduled Tribe. Amendment to Scheduled Tribes Orders have been made accordingly".

सर, यह सन् 1969 की रिपोर्ट है। आज भी हम आर्टिकल 341 और 342 चिल्लाते रहते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए हमने यह कह रखा है कि यदि आप जैन, बौद्ध और सिख, जो कि इंडियन धर्म हैं, उनको छोड़कर यदि आप क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्ट होंगे तो आपको हम शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं देंगे। हम शेड्यूल ट्राइब में ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब के एक नेचर के आधार पर हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है। वह जैसे ही क्रिश्चियनिटी या इस्लाम कबूल कर लेता है, चूँकि मैं उसका सबसे बड़ा भुगत-भोगी हूँ।

सर, साहिबगंज मेरे बगल का जिला है। वहां की एक महिला शेड्यूल ट्राइब के नाम पर वहां की जिला परिषद की चेयरमैन है। उसके बच्चे मुसलमान हैं, उसका पति मुसलमान है, उसका सारा फेथ बदल गया है। आज उसके बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं तो वह शेड्यूल ट्राइब नहीं है?

इसमें दो नोट ऑफ डिसेंट आए, उसमें एक सुंदर सिंह भंडारी जी का भी नोट है। मैं सुंदर सिंह भंडारी जी को कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा:-

"असम के चायबागान के जो लोग हैं, वे इतने दिनों से परेशान हैं और जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना चाहिए।"

उन्होंने दूसरी बात यह लिखी:-

> "जनजाति का जो व्यक्ति इस्लाम अथवा ईसाई मत को स्वीकार करेगा, उसे अनुसूचित जनजाति का सदस्य न माना जाए। प्रवर समिति द्वारा यह निर्णय ले लिए जाने के उपरांत भी सूचियों में कुछ ऐसी जनजातियों व उपजातियों के नाम रह गए हैं, जिनके सभी सदस्य इस्लाम तथा ईसाई मतावलंबी हैं, उन नामों को सूची से हटा देना चाहिए।"

उस वक्त की सरकार ने इसे नहीं माना।

सभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घटवार/घटवाल और खेतौरी हमारे यहां की जातियां हैं। मैंने 1935-36 के ब्रिटिश शासन की बात को कोट किया है तो इन जातियों के लोग उस समय शेड्यूल ट्राइब थे और जब सन् 1950 में इसका नोटिफिकेशन होने लगा तो घटवार/घटवाल और खेतौरी इससे बाहर रह गए। ऐसा कोई सेशन नहीं रहा, जब मैंने इस मुद्दे को न उठाया हो। वर्ष 2014 में एक कमेटी Report of the *Task Force* on Scheduling of Tribes and Matters related there to बनी थी। यह हृषिकेश पाण्डा कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें स्टेट के लोग, शेड्यूल कास्ट/शेड्यूल ट्राइब कमीशन के लोग और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के भी लोग मैम्बर थे। उस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया था और इस रिकमेंडेशन में उसने कहा कि इस देश में कई एक ऐसी जातियां हैं, जिनका हिस्टोरिकल ओमिशन हो गया है। उसका कोई कारण नहीं है। उनको न तो कालेलकर कमेटी ने हटाया, न लोकुर कमेटी ने हटाया, न उनको चंदा कमेटी ने हटाया, न जेपीसी ने हटाया, न किसी राज्य सरकार ने उनको हटाया और न ही केन्द्र सरकार ने हटाया। लेकिन कई एक ऐसी जातियां हैं, जिनमें हमारे यहां की घटवार/घटवाल और खेतौरी जनजातियां हैं, जो कि पहले जनजाति थीं। कास्टियर साहब की किताब को इस टास्क फोर्स की किताब में कोट किया गया है। इसमें सन् 1872 का ऑर्डर है कि सन् 1790 तक, जहां से मैं आता हूँ, वहां पर एक भी संथाल नहीं था, लेकिन आज मेन आदिवासी संथाल को ही माना जाता है। कास्टियर साहब ने कहा कि वहां घटवार/घटवाल, खेतौरी और पहाडिया जनजाति के लोग थे।

यदि आप एरिया स्पेसिफिक कर रहे हैं, शेड्यूल स्पेसिफिक कर रहे हैं तो जिन लोगों का वहां हक था और जिन लोगों का हक अन्य लोग मार रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां कन्वर्जन का यह परिणाम है, इस्लामीकरण का यह परिणाम है कि पहले झारखण्ड में जो आदिवासी 27 प्रतिशत हुआ करते थे, आज वे 26 प्रतिशत हो गए। यही कारण है कि पूरे देश में डिलिमिटेशन हो गया, लेकिन हमारे यहां डिलिमिटेशन नहीं हो पाया, क्योंकि यदि डिलिमिटेशन हो जाता तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लोक सभा की एक सीट और विधान सभा की तीन सीट्स कम हो जातीं।

इस कारण से सरकार ने यह माना और यह फैक्ट है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट्स घटनी नहीं चाहिए। इसलिए जो संख्या घट रही है, जो असली, जेनुइन आदिवासी हैं, उनको इसमें इनक्लूड करना चाहिए। जो हृषिकेश पाण्डा कमेटी की रिपोर्ट है और जो उन्होंने कहा है कि यह हिस्टोरिकल ओमिशन है, उसे इनक्लूड करके, आपको एक कांप्रिहेंसिव बिल लेकर आना चाहिए, जिससे हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो न्याय देना चाहते हैं, खासकर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, क्योंकि द्रौपदी मुर्मु जी को राष्ट्रपति बनाकर हमने आदिवासियों को सम्मान दिया है। आप ही की दो बार की रिकमेंडेशन है, मुख्यमंत्री के रूप में आपने ही रिकमेंड करके भेजा है, उन जातियों को भी इसमें इनक्लूड करिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत ।

HON. CHAIRPERSON: A comprehensive legislation for various communities in various States is a long-pending demand.

***SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity to speak on this Bill. I am thankful to you because you have permitted me to share the pain, and sufferings of the tribal people of Puduchhery besides the issues faced by them.

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

Tribal people live in large number in Puducherry. Particularly people belonging to Kattunayakar community largely live in Karaikkal and Manavely and Villianur areas of Puducherry. Similarly the people belonging to Malaikkuravar community live in Kairaikkal and Vilianur areas. Kurumbar community people are living in Pillai Chavady and Karuvadikuppam areas of Puducherry.

People of Erukula community live in Yanam and Karikalampakkam. The livelihood of these tribal people is very much affected. They have a hand to mouth existence. These people are unable to make use of any of the benefits meant for Tribal people from the Government since the names of their communities do not find a place in the ST list.

Their educational standards may improve only when their caste names are included in the list of STs. Only then they can be benefitted by the welfare schemes of the Government. They are in need of getting employment opportunities as well. I urge that the name of ‘Malaikkuravan’ should be rendered as ‘Malaikkuravar’ with a suffix “r” showing respect. Similarly ‘Kurumban’ caste name should be rendered as ‘Kurumbar’.

This can be done in unison with rendering of names of castes like Narikkuravar and Kuruvikkarar in the present Bill. ‘Malaikkuravan’ mentions the masculine gender. If it is ‘Malaikkuravar’ then it becomes a common gender. When you bring an amendment Bill in future, I request you to keep in mind these points.

I urge upon the Union Government that Malaikkuravar and Kurumbar communities should be included in the Union list of STs and provide them a better livelihood. Thank you

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): *Vanakkam,* hon. Chairperson, Sir. I thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2022 for inclusion of Narikoravan and Kurivikaran communities.

At the outset, I would like to support this Bill and thank the Union Government for bringing forward this Bill. It has been a very long-pending demand for almost 50 decades. The Lokur Committee was formed for this.

This Narikoravan-Kurivikkaran community has been deprived of their reservation rights in jobs and work for the past five decades. So, two generations have lost the opportunity of representing themselves in reservation in education and jobs. Due to this, a lot of graduates from this community are forced to selling beads and ornaments in temples and markets.

During the last DMK regime, in Cuddalore, there were 1,406 families. When our Chief Minister Dr. Kalaignar visited that area, he saw many school going aged students belonging to that community were collecting iron and old rags and not going to school. He asked them as to why they were not going to schools. They said to him that the school was very far away and they were not able to afford. So, Dr. Kalaignar at once started a school exclusively for this Narikoravan community within that area. Earlier they were treated with social stigma. Bur sadly, Sir, during the AIDMK rule later, that school was closed.

This community is basically depending on hunter gathering. But after banning of hunting, they moved on to selling of beads and ornaments. But now too, they are facing a lot of problems. This community is mainly involved in minor forest produce. They collect the fallen leaves and twigs from the forest. But this Government does not have any consideration towards them. It does not look upon them sympathetically. This community is already an outcaste society. But the Government is charging 18 per cent GST on the *tendu* leaves which they collect to use as bidis and other things. My point is why do they charge from them. They can charge the GST from the bidi owners. Why should they charge from the minor forest producers for the *tendu* leaves at 18 per cent GST?

Sir, the main irony is this community knows that if they come into the SC/ST clause, they will continue to be treated with social stigma. But because of getting reservation, education and job security, they want to come into it

Then, we have the other kind of society, the privileged society where they boast and flaunt their names with the caste, the surname. I have already mentioned many times that if you see the names of the hon. Members from Tamil Nadu, Puducherry and Kerala in this House, you will not be able to identity them whether they belong to a privileged class or the backward class or the most backward class, the SC/ST class. It is because they do not have their surname attached with their first name. Nobody can identify them whether they are from upper class or lower class. That is a great advantage for us. That is what our Dravidian Principles of Thanthai Priyar and Ambedkar have taught us. That is why with Dravidian Principles we stand over here and fight for our cause.

But look at the other side. Everybody has a caste name. Who has it? Does any SC people have it? Does any ST people have it? No. It is only the privileged class people who have it. That is why I would always like to address our hon. Prime Minister by his first name, as 'Narendrabhai' and not by his caste name because I do not want to use the caste name. We do not want to know what caste one belongs to. We want to treat you with respect and we also want to be treated with respect and humanity.

Sir, our Chief Minister has taken various steps for inclusion of this 'Narikoravan-Kurivikkaran' community into this List. It was promised in our Election Manifesto also. He had written a lot of letters to the concerned authority. Many Members of our party have been speaking for it in Parliament also. Our Chief Minister had also met the hon. Prime Minister 'Narendra', requesting him to address this issue. Thanks to the Government that they have brought this Bill here.

Sir, there is a social stigma. There was an incident in Tamil Nadu, where people from Narikoravan community was not allowed to light *diyas* inside the temple. The next day, the Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M.K. Stalin went over there, and he made sure that these people are respected. He went to their houses and had lunch with them. He ensured that everybody is equal with social inclusiveness. There is nobody to be out casted. So, this is what we all want.

Sir, I would also like to support the amendments to be brought by Dr. Ravikumar-ji for having the name as Narikoravar and not Narikoravan, which does not sound respectful.

Sir, in my Constituency, there are 11 synonym names of communities includeing Kurumbas, Kurumans and Kurumbars, and Lambadis. People from these communities are being treated as Scheduled Castes/Scheduled Tribes in other States whereas in Tamil Nadu it is not so. It is our demand to include them in SC/ST category in Tamil Nadu also. It is a long pending demand. This has been passed on to the Union Government from the State of Tamil Nadu. I would also like them to be included in this List.

With these words, I conclude. Thank you.

***SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG):** Hon'ble Chairperson, thank you very much. I rise to support the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2022.

The State Governments of Tamil Nadu and Himachal Pradesh sent the proposal to provide the ST reservation to certain eligible castes. Considering their proposal, the Central Government has brought this Bill to amend the ST List and hence I would like to congratulate the Tamil Nadu and the Central Governments. The castes like Karuvikkaran and Narikuruvan of Tamil Nadu alongwith Hatti community of Himachal Pradesh are to be included in the ST List. A special initiative has been taken in this regard and so I would like to

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

congratulate the Central Government specially. Sir, the reservation and other benefits given to the SCs and STs are being misused by some people.

In my State of Maharashtra, elections have been held for around 1100 Gram Panchayats. Some seats of Sarpanch and Nagaradhyaksh are reserved. Political reservation has been given to these Committees for the different posts in Gram Panchayat, Nagar Palika, Zilla Parishad, State Legislature and Parliament too. Jobs are also reserved for them in State/Central Government Ministries and Departments and in bureaucracy. The objective behind this is to encourage the eligible and competent youths of these communities and also to ensure their democratic and constitutional rights. But, I want to place it on record that some political leaders and bureaucrats are misusing this reservation for their own welfare and benefits. Original and real SCs and STs are deprived of these benefits and others are exploiting it by producing fake caste certificates. There is a syndicate and racket which are actively involved in this fabricated caste certificate business.

It is mandatory to produce a Caste Validity Certificate, if you are willing to contest from a reserved seat. This syndicate and racket helps these eligible candidates to get fake caste and validity certificates by using power and money. It is a serious threat to the integrity and reputation of the Caste Validation Committee which serves at the district and State levels. Hence, while passing this Bill, I would like to request Hon'ble Minister to check the system whether it is working property or not. There is an urgent need to monitor the functioning of these Validation Committees. There are many cases where MPs, MLAs were

disqualified on the basis of fake caste certificates by the High Courts and the Supreme Court too. But, still these kinds of incidents are taking place and people keep on snatching the constitutional rights of real SC and ST people.

Hon'ble Chairman Sir, it came to light that some people were denied reservation on the basis of their surnames in Himachal Pradesh. In my State of Maharashtra, some kind of injustice has been done to the people of 'Dhangar' Community because it is called 'Dhangad' in the northern parts of India. There is only a small spelling mistake but due to this clerical mistake, the entire Dhangar community is deprived of reservation benefits. They are still living in abject poverty. They are homeless and having no farm land. They are rearing goats and sheeps only. Hence, I would request Maharashtra Government to correct this spelling mistake to extend the benefits of reservations to this Dhangar community.

Sir, we are facing the problem of OBC reservation too. This Bahujan OBC community which has a sizeable population throughout the country are not getting the benefits of reservation in proportionate to their population.

We should also consider their legitimate demand. Sir, the Maratha community is fighting on streets with the demand of reservation. This Maratha Kshatriya community is staging protests in different States including Maharashtra, Gujarat, MP, etc. They organized many peaceful marches in Maharashtra for fulfillment of their demand. They are requesting everybody including our Prime Minister but nobody has done justice to them including this

Parliament and Judiciary. Hence, I would like to request the Union Government to provide the benefits of reservation to Dhangar, OBC and Maratha community too.

प्रो. सौगत राय (दमदम): माननीय सभापति महोदय, मैं The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2022 का समर्थन करता हूँ। तमिलनाडु में एसटी के रूप में नयी एंट्री होगी और 'नारिकोरावन' और 'कुरिविक्करन' को इसमें इनक्लूड किया जाएगा। यह एक टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजती है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे रजिस्ट्रार जनरल के पास भेजती है, उसके बाद वह मिनिस्ट्री में आता है और उसके बाद मिनिस्ट्री के द्वारा पार्लियामेंट में लॉ बनाने के लिए भेजा जाता है।

इसके बाद हिमाचल प्रदेश के 'हट्टी' को इसमें इनक्लूड किया जाएगा। जैसा कि कल सुप्रिया सुले जी बोलीं कि पीसमील न करके एक साथ एक ही बिल लाकर कई राज्यों के लिए ऐसा किया जाता, तो अच्छा होता।

हमारे एसटी मिनिस्टर श्री अर्जुन मुण्डा जी अच्छे आदमी हैं। वे झारखण्ड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अभी उनकी पार्टी वहाँ हार गई थी, लेकिन अभी वे यहाँ मंत्री हैं, यह ठीक है।

मुझे बोलना है कि कल बीजेपी के एक सदस्य, जो बंगाल से हैं, उन्होंने भाषण दिया और चले गए और उन्हें दिखाई नहीं दिया। वे बोल रहे थे कि दार्जिलिंग में क्या-क्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। बीजेपी के बंगाल से एक मंत्री हैं, उन्हें मैंने कभी नहीं देखा। उनका नाम श्री जॉन बर्ला है। वे हाउस में कभी नहीं आते हैं और वे बीच-बीच में बोलते हैं कि हम अलग नॉर्थ-बंगाल चाहते हैं। … (व्यवधान) दार्जिलिंग में कुछ लोग बोलते हैं कि वे अलग गोरखा लैंड चाहते हैं और ये मंत्री बोलते हैं कि अलग नॉर्थ-बंगाल चाहते हैं।

मैं इस सदन में बोलना चाहता हूं कि हम लोग कभी बंगाल का बंटवारा नहीं होने देंगे। आजादी के समय बंगाल का एक बार बंटवारा हुआ था। हम अपना खून देंगे, लेकिन बंगाल को एक रखेंगे। बीजेपी के लोग कुछ भी बोलें, हमें उससे एतराज नहीं है।

सर, श्री अर्जुन मुंडा जी ने देखा होगा कि 5 अप्रैल को एक ऐसा ही सिमिलर बिल आया था। तब भी मैंने उनसे बोला था कि आज ट्राइबल्स में माओइस्ट्स इनसर्जेंसी होती है। Hon. Manmohan Singh had described the war being waged under the leadership of Ganapathi of the People's War Group of CPI (Maoist), as the biggest internal security threat of the country. They are waging a war against the State, killing people, blowing up police vehicles, blowing up schools, and blowing up roads. लेकिन आठ सालों से मैं देख रहा हूं कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट उस इनसर्जेंसी को मीट करने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल पाई है। वह चलती ही रहती है। केवल छत्तीसगढ़ से बीजापुर, कांकेर और अबूझमाड़ में तो है ही, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक यह चला गया है। ओडिशा के दो-तीन जिलों में ये लोग हैं। … (व्यवधान) मल्कानगिरी में भी हैं। बीच-बीच में पुलिसमैन को मार देते हैं, सरकार को इसका कोई ख्याल नहीं है। ये माओवादी लोग कैसे इतने स्ट्रांग हुए? क्योंकि माओवादियों को हमारे ट्राइबल भाइयों से शक्ति आती है। इस पर सरकार क्या कर रही है?

वे बड़े-बड़े मल्टीनेशनल ट्राइबल इलाकों में घुस जाते हैं। वहां बॉक्साइट है और दूसरे मिनरल्स हैं। They want to take control of these minerals.

सर, हमारे संविधान में फिफ्थ-शेड्यूल है। फिफ्थ-शेड्यूल ट्राइबल इलाकों के बारे में बोलता है। फिफ्थ-शेड्यूल के अनुसार ट्राइबल इलाके में कोई जमीन लेनी है, तो वहां के गांव वालों की, गांव सभा की सहमति होनी चाहिए। लेकिन इस ट्राइबल लैंड को हड़पने की साजिश बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे वेदांता कंपनी की चल रही है। इसलिए, आदिवासियों में डर है।

आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में गोंड उप-जाति ज्यादा है। अब उत्तर प्रदेश में भी गोंड लोग इस ट्राइब में इनक्लूड हो गए हैं। जब तक इन लोगों को सरकार अपनी तरफ नहीं ला पाएगी, उनको

समझा-बुझाकर, उनका डेवलपमेंट करके अपनी तरफ नहीं ला पाएगी, तब तक यह माओइस्ट इनसर्जेंसी चलती रहेगी। It will be a burning flame posing a grave security challenge to the country.

सर, पश्चिम बंगाल को देखिए। पश्चिम बंगाल एक ही राज्य है, जिसने माओइस्ट इनसर्जेंसी को कंट्रोल किया। उसका सेकेंड-इन-कमांड किशन था, जिसकी इनकाउंटर में मौत हो गई। लेकिन जंगल महल, जहां आदिवासी लोग, खासकर संथाल लोग रहते हैं, वहां हम डेवलपमेंट ले गए। आदिवासियों को पुलिस में और नेशनल वॉलेंटियर फोर्स में नौकरी दी गई। गरीब कल्याण योजना लागू होने के बहुत पहले से वहां फ्री राशन दिया जाता है।

लोगों को हंसते-हंसते अपनी तरफ रखना पड़ता है। मैं अर्जुन मुंडा जी से कहूंगा कि आप स्वयं ट्राइबल हैं और आप जानते हैं कि झारखंड में भी लातेहार, बेतला जंगल के आस-पास भी माओइस्ट पहुंच गए हैं। बिहार के औरंगाबाद में भी माओइस्ट पहुंच गए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपका काम केवल संसद में नये ट्राइब्स को इन्क्लूड करने का नहीं है। ट्राइबल्स का समग्र विकास हो, उसके लिए आपने क्या किया है, यह मंत्री जी को सोचना चाहिए और बताना चाहिए? भारत सरकार की ट्राइबल पालिसी क्या है? ट्राइबल इलाके की जमीन हड़पने की जो शिकायत होती है, उस पर क्या कार्रवाई की जाती है, यह अर्जुन मुंडा जी को बताना चाहिए। वे अच्छे आदमी हैं, लेकिन विभाग का कोई काम नहीं होता है, ऐसा नहीं चलेगा। मैं इस अमेंडमेंट का समर्थन करूंगा। श्री मनसुख मांडविया जी हैं, वे अच्छे एक्टिव मंत्री हैं। मैं उनसे कहूंगा कि ट्राइबल्स की समस्या को देखें, नहीं तो एक दिन यह समस्या ज्वालामुखी होकर फट जाएगा और छत्तीसगढ़ से बंदूक लेकर लोग दिल्ली तक पहुंच जाएंगे।

*__SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD):__ Hon. Chairman Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on this bill. I rise to support the Constitution (Scheduled Tribes) order (Third Amendment) Bill, 2022.

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

During the Pt. Jawaharlal Nehru Regime, the then Central Government had decided to provide the benefits of reservation to SCs and STs under the leadership of Dr. Babasaheb Ambedkar. Today, we think about how can we bring these backward people to the mainstream. But, in those days, when shri Sharad Pawarji was the chief minister of Maharashtra, 10 to 11% amount of total Budget, was reserved for the welfare of these backward communities. This was a revolutionary decision taken by Hon'ble Sharad Pawarji and Maharashtra was the first state to do so. Maharashtra state has always shown a direction to our country under the leadership of hon. Sharad Pawarji.

In the year 1990, when the decision to implement the Mandal Commission Report was taken by the then Prime Minister hon. Shri Vishwanath Pratap Singh ji, the entire country turned against it. Following the principles of Phule-Shahu-Ambedkar, Maharashtra became the first State in the entire country to implement the Mandal Commission Report under the Chief Ministership of Hon'ble Sharad Pawar Saheb. When it came to rename the Marathwada University in the name of Dr Babasheb Ambedkar. Sharad Pawarji took the bold decision of renaming it at the cost of his own government.

Somebody mentioned about Dhangar community. Sharad Pawarji gave the benefits of reservation to this community under NT Category when he was the Chief Minister of Maharashtra for the third time. Some political parties are doing the politics in the name of caste, creed and religion and that is why immediate steps should be taken for the upliftment of these backward communities .

Our icon Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj established his own kingdom by binding all the people across all the castes and communities in our Maharashtra. He never did discrimination on the basis of castes. But nowadays, the persons holding political and constitutional posts are trying to defame him by uttering bad and inappropriate words. We strongly condemn them.

We are trying to fight these anti social elements following the principles of Phule-Shahu-Ambedkar in Maharashtra. Maratha Community staged peaceful protests on streets without harming law and order and I must congratulate them.

Sir, there are issues of reservation to Dhangar, Maratha and OBC communities in my state. But when we were in power, we had provided reservation to the Maratha and OBC communities in the proportion to their population. During Shri Uddhav Thakre Regime, we tried to do justice to these communities but some manuwadi, hindutvawadi powers tried to set hurdles.

Many hon. Members and leaders have given their opinion that these amendments should not be State specific, but a comprehensive reservation policy should be brought in. Some organizations and parties are trying to take benefit out of it. These antinational elements should be stopped immediately. We all are ready to fight our social movement with our ideological principles against these powers.

We will continue to fight for the honour and pride of Maharashtra together. Jai Hind, Jai Maharashtra.

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदय, क्या वजह है कि कुछ कम्यूनिटीज अपने-आप को एसटी में शामिल करने के लिए जोर देती हैं? अगर उन्हें एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए, तो क्या उन्हें महज कुछ सरकारी स्कीम्स का फायदा मिलेगा, नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलेगा या क्या उन्हें एसटी में शामिल होने के बाद सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार मिलेगा? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका जवाब देते हुए बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि नहीं, इन्हें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे ये एसटी के अंदर आ जाएं या एससी के अंदर आ जाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूं। अगर हम नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा पर नजर डालें, तो वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं और सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं, जहां आपकी ही सरकार है। वहां सबसे ज्यादा दलितों और एसटी पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। यह मैं नहीं कर रहा, बल्कि नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बता रहा है। एसटी के अंदर आप और ज्यादा कम्यूनिटीज को ऐड कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह से अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, यह नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दोबारा आपको बताता है कि एसटी लोगों के खिलाफ 6.4 प्रतिशत अत्याचार की घटनाओं में बढ़ावा हुआ है। नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है कि सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ी हैं।

सर, पूरे देश के एसटी लोगों की अगर हम बात करते हैं, तो एसटी के खिलाफ अपराध की घटनाएं केवल मध्य प्रदेश में 29.8 प्रतिशत हुई हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, जहां एसटी लोगों के खिलाफ 24 परसेंट घटनाएं बढ़ी हैं। मंत्री जी क्या इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट यदि किसी का हुआ है, तो आदिवासियों का क्यों हुआ है? केवल एसटी कम्यूनिटी को बढ़ाकर आप उनके साथ इंसाफ करने का दिखावा मत करिए। हकीकत यह है कि इनके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है। यूडीआईएसई की रिपोर्ट वर्ष 2021-22 एससी-एसटी और मुसलमानों के बारे में बताती है कि एससी का टोटल इनरोलमेंट जो प्राइमरी से हायर सेकेंड्री तक जाता है, वह 9.73 प्रतिशत है। मुसलमानों का इनरोलमेंट 14 प्रतिशत होता है,

लेकिन एनएसएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से जो टोटल इनरोलमेंट होता है, उसका 12.8 प्रतिशत ड्रॉप आउट हो जाता है, जिसमें एससी के 18.2 प्रतिशत प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट हो जाते हैं।

जिसमें से मिडिल लेवल के ऊपर के जितने भी हैं, 17.2 परसेंट मिडिल लेवल के ऊपर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इसमें मुसलमानों का ड्रॉप आउट प्रतिशत 15.7 परसेंट है। महोदय, अभी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सहयोगी भाषण दे रहे थे और उन्होंने मराठी भाषा में बड़ा जोर देकर यह कहा है कि धनगर समाज को मिलना चाहिए, मराठा समाज को मिलना चाहिए। इतने साल सत्ता में यही कांग्रेस वाले बैठे थे, यही राष्ट्रवादी वाले बैठे हुए थे। महाराष्ट्र के अंदर इनकी क्या मजबूरी थी कि जब सत्ता में रहते हैं तो ये नहीं देते हैं, जब विरोधी के रूप में आ जाते हैं और विरोधी के रूप में बैठते हैं तो इनसे उम्मीद करते हैं। इनसे उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है। आपको दिखाना पड़ेगा कि हम इनके जैसा दोगलापन नहीं करते हैं। अगर हम सबके विकास के बारे में बात करते हैं तो यकीनन हम सबको इंसाफ देने की बात करते हैं। हमारा दोहरा रंग नहीं है कि जब सत्ता में रहते हैं तो अलग बात और जब सत्ता के बाहर आते हैं तो अलग बात। मैं भी यह माँग करता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर धनगर समाज को मिलना चाहिए। मराठा समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जो फैसले हम नहीं कर सकते हैं, कहीं न कहीं रूकावट आती है, कहीं न कहीं कुछ विवाद होता है तो हम अदालतों में जाते हैं। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यह अदालत ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा और किस आधार के ऊपर कहा? ऐसा नहीं है कि यह रिजर्वेशन इम्तियाज जलील माँग रहा है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर, मेरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो पसमांदा मुसलमान हैं, क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? किस आधार के ऊपर मिलना चाहिए? चार-चार कमेटीज, चार-चार कमीशंस बनाए गए। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, हमूदुर रहमान कमीशन, सच्चर कमीशन, कुंडू कमेटी, ये सरकार द्वारा नियुक्त कमेटीज थीं। ये किसलिए बनाई गई थीं? मुसलमानों का सोशियो, एजुकेशन किस लेवल के ऊपर है, उसको स्टडी करें और उसकी रिपोर्ट दें। हमूदुर रहमान कमीशन पूरी डिटेल के अंदर गया कि मुसलमानों का एजुकेशन परसेंटेज कितना है,

सच्चर कमीशन ने बताया कि अगर सबसे ज्यादा एजुकेशन के बारे में कोई पिछड़ा है तो वह मुसलमान है। ऐसे हालात के अंदर अदालत ने, जब यह मामला अदालत के अंदर गया तो खुद अदालत ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि मुसलमानों को कम से कम 5 परसेंट एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन दे दीजिएगा। मंत्री जी, आप क्यों हमें तालीम से दूर रखना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि मुसलमान को पढ़ना नहीं चाहिए? हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे भी बच्चे आईएएस, आईपीएस बनें और यूपीएससी पास करें। लेकिन, अगर यही नीतियाँ अपनाते रहेंगे तो यह कैसे होगा? कल मंत्री जी ने प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में कहा। कोई हजारों की स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को नहीं दी जाती है, एक हजार रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। जब एक हजार रुपये उस गरीब बच्चे को मिलते हैं तो वह तालीम हासिल करता है और आप कह रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर डबल से कोई दूसरी स्कीम चल रही है तो हम इसका फायदा नहीं दे सकते हैं। अगर इतने सालों से दी जा रही थी, अब आपने इसे क्यों रोका है? हम आपसे अनुरोध करेंगे, विशेषकर महाराष्ट्र के बारे में, आप मराठाओं को भी दीजिए, धनगर को भी दीजिए, लेकिन मुसलमानों का हक ज्यादा इसलिए बनता है कि कहीं न कहीं अदालत ने इनके बारे में कहा है कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। धन्यवाद।

श्री मलूक नागर (बिजनौर): महोदय, आपने मुझे इस अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साहब मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात आती है तो एससी और एसटी के रूप में जब देखते हैं तो लगता है कि जैसे इनको थोड़ा सा दूसरी नजर से देखते हैं। आज इस पर जाना पड़ेगा, सदन में मैं बताना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों की इन लोगों ने जमकर पिटाईयाँ कीं तो उनको ट्राइबल क्रिमिनल्स में डाल दिया गया। ट्राइबल क्रिमिनल्स को, जब देश में आजादी के बाद वर्ष 1947 में पहली सरकार बनी, वर्ष 1952 में चुनाव के बाद, जब पहली सरकार बनी तो नोटिफिकेशन करके भारत सरकार ने ट्राइबल क्रिमिनल्स से इनको बाहर निकाला और वर्ष 1968 में नोटिफिकेशन जारी करके इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखकर और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अलग से सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑर्डर जारी किए गए। कांग्रेस इन लोगों के वोट लेती रही और इनको कुछ नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में अभी

दो महीने पहले जाकर उन ट्राइबल्स के सर्टिफिकेट बनने शुरू हुए हैं। अभी हमारे साथी मुस्लिम समाज की बात कर रहे थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इतने मुस्लिम आते हैं, यह बात सुनने में अटपटी लगती है।

जम्मू कश्मीर में 29.4 परसेंट मुसलमान गुर्जर हैं, वे सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में वन परसेंट गुर्जर हैं या गुर्जर-बक्करवाल हैं या मुसलमान गुर्जर हैं, वे भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। मैं डीओपीटी, लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में हूं तो मैं पिछले रिकॉर्ड्स निकाल कर देखता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में ज्यादातर सीटें खाली पड़ी रहती थीं और 25, 28 या 30 परसेंट तक भरती थीं। लेकिन अब जो करंट के आंकड़े आते हैं, उनमें भी 60 परसेंट तक ही सीटें केवल भर पाती हैं, तमाम सीटें खाली पड़ी रहती हैं। मैं इसमें मांग करना चाहता हूं कि उन सीटों को तुरंत भरा जाए। राजस्थान के गुर्जर द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आने के लिए पिछले दिनों जो आंदोलन होता रहा, नौंवीं अनुसूची में डालकर उनको भी यह सुविधा दी जाए। पूरे देश में इनके लिए अलग से शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में… (व्यवधान) सर, बस, आधे मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इनके लिए अलग से प्रोविजन किया जाए, जिससे इनको लग सके कि हमने देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयां लड़ीं, हमने अंग्रेजों को पीटा तो सरकार हमारे उत्थान के लिए सोच रही है। जैसा इस मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर में गुर्जर, मुसलमानों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 10 परसेंट का रिजर्वेशन किया है, उनको फीलिंग आ रही है कि हम भी इस देश का ही हिस्सा हैं। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो गुर्जर आ रहे हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं कि जो नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस वाले वहां के लोगों को, मुसलमान गुर्जरों को गुमराह कर रहे हैं कि तुम्हें जो 10 परसेंट का आरक्षण दिया है, उसमें किसी दूसरे को लेकर आएंगे तथा वह गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक सोचे… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मालूक नागर जी, धन्यवाद।

श्री मलूक नागर : सर, मैं आधी लाइन में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उनके लिए जो 10 परसेंट रिजर्वेशन है, उसमें बाहर से दूसरी जातियों को न लाएं। अगर लाए तो प्रोपोर्शनेटली, प्रो-राटा बेसिस पर उतनी मात्रा बढ़ाई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): आदरणीय सभापति महोदय, आज इस सदन में तमिलनाडु राज्य से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 2022 नामक अधिनियम के अंतर्गत जो तमिलनाडु के नरिकोरावन, कुरिविक्करन समुदाय को शामिल करने के संबंध में चर्चा हुई है, कल भी चर्चा हुई और आज भी काफी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं। डॉ. जयकुमार से लेकर मलूक नागर साहब तक लगभग 27-28 वक्ताओं ने इस पर बयान दिया, अपनी बातों को रखा, अपने विषय को सामने रखा, अपने-अपने राज्यों से संबंधित चिंता भी जाहिर की, समस्याओं को भी उद्धृत किया और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। मैं इसके लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। कुल मिलाकर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित जो संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 2022 है, उसका लोगों ने समर्थन किया। क्योंकि यह ऐसे समुदाय से संबंधित है, जो आज़ादी के लम्बे कालखंड तक नजरअंदाज किए जाते रहे। इसके पहले भी कई राज्यों के बारे में इस सदन में चर्चा हुई है और उस चर्चा के दौरान भी कुछ माननीय सदस्यों ने तमिलनाडु की चर्चा की। सरकार का ध्यान हमेशा ऐसे विषयों पर रहा है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजाति वर्ग, समाज और ऐसे वर्गों के लोगों को न्याय मिले। संविधान की जो मंशा है, संविधान की जो भावना है, उस भावना के आधार पर भारत के समस्त क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे समुदायों को न्याय मिले। इस दृष्टि से माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयत्न हो रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं और उसका साकार स्वरूप इस सदन में चर्चा के माध्यम से सामने दिखाई दे रहा है। हमारे लिए खुशी की बात है कि जो लम्बे अरसे से ऐसे मामले उलझे हुए थे और ऐसे लोग जो हमेशा संवैधानिक प्रावधानों से अछूते रहे, उन्हें आज न्याय मिल रहा है।

16.00 hrs.

उसमें से एक नरिकोरावन कुरिविक्करन समुदाय है। तमिलनाडु के इस समुदाय के लोग जो बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं और जिसके बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने उनके जीवन, उनके रहन-सहन, उनकी जीवन पद्धति, उनकी संस्कृति, कलाकृति के बारे में चर्चा की है कि वे किस तरीके से आदिकाल से जंगलों पर आश्रित हो कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें आज भी उन्हीं जंगलों पर विश्वास है और उसी को आधार मान कर जीते हैं। महोदय, तमिलनाडु प्रदेश की आबादी, 7 करोड़ 21 लाख वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है। यदि इस समुदाय की बात की जाए तो उसकी आबादी लगभग 27,000 है। यह संख्या अधिक नहीं है। लेकिन जो लोग रहने वाले हैं, उन तक पहुंचना कितना जरूरी है, यह माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार महसूस करती है कि वैसी जगहों पर, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय मिले, उन्हें हम समझ सकें, उनका समाधान कर सकें और आज तमिलनाडु की ऐसी आबादी जो मात्र हज़ारों की संख्या में हैं, उनको न्याय देने का काम हो रहा है। प्रत्येक राज्य की ऐसी समस्याओं का समाधान हम करने में लगे हुए हैं। … (व्यवधान) ये तमिलनाडु में कई स्थानों पर रहते हैं। … (व्यवधान) दूरस्थ स्थानों पर रहते हैं। … (व्यवधान) कुल-मिला कर आप यह मान कर चलिए कि ये लोग पहाड़ों पर रहते हैं। … (व्यवधान) ऊटी एरिया में वडगा कम्युनिटी रहती है। … (व्यवधान) यह कुरिविक्करन समुदाय एक तरीके से थोड़ा खानाबदोश भी है और घूमंतू भी है। इनका शिकार ही सबसे मुख्य साधन है। ये थोड़ा हंटिंग ज्यादा करते हैं। शहर में भी ये लोग हंटिंग कर सकते हैं, अगर इन लोगों को आप अमंत्रित करेंगे तो। … (व्यवधान)

महोदय, इनकी पहचान इनके अपने समुदाय के आधार पर ही है। अभी हमारे एक सांसद जयकुमार जी बता रहे थे कि इनको नरिकोरावन कहने से इन्हें सम्मानित महसूस किया जाता है। लेकिन जब हमने राज्य सरकार से कॉरसपॉन्डेंस किया, बातचीत की कि उनके रेवन्यू रिकॉर्ड्स में क्या है, क्योंकि जब भी उनको कुछ सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है तब उनके रेवन्यू रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं और उनके आधार पर उनकी पहचान होती है, फिर उन्हें सर्टिफिकेट दिया

जाता है। इसलिए जो उनके रिकॉर्ड्स में है, उसी के आधार पर यह लाया गया है। लेकिन वहां के लोगों की जानकारी में भी है, कई जगहों में, कई तरह से लोग उनको संबोधित करते हैं या उनका परिचय है।

महोदय, आज मैं इसको बहुत ही अच्छा बिल समझता हूँ। क्योंकि यदि हम देखें कि 130-131 करोड़ की आबादी वाले देश में 27,000 की आबादी वाले समुदाय तक हमारी दृष्टि जा रही है तो सरकार की मंशा को आप समझ सकते हैं। यह वोट की राजनीति नहीं है। यह विशुद्ध रूप से अंतोदय और गवर्नेंस का एक मॉडल है कि हम सुदूरवर्ती क्षेत्र तक पहुंच कर के उन्हें न्याय कैसे मिले, वह सुनिश्चित कर सकते हैं।

महोदय, जिन लोगों ने आलोचना की है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा

"कि दुख अपना हमको बताना नहीं आता,

तो आपको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता ।"

अंदाजा लगाना अगर किसी को आता है तो उस शख्स का नाम नरेंद्र भाई मोदी है, जिसकी सरकार में लोगों को न्याय मिल रहा है। मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कहूंगा कि कुछ माननीय सदस्यों ने इसके साथ-साथ ही और कल जयकुमार जी ने भी इस विषय पर कहा कि प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप केंद्र सरकार ने कम की है या बंद की है।

मैं आपको बता दूं कि आपने जो विषय रखा है, वह तथ्यों से परे है। शायद आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है या आपने जानकारी ली नहीं है या फिर आपने राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातें कहने की कोशिश की है।

यदि आप देखें तो वर्ष 2021-22 में प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान था और उसमें से हमने राज्यों को 394 करोड़ रुपये डीबीटी मॉडल में पैसे आवंटित किए । वर्ष 2022-23 में हमने 419 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और अभी हम यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट मांग कर वह राशि उपलब्ध करा देंगे। वह इस वर्ष का है और यह अभी चल रहा है।

लेकिन, आपको कहां से यह पता चला कि इसमें कटौती की गयी है या आपके रिकॉर्ड में यह कहां से आया?… (व्यवधान)

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील: यह मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि स्कॉलरशिप बंद कर दी गयी है।… (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा : आपने ट्राइबल्स के संबंध में पूछा, मैं वह बता रहा हूं। इसका तो मेरे यहां प्रावधान है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इस डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। मैं ऑन-रिकॉर्ड यह बात कह रहा हूं।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज़, बैठिए।

… (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा : हमारा जो प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्रोविजन है, वह प्रोविजन किया हुआ है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let the Minister complete his speech. Nothing will go on record except the reply of the Minister.

… (*Interruptions*) … *

श्री अर्जुन मुंडा : हम इसमें राशि आवंटित कर रहे हैं और उस राशि का प्रावधान यहां पर किया हुआ है। उसके बारे में आपको किसी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए।**…** (व्यवधान) बाकी दूसरे मंत्रालयों में क्या है, उसकी जानकारी आपके पास क्या है, यह आप बता सकते हैं।

माननीय सभापति : वे अलग-अलग विषय हैं।

श्री अर्जुन मुंडा : जो विषय हमसे संबंधित हैं, वह मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं। वर्ष 2014 आने के पहले**,** वर्ष 2013-14 में अगर देखें तो वह 211 करोड़ रुपये थे। अब हम उसे डबल कर चुके हैं, उसे 419 करोड़ रुपये कर दिया है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए।

---

* Not recorded

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पहले 10 लाख जनजातीय छात्रों को स्कॉलरशिप्स दी जा रही थी। अगर आप वर्ष 2021-22 को देखें तो अभी हम 15 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इस तरीके से, आपने जो कुछ बातें उठाईं, यह सत्य से परे है। केन्द्र सरकार की मंशा है कि उन्हें एजुकेशन मिले।

यही नहीं, प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके साथ-साथ ओवरसीज़ स्कॉलरशिप और किसी भी स्कॉलरशिप्स में हमने कोई पाबन्दी नहीं लगाई है, बल्कि कुछ में, हमने पहले जो 1,000 की संख्या सुनिश्चित की थी, उसे हमने असीमित कर दी है। अब 1,000 से अधिक जितने भी आवेदन आएंगे, सबको हम एन्टरटेन करेंगे। हमने यह प्रावधान भी कर दिया। इसके अलावा, हम और 30 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा उपलब्ध करा रहे हैं, जो डीबीटी मोड में सभी राज्यों को एक पोर्टल के माध्यम से देने के लिए सुनिश्चित किया है। राज्य सरकारें अपने बच्चों तक जितनी अधिक राशि डीबीटी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगी, हम उतनी राशि उन्हें उपलब्ध कराएंगे। यह हमारे प्रावधान में है।

दूसरी बात यह है कि यह ठीक है कि हम राज्यों के साथ मिल कर कई योजनाएं चला रहे थे, वे चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार हमने नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार में जो योजना प्रारम्भ की है**,** उसे सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में यानी उसका पूरा वित्तीय भार केन्द्रीय स्तर पर लिया जाएगा। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की लगभग 29,000 करोड़ रुपये की योजना का सूत्रण किया है। अब वह कार्य धीरे-धीरे पूरा होने जा रहा है।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: एकलव्य स्कूल में बहुत वैकेन्सीज हैं।... (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा : उस पर भी काम चल रहा है।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No cross-talk please. Let the Minister complete his speech. If you have to seek any clarification, you may do so after the completion of his speech.

… (*Interruptions*)

श्री अर्जुन मुंडा : महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसके पहले एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो चलते थे, वे आर्टिकल 275(1) के तहत ग्रांट्स-इन-एड में चलते थे। अब मैंने उसे सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम बना दिया है। भारत सरकार के माध्यम से उसमें 100 प्रतिशत ग्रांट्स दी जाती है। उसमें स्कूल बिल्डिंग से लेकर सारे छात्रों को, जो भी वहां एडमिशन लेंगे, उन्हें फ्री एजुकेशन, फ्री अकॉमोडेशन, सारी कोचिंग दी जाएगी। एक स्कूल में हम चार खेल के मैदान बना रहे हैं।

हम कंप्लसरी स्पोटर्स का काम कर रहे हैं। उसमें हम 100 नए आर्चरी एकेडेमी बना रहे हैं। इसी तरह से हम एजुकेशन में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हेल्थ एंड एजुकेशन काफी महत्वपूर्ण है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लंबे काल-खंड के बाद भी यह समस्या रही है, जिसको माननीय नरेन्द्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने प्रॉयरिटी के साथ लेकर, सुनिश्चित कैसे किया जाए, ताकि हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसके लिए काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार-बार कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का अच्छे से काम हो, इस पर लगातार प्रयत्न करते हैं और हम उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं।

इस तरीके से हमारा लगातार डेवलपमेंट्ल प्रोग्राम चल रहा है । हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, लाइवलीहुड के ऊपर, एम्प्लायमेंट जेनरेशन के ऊपर, रोजगार कैसे अधिक से अधिक लोगों को मिले, इन सभी पर काम चल रहा है। जो वन्य जीवन है, उनकी आदिकाल की जो परंपरा है, वह परंपरा और कल्चर भी बना रहे। उनकी संस्कृति की जो अमिट पहचान है, वह बनी रहे, इस पर भी काम हो रहा है।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों से संबंधित कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में कहा है। जैसे धनगढ़ के बारे में बताया गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1979 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पत्र/रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन वर्ष 1981 में राज्य सरकार ने ही उसको विद्ड़ा कर लिया। अब यह राज्य सरकार के अधीन है। अभी हमारे यहाँ कोई मामला पेंडिंग नहीं है।

माननीय सदस्य निशिकांत जी ने भी एक विषय उठाया। ऐसे कई प्रश्न अन्य माननीय सदस्यों ने भी उठाये। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार पूरी स्पष्टता के साथ मापदंड के आधार पर काम कर रही है। यह बात सही है कि कुछ कमेटीज़ हैं, जैसे कहा जाए कि समय-समय पर कुछ कमेटीज़ बनीं और समय-समय पर उनके कुछ रिकमेंडेशंस आएं, इसके बारे में भी चर्चा की गई। मुझे भी इस संबंध में जानकारी है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मोडेलिटीज़ हैं, जिसके बारे में व्यवस्थित ढंग से कहा गया कि इस विधि से ही इसका निस्तारण किया जा सकता है। इस बारे में भी काफी चर्चा हुई।

राज्य और आरजीआई के साथ संवाद करने के बाद यह हुआ कि राज्यों की अनुशंसा के आधार पर आरजीआई ही उसको वेटिंग करके आगे बढ़ाएगा, ताकि सेन्सस डेटा कम्पाइलेशन का जो काम है, खासकर कम्युनिटी बेस्ड शेड्यूल कास्ट या शेड्यूड ट्राइब्स के डेटा एनालिसिस करने का काम आरजीआई करती है। उसके जो मोडेलिटीज़ हैं, उनके आधार पर ही किया जाएगा। इस संबंध में भी जितनी कम्युनिटीज़ के बारे में कहा गया है, मैंने राज्य सरकारों से पत्राचार किया है और कहा है कि आपके पास जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जिसके आधार पर आप कह रहे हैं, तो वे सारी चीजें आप केंद्र सरकार को उपलब्ध कराइए। इसलिए, जो भी कम्युनिटी के बारे में हमारे पास आता है, उन सारी कम्युनिटीज़ के बारे में हमने राज्य सरकार को स्मारित किया है।… (व्यवधान) चूंकि अभी तमिलनाड़ के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन बाकी किसी भी राज्य के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहे तो हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि, हमारी यह प्राथमिकता है कि ऐसे चीजों का स्थायी समाधान निकले, लोगों को न्याय मिले। जो अंत्योदय का संकल्प माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का है, वह संकल्प पूरा होगा। इसलिए, यह विधेयक हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं सदन से आग्रह करता हूँ कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को आशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकत हुआ।</u>

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950

माननीय सभापति: श्री डी. रविकुमार जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Sir, I beg to move:

Page 1, line 7,-

for "Narikoravan, Kurivikkaran"

substitute "Narikoravar, Kuruvikkarar". (1)

माननीय सभापति: अब मैं श्री डी. रविकुमार द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : श्री एस. वेंकटेशन : उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अर्जुन मुंडा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी थी। मैं अच्छी तरह से हिंदी लिख भी सकता हूं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 15, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022.

माननीय मंत्री जी।

16.17 hrs.

Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूँ:

"कि हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित किए जाने का उपबंध करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री अर्जुन मुंडा : महोदय, मैं बाद में बोलूँगा।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित किए जाने का उपबंध करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

---

* Moved with the recommendation of the President

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT) : Thank you, Chairman, Sir, for giving me the opportunity. I rise to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022. सर, इस बिल में हाती कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको एसटी की मान्यता दी जा रही है। हम इस बिल का स्वागत करते हैं। इनको वर्ष 1967 से उत्तराखंड के जौनसर, बावर रीजन में आदिवासी की मान्यता दी जा रही थी, लेकिन हिमाचल में मान्यता नहीं मिल रही थी। यह बहुत खुशी की बात है कि इस समुदाय को न्याय मिलेगा।

<u>16.19 hrs.</u> (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

सर, मैं कुछ पॉइंट्स कहना चाहता हूं। इस पर्टिकुलर बिल में आप अगर देखेंगे तो यह लिखा है कि इनको आदिवासी मान्यता दी जाएगी, लेकिन हाती कम्युनिटी के जो एससी लोग हैं उनको छोड़कर, when you look at the Lokur Committee rulebook, to which my esteemed colleague also pointed out sometime back, what should be a Scheduled Tribe?

A Scheduled Tribe should have: (1) spatial organisation, separateness, and excluded existence; (2) a distinctive culture, primitive traits, shyness of contact with community at large, and socioeconomic and educational backwardness. एक ही कम्युनिटी को आप बोलते हैं कि ठीक है कि लोकुर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आदिवासी मान्यता दी जाएगी, लेकिन यह भी बोलते हैं कि जो लोग एससी हैं, उनको छोड़ दो।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। यह बिल क्या है, मेरी समझ से बाहर है। They are trivialising the tribals. मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं आदिवासी हूं। अगर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को देखेंगे तो लगेगा एसटी लोग अपर कास्ट हैं, एससी लोग लोअर कास्ट हैं। यह क्या सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मान्तरण की बात हुई थी, कुछ दिनों पहले मेरे पास कुछ मित्र आए थे और बोल रहे थे कि जो लोग इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करेंगे तो उनका रिजर्वेशन हटा दो, लेकिन अगर आदिवासी हिन्दू है, तो रिजर्वेशन कन्टीन्यू करो। मेरा एक ही सवाल है, क्या

आदिवासी हिन्दू हैं? हिन्दू पहले आया कि आदिवासी पहले आये? आदिवासी का मतलब है, हम पहले निवासी हैं। ये धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि हम वनवासी हैं। मैं जंगली जरूर हो सकता हूं लेकिन वनवासी नहीं हूं। अगर आपको वनवासी और आदिवासी समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या फर्क है तो वह मैं आपको बताता हूं। मर्यादा पुरुषोतम भगवान श्री राम वनवास गए थे, वे वनवासी थे, लेकिन सबरी माता आदिवासी थीं । इसे आप समझ लीजिए, हम इस देश के मूलवासी हैं, केवल वनवासी बोलकर हमें अलग नहीं कर सकते । ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम आदिवासी बनने के बाद क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह सरकार अभी क्या कर रही है, इसका मैं खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं।

आपने ग्राम सभा की बात की, पैसे की बात की। भारतमाला प्रोजेक्ट को 25 ग्राम सभा ने गुजरात में रिजैक्ट किया, लेकिन आपने इसे पारित कर लिया। चेन्नई-अहमदाबाद-सूरत रोड को सूरत से जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आदिवासी लोग दूसरी जगह हैं इसलिए उसको वहां से घूमाकर लेकर आओ । सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिसप्लेसमेंट की है । Fifty million people are displaced. केवाडिया में मैं सरदार पटेल जी का स्टैचू देखने गया था, बहुत अच्छा लगा । आदिवासियों का ऐसा हो जाएगा, आपको पता है?, ये लोग क्या कर रहे हैं? बेड शीट चेंज कर रहे हैं, आपने जगह दे दी, हजारों एकड़ दे रहे हैं। 5 हजार करोड़ रुपये का भारतमाला प्रोजेक्ट शेड्यूल-5 मेरे एरिया कोरापुट से जाता है। एक भी आदिवासी को वहां नौकरी मिली, ठेकेदारी का काम मिला? किसी को नहीं मिला है, मिलता ही नहीं है। डिसप्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं कि समस्या क्या है? अंग्रेजों के टाइम से शेड्यूल-5 एरिया है, I am from an area under the Fifth Schedule. शेड्यूल-5 एरिया में क्या होता है, आपको जगह बेचने के लिए परमिशन चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। 5 एकड़ से ज्यादा चाहिए, इसके बाद आपको परमिशन मिलती है, आप एक आदिवासी को ही बेच सकते हैं, This is a very good intervention by the Government. लेकिन इसका होता है कि हम लोगों की जगह का दाम घट जाता है। ट्रांजैक्शन नहीं है। आज सुबह गडकरी जी के साथ चर्चा हो रही थी, आंध्र प्रदेश में 60 लाख रुपये प्रति एकड़ का दाम मिल रहा है,

कोरापुट में भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट के लिए हाईवे ने कितने पैसे दिए हैं, एक एकड़ के लिए 50 हजार रुपये दिए, आंध्र प्रदेश में उसी जगह के लिए चार गुना ज्यादा 2 लाख रुपये दिए, कोई भी जनरल जगह ले लो, एक एकड़ के लिए 1 करोड़ रुपये मिल रहा है। लेकिन हम आदिवासी 50 हजार रुपये के दाम में दे रहे हैं, क्योंकि 100 सालों से ट्रांजैक्शन नहीं है, आप ले लो।

सरकार अपनी जगह को मॉर्गेज करने के लिए नहीं आती है, बैंक मॉर्गेज करने के लिए नहीं आता है, यह मेरी जगह है। I cannot develop it. मॉर्गेज के लिए बैंक नहीं आता है, यह ठीक है कि आपने आदिवासियों की सुरक्षा के लिए सब किया है, लेकिन यह जगह सरकार क्यों ले रही है। हाईवे बनाने के लिए आपको जगह चाहिए तो आदिवासियों की जमीन के ऊपर से हाईवे ले चलो, वापस तो कुछ मिलने वाला नहीं है।

अभी कुछ दिनों पहले माइनिंग डिपार्टमेंट ने न्यूज पेपर में एक नोटिफिकेशन निकाला है कि कुछ माइनिंग ब्लॉक है, they are available for auction. बालडा बॉक्साइड का एक माइनिंग ब्लॉक है, जो पोडांगी में है, उसके ऑक्शन के लिए इनविटेशन कर रहे हैं। आपको पता है, बालडा क्या है? हम लोग पूजा करते हैं, उस जंगल और पहाड़ में हम लोग पूजा करते हैं। आप ऑक्शन करेंगे, आपने किसी से पूछा?

वहां एक फैक्ट्री बनी है, हम लोग डेवलपमेंट के विरोध में नहीं हैं, उत्कल एल्यूमिनियम, रायागड़ा जिले में एक फैक्ट्री बनी है, डिकॉलैंड और डिमूढ़ी दो छोटी-छोटी जगह हैं, 100 घर की बस्ती है, They are not willing to take that land. उसके आसपास हर जगह फैक्ट्री है, We fought against it. आरडीसी मीटिंग और हर जगह फाइट की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आप डिसप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। नाल्को ने हजारों एकड़ जमीन आदिवासी बच्चों की ली।

आपको पता है कि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा कि एक नौकरी देंगे। 45 साल में वह आदमी ने नौकरी ली और दो साल में उसका देहांत हो गया। उसके बाद, उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिली और उसकी जमीन भी चली गयी।

सर, ये लोग बोलते हैं पोलावरम डैम भी चाहिए। आपको पता है कि वह डैम लेंगे तो क्या होगा? हम आदिवासी लोग मारे जाएंगे। हजारों आदिवासी सबमर्ज हो जाएंगे। देश में ये सब चल रहा है।

अभी इन लोगों का जितना इंटरवेंशन चल रहा है, ये सरकार पिछले आठ सालों से कोशिश कर रही है कि कैसे बाईपास करके आएं। The Government is bringing amendments to various Acts. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 में अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं। माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, 1957 में भी अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं। ये कुछ नहीं है। ये कोशिश करते हैं कि कैसे पेसा एक्ट को बाईपास करें। आप केवल बड़ी-बड़ी बातें करते हैं।

तेन्दू पत्ता, आपको पता है कि उस पर कितना जीएसटी है? उस पर 18 परसेंट जीएसटी है। जो तेंदू पत्ता प्लकर्स हैं, वे जंगल में जाकर तेंदू पत्ता उठाते हैं और बेचते हैं। आप उसमें 18 परसेंट जीएसटी लगा रहे हैं। यह तो शुक्र है कि छत्तीसगढ़ सरकार एक बस्ते का 4000 रुपये दे रही है, बाकी जगह तो 1200 रुपये और 800 रुपये का रेट चल रहा है। यदि आप आदिवासी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले उसे कम कीजिए।

एक और बहुत बड़ी चीज है। urbanisation of Scheduled Areas. The Fifth Schedule of the Constitution mandates laws separate from the Panchayati Raj Act and the Nagarpalika Act to administer villages and towns in tribal-dominated areas. पार्लियामेंट ने पेसा एक्ट लागू किया है। इसमें बहुत सारे राज्य हैं, जिन्होंने अपने यहां इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। कुछ स्टेट्स ने किया है। लेकिन, एक बहुत बड़ी चीज रह गई है। वह अर्बन ट्राइबल एरियाज है। यदि आप शेड्यूल्ड-5 एरिया, शेड्यूल्ड-5 डिस्ट्रिक्ट्स और म्युनिसिपैलिटीज देखेंगे तो उसमें न म्युनिसिपैलिटी एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया मेसा, 2001 बिल अभी तक इनैक्टेड नहीं है। माननीय मंत्री जी अभी नहीं हैं। यहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि साढ़े तीन साल हो गए, लेकिन कोई भी ऐसे ट्राइबल बिल में मैं एब्सेंट नहीं हुआ, भले ही हमें बोलने का मौका न मिला हो। लेकिन, मैं बार-बार यही बोलता आ रहा हूं कि यदि

आप कोई बिल लाना चाहते हैं, कोई ट्राइबल बिल लाना चाहते हैं तो आप यह लेकर आइए कि हम आदिवासी लोग क्या हैं? हम लोग कैसे जी रहे हैं और हमारी क्या समस्याएं हैं? आप एक बिल तमिलनाडु का और एक बिल हिमाचल प्रदेश का लेकर आते हैं । You should bring a comprehensive Bill. खत्म कर दीजिए सब कुछ । जिस-जिस को बनना है, वह बनेगा और जिसको नहीं करना है, उसको नहीं करना है। But they are trivialising the whole thing. आप इस पर्टिकुलर बिल में देखेंगे they are giving ST status to Hatti community. जो एससी हैं, उनको छोड़ दीजिए। एसटी, एससी बिल्कुल अलग-अलग हैं।

Let me tell you very categorically that the Scheduled Tribes and Scheduled Castes are very different from each other. आप इसको क्लब करके एक साथ नहीं कर सकते हैं।

इन्होंने प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप हटा दी । उसमें स्टेटमेंट था कि एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी सभी को हटा दिया और मंत्री जी कह रहे हैं कि 10 लाख आदिवासी लोग पढ़ रहे हैं।

सर, मैं आपको बताता हूं कि अभी एजुकेशन में क्या हो रहा है? एजुकेशन में जितने भी छोटे-छोटे स्कूल हैं, उनको क्लब करके बंद किया जा रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भारत सरकार, they are giving subsidy, grants. हजारों-करोड़ रुपये की देते हैं, ताकि प्राइवेट स्कूल ही करें। The funny thing is, जिन लोगों ने नियमगिरी में वेदांता कंपनी का विरोध किया, Vedanta is sponsoring a private tribal school in some other city. वह बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। एसपी और कलैक्टर बोल रहे हैं, उनमें 100 आदिवासी बच्चे हैं। क्या ये इनडायरेक्टली नहीं घुस रहे हैं? नियमगिरी का जो आदिवासी है, will he not get affected? एजुकेशन का दायित्व किसका है। क्या यह सरकार का नहीं है? क्या वे लोग प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ेंगे? यह बहुत गंभीर चीज है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन, मैं ट्राइबल मिनिस्ट्री से आग्रह करना चाहता हूं। जब मैं पार्लियामेंट से बाहर था, इलेक्टेड होने से पहले, मुझे लगा था कि कोई बड़ी बात है। कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या है, क्या नहीं है, क्या होगा, टू-थर्ड मेजोरिटी, अभी हम देख रहे हैं

कि कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। आप डिबेट को देखिए। हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं कि आदिवासी क्या है और क्या नहीं है? केवल ऐसे ही बिल पास हो रहा है। लगातार एक के बाद एक बिल पास हो रहा है। आप एक बिल लेकर आइए। हम उस पर चर्चा करेंगे।

मेरी ओडिशा के बारे में कुछ डिमांड्स हैं। निशिकांत जी ने बहुत ठीक बोला कि यदि एक आदिवासी एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाए तो क्या आदिवासी होना बंद हो जाएगा? क्या रिजर्वेशन देने का यही मतलब है कि हम मेन स्ट्रीम में घुसें?

सर, एक झोड़िया ट्राइब है। काशीपुर में झोड़िया नहीं है, लेकिन नबरंगपुर में झोड़िया है। कालाहांडी में झोड़िया है, लेकिन काशीपुर में झोड़िया नहीं है। उसके कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं। राज्य सरकार ने बहुत कुछ रेक्मेंडेशन्स भेजी हैं।

महोदय, मैं ओडिशा के परिप्रेक्ष्य में कुछ बोलना चाहता हूं। वर्ष 2014 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। उसमें यह बोला गया था कि ओडिशा की जो लिस्ट है, वह लेकर आइए। उसमें कुछ एसटी कम्युनिटीज़ को ट्राइबल स्टेटस देने की बात हुई थी, जिसमें inclusion of Bhanja Puran/Tamadia/Tamudia/Tamaria/Tamuria Puran/Puran communities in the ST List, and also, inclusion of Bhagata/Bhukta/Bhogta or Bhokta; Durua; Kalanga; Nakasia; Paba; Khandayat Bhuyan; Tamudia or Tamadia; Chapua Kamar; Kandhia in the ST List.

महोदय, इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण है, वह Kandha Kumbhar है, जिसको शामिल करने की बात थी। फिर Jhodia है, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं कई बार इसको उठा चुका हूं। मैं कम से कम सात बार इस ट्राइब के विषय को उठा चुका हूं। Jodia, Jhodia, Jadia, Jhadia as a synonym of Jhodia Paroja and a sub-section of Paroja/Parja/Parja tribe at Sl. No. 55 of ST List of Odisha.

मैं इसके लिए भी अमेंडमेंट लाया था, लेकिन मेरा अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया कि यह आउट ऑफ स्कोप है। यह तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का बिल है, आप ओडिशा

को नहीं ला सकते हैं, तो फिर इसको कहां रखेंगे? आप बताइए कि क्या करें? अगर एक एमपी होने के नाते मैं अपने इलाके की समस्या नहीं बताऊंगा, तो मैं क्या करूं? आप इसको कब लेकर आएंगे? इसके साथ ही साथ Durua, Dhurua and Dhurava should be included as phonetic variations. Dora करके एक ट्राइब है। इन सब चीजों को करना पड़ेगा।

महोदय, हम लोग वहां के मूल वासी हैं। आप पहले तो हम लोगों के जंगलों में घुसे थे, जहां-जहां माइनिंग है, बॉक्साइट्स है, आप वहीं जा रहे हैं। आप सिर्फ यह दिखाने के लिए आ रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। यह नहीं होगा। मैं सिर्फ इस सरकार को ही नहीं, बल्कि हर एक सरकार से बोल रहा हूं कि जब तक ऑल राउंड डेवलेपमेंट नहीं होगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जल, जमीन, जंगल ये सब हमारा है। हम 75 सालों में इतने आगे नहीं पहुंचे हैं। मैं अपनी ट्राइब का पहला कंप्यूटर इंजीनियर हूं। बड़ी अजबी-सी बात है। मुझे गर्व नहीं हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि अभी तक यह कैसे हो रहा है।

महोदय, मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूं कि हमें सिर्फ आरक्षण नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहता हूं कि हमें अधिकार चाहिए। आदिवासी समाज से जो 47 सांसद यहां चुनकर आए हैं, आप उनको यह मौका दीजिए। हम चर्चा करते हैं, इस सदन में हम आदिवसी समाज के लोग चर्चा करते हैं। हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मैं यह बोलकर अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ओडिशा का बिल भी जल्दी लाइएगा। हम लोग इसका बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब ओडिशा का बिल आएगा। जो डिजर्विंग हैं, उनको आदिवासी की मान्यता मिल जाएगी, मैं इसके लिए आपसे अनुरोध करता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश कश्यप (शिमला) : सभापति महोदय, जिला सिरमौर का जो हाटी समुदाय है, उसको जनजाति का दर्जा देने के लिए जो यह संविधान (अनूसचित जनजातियां) आदेश, (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 लाया गया है, मैं इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, जिला सिरमौर मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है । लंबे समय से जो हाटी समुदाय है, उसकी यह मांग है कि इसको जनजाति का दर्जा दिया जाए। सन् 1967 में उत्तराखंड जो उस समय उत्तर प्रदेश में था, उसका जौनसार बावर का जो क्षेत्र था, जो कि इस क्षेत्र के साथ लगता है, यह जिला सिरमौर के गिरी पार्क का क्षेत्र है। उसको जनजाति का दर्जा दे दिया गया था। जबकि ये एरिया और उत्तराखंड का जौनसार बावर का जो एरिया था, वह कभी एक ही रियासत का हिस्सा हुआ करते थे।

उत्तराखंड का जौनसार बावर क्षेत्र जो जौनसारी समुदाय का था, उसको जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश का जो गिरी पार्क का क्षेत्र था, वहां की जो हाटी कम्युनिटी है, हाटी अर्थात् हाट या बाजार में यहां के लोग अपनी कृषि उपज को बेचने के लिए जाते थे और अपनी जरूरत का जो रोजमर्रा का सामान था, उसको लाने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाते थे। वह लेकर आते थे। उनको हाटी कहा जाने लगा। ये जो हाटी समुदाय था, जिसमें जिला सिरमौर की चार विधानसभा क्षेत्रों की 155 पंचायतें और 4 डेवलेपमेंट ब्लॉक्स आते हैं।

वहां के जो लोग थे, उनकी लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी कि उनको भी जौनसारी की तर्ज पर रिजर्वेशन दिया जाए। चूँकि जब रियासत काल समाप्त हुआ तो कुछ एरियाज़ उत्तराखण्ड में चले गए और कुछ एरियाज़ हिमाचल में रह गए, जिससे एक भाई उत्तराखण्ड में चला गया और दूसरा भाई हिमाचल में रह गया, जबकि दोनों के रिति-रिवाज, खान-पान तथा वेशभूषा एक समान हैं। एक भाई जनजातीय हो गया तो दूसरा भाई ऐसे ही रह गया। ऐसे समय में हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी इस मांग को लगातार सरकार के समक्ष रखा। समय-समय पर रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भी भेजी गई।

सन् 1995 में केन्द्र सरकार को रिपोर्ट भेजी गई। वर्ष 2006 में भेजी गई। वर्ष 2017 में भेजी गई, लेकिन हर बार इसमें कोई न कोई कमी रह जाती थी। आज वर्तमान सरकार ने ट्राइबल स्टडीज़

के लिए एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना करके एक सम्पूर्ण रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी और उसके उपरांत आरजेआई के द्वारा हाटी कम्युनिटी को रजिस्टर किया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की स्टडीज़ के बाद कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी मिली और आज यह विषय इस सदन में आया है।

मैं समझता हूँ कि लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी। वहां के लोग जौनसार बावर क्षेत्र की तर्ज पर इसकी मांग कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि यह मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार के सामने है, जो कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है।

अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। सभी लोगों का विकास हो सके, उस दृष्टि से यह सरकार काम करते हुए, यहां के लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखा गया है। इस डिमांड को पूरा करते हुए कि यहां के लोगों को जनजातीय समुदाय का दर्जा दिया जाए, उस दृष्टि से इस बिल को लाया गया है।

सभापति जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि एक पहाड़ी राज्य है। यहां जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और वहां के पांगी और भरमौर क्षेत्र में भी जनजातीय लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रदेशभर के अन्य जिलों में भी इनकी काफी संख्या है। प्रदेश में कुल जहां 70 लाख की पाप्युलेशन है, उसमें एसटी की पाप्युलेशन 3 लाख 92 हजार है। यह कुल जनसंख्या का लगभग 5.89 प्रतिशत है। अभी जो बिल लाया गया है, इसके बाद यहां 1 लाख 60 हजार लोगों को जनजातीय वर्ग का फायदा मिलेगा। अर्थात यह संख्या बढ़कर 5 लाख 52 हजार हो जाएगी। यह कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत के लगभग होगा।

मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति की संख्या इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे प्रदेश में लगभग 17 लाख 29 हजार है, कुल जनसंख्या का लगभग 25.19 प्रतिशत है। वहीं इस क्षेत्र में भी इनकी संख्या भारी मात्रा में है और इस बिल में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जहां जनजातीय क्षेत्र का लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। वहीं जो

अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, वे मांग कर रहे थे कि हम लोगों को अनुसूचित जाति में ही रखा जाए, मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और अपने जनजातीय मंत्रालय के मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा है और उनको एक्सक्लूड किया गया है। उनको उसी प्रकार से अनुसूचित वर्ग में ही रखा जाएगा, ताकि रिजर्वेशन के लाभ उनको उसी प्रकार से मिलते रहें। यहां के हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित किया गया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। हाटी कम्युनिटी को जनजातीय वर्ग में शामिल किया गया है और जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उनको अनुसूचित जाति वर्ग में ही रखा गया है।

कुल मिलाकर मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि हर वर्ग का ध्यान इस बिल में रखा गया है। मैं इस बिल को लाने के लिए माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा। हमारी हाटी कम्यूनिटी को जनजाति का दर्जा मिल रहा है, उसका मैं अभिनन्दन करता हूं। साथ ही माननीय मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि जब इसके लिए रूल्स फ्रेम किए जाएं, उस समय सभी जातियों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। उसमें चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं या जिला सिरमौर में जो हमारे गुज्जर भाई हैं, हर वर्ग की भावनाओं का ध्यान रखा जाए, ताकि सभी को आने वाले समय में इसका लाभ मिल सके। इतनी बात करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH) : Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022.

I rise to speak on behalf of my Party, the All India Trinamool Congress. It is a welcome Bill. The Hattee community of Himachal Pradesh will be benefited by this amendment. देर आए, दुरुस्त आए - काफी सालों से यह बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था। सिरमौर जिले की हाटी कम्यूनिटी की यह बहुत पुरानी मांग थी कि इन लोगों को एसटी कम्यूनिटीज में इनक्लूड किया जाए। आज यह किया जा रहा है। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में बोलने के लिए यहां खड़े हुए हैं। आज हम लोग देश की आज़ादी का 75वां वर्ष सेलेब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जब अंग्रेजों की बन्दूकों से लड़ने का टाइम आया था, तब बंगाल के संथाल आदिवासी लोग डरे नहीं, वे लोग डटकर खड़े रहे और अंग्रेजों को भगाने के लिए अगर पहली बार किसी ने तीर उठाया था तो वे हमारे बंगाल के संथाल आदिवासी लोग थे। इसलिए आदिवासियों को कोई कभी कमजोर न समझे, पिछड़ी हुई जातियों को कोई कमजोर न समझे, क्योंकि हम लोग नेचर से जुड़े हुए हैं। मैं एक एससी परिवार से आकर इस जगह पर खड़ी हूं। मैंने देखा है कि मेरे पिताजी ने किस तरह से संघर्ष करके हमारी दोनों बहनों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया और हमारे परिवार में हम लोग सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़े। यह गर्व की बात है। मैं चाहती हूं कि हमारे एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों के लोग हमेशा एजुकेशन के फील्ड में हमेशा आगे बढ़-चढ़कर भाग लें और इसके लिए हमेशा सरकार को बढ़कर आगे आना पड़ेगा। आज सिरमौर जिले में जो 78 प्रतिशत लिटरेसी रेट है। वर्ष 2011 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में 57 प्रतिशत ट्राइबल पापुलेशन है और हाटी कम्यूनिटी के लोगों की संख्या 1.6 लाख है। हिमाचल प्रदेश की हाटी कम्यूनिटी जिस ट्रांस गिरी रीजन को बिलॉंग करती है, जिसके बगल से गिरी नदी बहती है, यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहां के जो जनजातिय लोग हैं, जो पब्लिक वहां रहती है, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर उनकी मेन इकोनोमी है। यह भी सोचा जाए कि अगर हम इनको इनक्लूड कर रहे हैं तो हम किस

तरह से इनकी लाइवलीहुड को अपलिफ्ट कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि देश में किसानों की क्या हालत है, इसलिए इस हिली एरिया में लोगों को हर तरह की सुविधा मिले, यह देखें। मैं इस इलाके में खुद एक बार गई थी, तब मैंने देखा कि यहां रोड्स की बहुत ज्यादा प्राब्लम है और नदी के ऊपर जो छोटे-छोटे ब्रिजेज या कल्वर्ट्स हैं, उनकी अच्छी सिचुएशन नहीं है। इसलिए वहां पर रोड कनेक्टिविटी और कम्यूनिकेशन एक बहुत बड़ी प्राब्लम है, इसे देखना चाहिए। विदेशों से काफी पर्यटक यहां आते हैं। इस रीजन में कई रिलीजियस-स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं और काफी रिलीजियस-स्पिरिचुअल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। वहां बहुत अच्छी लेक है, रेणुका लेक है, शिवालिक फॉसिल पार्क्स है। इन चीजों पर सरकार ज्यादा ध्यान दे, ताकि टूरिज्म बूस्ट-अप हो सके।

हम लोग यहां की जनजाति को जगह दे रहे हैं, ताकि उन लोगों की भी इकोनॉमिक सिचुएशन बूस्ट अप हो सके। हमें यह देखना पड़ेगा। जब भी आज हम इण्डिया के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ट्राइबल स्ट्राइक करता है, लेकिन साथ-साथ यह भी स्ट्राइक करता है कि ट्राइबल लोग कितनी भुखमरी और लैक ऑफ एजुकेशन से जूझ रहे हैं। इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए।

सर, गवर्नमेंट ने 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए हैं, जिनका इसके पहले मंत्री जी ने जवाब दिया है। क्या असल में ये स्कूल्स सेट अप हुए हैं? अगर हुए हैं तो वहां पर फैकल्टी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में यह पॉइंट आउट हुआ है कि बहुत सारे एकलव्य स्कूल्स अभी तक फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जैसे बिहार, मेघालय, जम्मू और कश्मीर आदि। हम लोग चाहते हैं कि यहां जो जनजाति के बच्चे हैं, जो सही में मेन स्रोत में आना चाहते हैं, वे आएं। मुझसे पहले कांग्रेस के स्पीकर सप्तगिरी जी ने बोला है कि वह फर्स्ट इंजीनियर ग्रेजुएट हैं। यह गर्व की बात है। लेकिन, साथ ही साथ उन्होंने अपना दुख भी जताया है। एकलव्य स्कूल्स, जो अभी तक बिहार, मेघालय, जम्मू और कश्मीर में फंक्शनल नहीं हुए हैं, यह बहुत जरूरी है कि इस चीज़ पर ध्यान आकर्षण किया जाए, ताकि इस बिल को जिस मंशा से गवर्नमेंट लेकर आई है, उसके अनुसार

यहां के बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकें। वहां दूर-दराज तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंचे, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी।

हम लोगों ने देखा है कि किस तरह फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत how 36,000 land titles had been distributed in 2019 and the BJP-ruled States like Bihar, Uttarakhand and Goa were the worst performers. जो भी हो, अभी बिहार नहीं है, लेकिन उस टाइम में था। According to NITI Aayog, the allocation for the welfare of SCs and STs should be proportionate to their population. लेकिन ईयर आफ्टर ईयर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह यह बजटरी एलोकेशन रिड्यूस हो रहा है। यह गैप देखा जा रहा है कि 40 हजार करोड़ से 9 हजार करोड़ for SCs/STs as per NITI Aayog report. यह मेरी बात नहीं है। जो सेंट्रल सर्विसेज में अनफिल्ड वैकेंसीज हैं, वे हर साल बढ़ती जा रही हैं। आप देखिए कि वैकेंसीज घटने के बजाय, वैकेंसीज बढ़ती जा रही हैं। अगर हम किसी को मूल स्रोत में ला रहे हैं तो साथ-साथ यह भी सोचना पड़ेगा कि हम उसको किस तरह सर्वाइव करने के लिए रखें, क्योंकि हम लोग हमेशा अच्छे से अच्छा चाहते हैं। हमें यह भी देखना पड़ेगा।

According to the Government data relating to the backlog of SC/ST vacancies, there were 8,223 vacancies for SCs and 6,951 vacancies for STs in 2016. And it has been increased to 14,363 for SCs and 12,612 for STs in 2019. अब यह सोचने वाला विषय है। हम किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन जो मूल समस्या है, उसे हम लोगों को इस पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, चाहे हम इस साइड में रहें या उस साइड में रहें, क्योंकि यह देश का मामला है। वैकेंसीज जल्द से जल्द फिल अप होनी चाहिए।

The Government should approve the pending proposal for granting reservation to several other castes, the proposals for which have been sent by the States to the Ministry of Social Justice and Empower and the Ministry of Tribal Affairs.

सर, एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हमारे बंगाल में हमारी मुख्य मंत्री ने सिदो-कान्हू-बिरसा यूनिवर्सिटी स्थापित की है, जहां पर इस कम्युनिटी की फर्स्ट लेडी पोस्ट ग्रेजुएट रमनिता शबर हैं। यह यूनिवर्सिटी हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री जी ने सेट अप की थी। इस यूनिवर्सिटी में हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स की डिमाण्ड कर रहे हैं, क्योंकि यह झारग्राम-पुरुलिया के इलाके में है। आज हम लोग फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी टीम नहीं है। हमारे ट्राइबल बेस्ड लड़की-लड़के के अंदर यह स्टैमिना है और यह पोटेंशियल है। हम लोग क्यों इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? अगर हम यूनिवर्सिटी के साथ-साथ स्पोर्ट्स का भी ध्यान रखते हैं और इसके साथ-साथ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो यहां के जो आदिवासी खेल-कूद में आगे हैं, ये लोग अपने आपको देश को रेप्रेजेंट करेंगे और अपनी कम्युनिटी को रेप्रेजेंट करेंगे। यह सोचने वाली बात है। एससी/एसटी की पेंशन हमारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दे रही है। इसके साथ-साथ हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल्ड कास्ट एडवाइजरी काउंसिल सेट अप की गई है।

जो अभी तक इंडिया की किसी भी स्टेट में सेट-अप नहीं किया गया है। अगर हम लोग सही में एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो उन लोगों को फाइनैंशियल सपोर्ट देना जरूरी है।

बंगाल में चाय बगान हैं। वर्ष 2014 से ही 'चाय' ने बहुत महत्वपूर्ण जगह ले ली है। दार्जिलिंग में 238 चाय बगान हैं। जितने भी श्रमिक चाय बगान में काम कर रहे हैं, वे झारखंड से आकर वहां पर बसे हुए हैं और काम कर रहे हैं। आज उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार इस चीज पर ध्यान दें। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनको स्पेशल फाइनैंशियल पैकेज मिलना चाहिए। बंगाल के चाय बगान के श्रमिक प्रोविडेंट फंड के लिए रो रहे हैं, अगर सरकार सही में यह चाहती है कि उन लोगों का अच्छा होना चाहिए तो इन चीजों पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, यहां की रोड फैसिलिटीज और हेल्थ फैसिलिटीज को दूर-दराज ग्रामीण इलाके और हिल्ली एरियाज में भी प्रोवाइड कराना चाहिए। उन लोगों को सभी चीजों की सुविधा मिलनी चाहिए, यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH) : Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on one of the finest Bills brought about by the hon. Minister.

शुरू में मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। आज ऐसे पांच-छ: बिल्स आए हैं। हर बार उठ कर बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ट्राइबल फील्ड में एक सोशल वर्कर के रूप में 25-30 सालों से काम करता रहा हूं। मैं वहां जा कर उनके साथ दिवाली मनाता हूं, उनकी एजुकेशन में मदद करता हूं। मुझे ध्यान में आया कि आज जो हमारे देश में वंचित लोग है, आदिवासी लोग हैं, ये वंचित किस लिए हैं? परमपूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए। आज हम ने उनके लिए एक दरवाजा खोला है। एक रास्ता बना देते हैं कि इस मार्ग पर चलो, लेकिन आप चुनाव को छोड़ कर उसके क्या परिणाम अपेक्षित करते हैं? हमारे सामने सिर्फ चुनाव रहता है। चुनाव छोड़ कर हम अन्य परिणाम जो अपेक्षित रहते हैं, जो हमारे संविधान के प्रमुख बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, क्या हम उन्हें पा सकते हैं या नहीं, हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज आपने हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी के बगल में रहने वाली हाटी कम्युनिटी को ट्राइब्स में लिया है। मेलघट से एक माननीय सदस्या हैं, वहां पीने के पानी की समस्या है। वहां कोई बच्चा बीमार हुआ, तो हमारे जनप्रतिनिधि वहां गए। वहां के लोगों ने कहा कि आप यह पानी पीकर बताइए। उन्होंने कहा कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। आप यह समझ जाइए कि इतने सालों के बाद भी हम उनको पीने का पानी नहीं दे पाए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि भाषण पर राशन नहीं मिलेगा। हम भाषण करेंगे, लेकिन राशन कैसे मिलेगा, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमें उसकी व्यवस्था करनी है। ठाणे जिला में मोखाडा तहसील है। मैं वहां ज्यादा जाता हूं। जब वहां कुपोषित बालक मरें और उसके बारे में खबर आई, तो हम वहां गए। मैं नंदुरबार, जिले में गया था। वहां एक वैली है, उस वैली में कुछ आदिवासी रहते हैं, जहां सूरजर की किरणें 24 घंटों में एक बार भी नहीं आती है। अब उनका पुनर्वास भी करने की आवश्यकता है। हम जो कुछ भी उनके लिए कर रहे हैं, वे सुविधाएं वहां तक

नहीं पहुंची हैं। गंगा का पानी वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर वहां तक पानी ही नहीं पहुंचेगा, तो वे क्या करेंगे? वहां तक सुविधाएं ही नहीं पहुंची है। ये सब सिर्फ कागज पर रहते हैं। मैंने देखा है कि वहां फॉरेस्ट लैंड है। उसमें वे लोग खेती करते हैं। वहां लड़ाई है, उनको खेती नहीं करने दी जाती है। जो उपज होती है, उसे वे काट कर ले जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से उनका उत्थापन कैसे होगा?

यह एक बड़ी समस्या है। आपने यह शुरू किया, ठीक है, आपने यह अच्छा काम किया। जैसा कि अभी अपरूपा जी कह रही थीं कि उनके पिताजी ने उनको कैसे पढ़ाया। मालन्यूट्रीशन की समस्या है। आज भी आदिवासियों के बच्चे मर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी माएँ भी मालन्यूट्रीशियस हैं। उनके कुछ गलत संस्कार हैं। उनको लगता है कि हेल्दी बच्चा होगा, तो there will be a problem in the delivery.

इस कारण से वे खुद भी अपने को कुपोषित कर लेती है, जिसके कारण बच्चा भी कुपोषित होता है। उसका परिणाम बाद में दिखता ही है। यह एक साइकिल है। इस साइकिल को कैसे दूर करेंगे, यह सबसे बड़ी समस्या है। मेरा कहना है कि do not teach the child to eat the fish but teach the child to catch the fish. हमें उनको सक्षम बनाना है, सबल करना है, न कि अपंग बनाना है। एक सुविधा मिली, एक अवसर मिला, उस अवसर का लाभ कैसे उठाएं, यह भी देखना चाहिए। यदि आर्थिक दृष्टि से उनका विकास नहीं होगा, तो उनको अवसर का लाभ नहीं मिलेगा। उनके पास उत्पादन के क्या साधन हैं? वे खेती नहीं कर सकते हैं, मनरेगा में साल में एक सौ दिन काम होगा, उनके बाकी 265 दिन कैसे बीतेंगे? हम कहेंगे कि उनको सस्ते में अनाज देते हैं, माननीय सोनिया गांधी जी जो बिल लायी थीं, उसकी वजह से उनको पाँच-पाँच किलो अनाज मिलता है, यह सब ठीक है। लेकिन श्रम की कीमत भी कम हुई है। वह सस्ते में मिलने लगा, तो एक दिन काम किया, तो हो गया, उससे पूरे महीने का राशन मिल गया। इस तरह से श्रम की कीमत कम हुई, एजुकेशन की कीमत कम हुई। हमें उनको पढ़ाने में ज्यादा आगे करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि teach the child to catch the fish and to catch the fish, he has to study. उनको पढ़ना पड़ेगा। यदि पढ़ने के चक्कर में काम नहीं हो पाएगा। उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज

कहाँ हैं, आप यह बताएं । शेड्यूल्ड ट्राइब्स बन गए, शेड्यूल्ड कास्ट बन गए, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, रिजर्वेशन कहाँ मिलता है? यह सरकारी उद्यमों में, सरकारी नौकरियों में मिलता है, क्या यह प्राइवेट में मिलता है? वे कहाँ जाएंगे? हम सारी कम्पनियाँ बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर्स को बेच रहे हैं। जहाँ पर उनको जॉब मिलने का एक अवसर है, वह भी निकल गया, तो क्या वे राजनीति करेंगे? यह भी तो आपको सोचना पड़ेगा।

हम स्टैंड अप और स्टार्ट अप की बात कहते हैं, आप मुम्बई शहर में जाओ, मैं 'दिशा' कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैं पूछता रहता हूँ कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया। जवाब मिलता है कुछ नहीं। वे पाटन वगैरह का उदाहरण बता देते हैं, ठीक है, जहाँ मिला, तो मिला, बाकी किधर है, बाकी सारे इससे वंचित हैं । इसलिए क्या उनको स्टार्ट अप, स्टैंड अप में खड़ा कर सकते हैं या नहीं, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा।

मैं बिल का तो स्वागत करता हूँ, लेकिन अभी और भी बिल्स हैं, जैसे कर्नाटक का है। वहाँ आपने क्या किया?

हमारे यहाँ एक जाति है, जिसके कारण 'धनगर' और 'धनगड़' की लड़ाई चल रही है । वह केवल एक 'शब्द' की लड़ाई है। उसी का सिनोनिम है, उसी की तरह उच्चारण होने वाली एक दूसरी जाति है, उसको हम लोग समावेश कर रहे हैं, आप क्यों 'धनगर' को इसमें नहीं करते हैं?

हमारे यहाँ मराठा समाज ने जो लड़ाई की, उन लोगों ने शांतिपूर्ण आन्दोलन किया । ऐसा क्यों हुआ? वह समाज तो उच्चस्तर का है, लेकिन वे क्यों आन्दोलन कर रहे हैं? उसका कारण बेरोज़गारी की समस्या है । यदि इनको रोज़गार नहीं मिलेगा, तो हम उनके लिए कैसे रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, यह भी देखना है।

आप बैंकों से पूछिए, आप क्या करते हो, इनको क्या-क्या दिया है, तो आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं दिया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जैसे आप यह बिल लाए हैं, बाकी बिल्स भी हैं, मैं दोबारा हर बिल के लिए खड़ा नहीं रहूँगा।

इसलिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि Betta-Kuruba as a synonym of Kadu Kuruba. उसी तरह से, Dhangar is a synonym of Dhangad. यह क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग कर सकते हैं, तो यह काम होना चाहिए।

मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में सोचिए। क्या हम उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थोड़ी-सी जमीन दे सकते हैं? पाँच एकड़ या दो एकड़ या एक एकड़, जो भी हो। आप उनको कहें कि आप किसानी करो, खेती करो, उससे उत्पादन करके उनका जीवन चलेगा। अगर आप इन सारी चीजों को करेंगे, इस बिल को लाने में राजनीति नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक उत्थान की बात है।

मैं एक आखिरी सुझाव देता हूँ। हर राज्य के प्रमुखों की एक मीटिंग ले लें। आप उनसे कहें कि आप अपनी एक कमेटी बनाएं और एक बार बता दें कि कितनी जातियाँ हैं। आंकड़ों की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि किसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत कम संख्या होगी, किसी में ज्यादा होगी, तो कम संख्या वालों को हम क्यों वंचित रखेंगे, उनको भी लेना है, तो आप एक ही बार ले लीजिए और इसको समाप्त कीजिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का है, यदि इस तरह से एक-एक राज्य का करेंगे, उससे अच्छा होगा कि आप एक ही बार सारे राज्यों से पूछ लें ताकि इस समस्या का निराकरण मूल से हो जाए, पूर्णत: हो जाए। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूँ।

धन्यवाद । जय हिन्द।

17.00 hrs

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU) : Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity. I support the Bill which seeks to include the Hattee community of Trans Giri area of Sirmour district in the list of Scheduled Tribes in Himachal Pradesh. This move will ensure that the benefits of ST reservation are extended to them, and they also progress in terms of getting Government jobs and access to other eligible schemes. I would like to take this opportunity to raise certain issues faced by the SC/ST Communities which also need to be addressed by the Government of India.

Sir, the hon. Minister has already told about the pre-matric scholarship. I would like to highlight some issues. There is a lack of adequate pre-matric scholarships. The number of pre-matric scholarships given by the Government for reducing SC/ST students from dropping out before class 9th and 10th has constantly been reducing. This is a big issue. Either the Government of India is not allocating sufficient funds for disbursal as scholarships to SC/ST students or the existing funds are being under-utilized. Hence, I would suggest the Government of India to investigate this matter, allocate sufficient funds for scholarships, and wherever needed, make the process of applying for scholarships easy and simple. The pre-matric scholarship amount for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students, as per the guidelines issued by Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Tribal Affairs, is Rs. 225 per month for day scholars and Rs. 525 for hostellers for 10 months in a year. This is very inadequate, especially when India is seeing an inflation of around 7

per cent. The scholarship amount also needs timely revision. Further, only an amount of Rs. 750 to Rs. 1000 is disbursed under this scheme for books and other necessities per year. This is also grossly inadequate and needs to be revised at least two-fold.

In order to be eligible for SC/ST students to avail benefits under the schemes extended by the Government of India, the parents' income should be less than Rs. 2.5 lakh. This amount is very less; hence, it should be raised. If a student from the Economically Weaker Section category can claim benefits if the parents' income is less than Rs. 8 lakh, why is the limit set at Rs. 2.5 lakh for SC/ST students? It is illogical.

Even the OBC category has a much higher limit of Rs. 6 lakh per annum in order to avail benefits. Hence, I urge the Government of India to increase this limit to Rs. 8 lakh per annum for the SC/ST students which is in line with what is being extended to the students under the EWS category. Also, many Group 'C' posts such as driver and cleaner are being given to outsourced staff, which has reduced Government recruitment. This recruitment under the outsourced/contractual category does not follow the rules of reservation for SCs/STs. This is against the provisions of the Constitution of India which provide for reservation. Hence, I demand that the reservation for SCs and STs needs to be mandated even for the contractual and outsourced jobs in the Government. Also, there is a need to allocate more budget to the Ministry of Social Justice and Empowerment as well as to the Ministry of Tribal Affairs. Sir, now, I come to the issues relating to my Parliamentary Constituency. In my Parliamentary

Constituency, majority of the people are tribals and also, we have different languages and different cultures. In order to encourage development of tribals, the Project Approval Board of Samagra Shiksha has approved a sum of Rs. 3.686 crore for supporting mother tongue-based education in tribal areas, covering 36,811 students.

The amount is sanctioned for improving the learning outcomes of tribal children. The amount is used for translation work of tribal books, TLM, capacity building of the teachers, etc. The guidelines mention only about the funds to be spent for the above purpose. But I would like to bring to the notice of this House that there is a need to allocate funds to pay for volunteers to be engaged in translation work. The main requirement arises because, especially in our tribal culture, we have a lot of different dialects and translation is required to be done in all the dialects. The provision of engaging tribal volunteers was not approved in the PAB in the year 2021-22 under the Samagra Shiksha Scheme, and so, the issue of increasing the honorarium of volunteers did not arise.

It is requested to the Government that for supporting the *matra bhasha,* indigenous language programme, every year, Rs.4 crore is required for my district. It is requested to the Board to approve honorarium to the volunteers in this category. There are 721 volunteers. The PAB of the Samagra Shiksha, as a nodal agency, can be informed to take a decision on it.

In this regard, I would like to request the hon. Minister to allocate sufficient budget to develop the tribal students of my constituency.

We also have one issue. The main motive of PMAY-(G) has been to provide housing for all by 2022 in the rural areas. The scheme aims at providing a *pucca* house with basic amenities to all the houseless people living in *kutcha* and dilapidated houses, by 2022.

In my Parliamentary Constituency, after a survey, the village level volunteers identified the eligible beneficiaries numbering 68,431 for sanction of new houses in the surveyed area, and out of these beneficiaries, only 13,975 were covered in PMAY waitlist, and allotted 17,899 houses during the year 2021-22. The leftover beneficiaries of 46,000 are waiting for the sanction of new houses as they are living in the *kutcha,* dilapidated and tiled houses and they are not covered in the Awaas waitlist of PMAY (G) for sanction of new houses.

According to the PMAY-Awaas Plus, if any house has been given any benefit under the previous scheme, the person is not eligible. In my Parliamentary Constituency of Araku, earlier, there was a provision of giving tiles and Rs.30,000 to the tribal people for constructing houses.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

KUMARI GODDETI MADHAVI: Please give me two minutes more.

These houses were constructed 20 years earlier and they are in a very bad condition. I would like to request the Government to look into the matter and make available the benefits of the PMAY – Awaas Plus to the remaining 46,000 beneficiaries who are not able to take the benefit because they had received the benefits earlier under the Indiramma Scheme 20 years back. I also request the Government to make necessary amendment in the rules so that the poor and

the deserving tribal people in my Parliamentary Constituency can avail the benefits of the PMAY-Awaas Plus, and their cases should not be rejected just because they had taken benefits 20 years back. I would request the Minister to consider all my requests. One final request is that as you all know, my constituency is a tribal constituency. Everyone is telling here about the lack of education and the need for providing good healthcare in these areas. I request the Central Government and also all the States to conduct awareness camps in all these areas. Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

KUMARI CHANDRANI MURMU (KEONJHAR): Thank you, Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022.

Sir, Scheduled Tribes have been defined in clause (25) of article 366 of the Constitution as "such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution." The first list of Scheduled Tribes was notified in respect of various States and Union territories vide the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

Sir, this Bill seeks to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Himachal Pradesh. The Bill includes the Hattee Community of Trans Giri area of Sirmaur district in the list of Scheduled in Himachal Pradesh.

Sir, on behalf of my party Biju Janta Dal, I welcome this Bill. This Bill expands the possibility of inclusion of more tribes and sub-tribes under Scheduled Tribes category, which will definitely ensure their development. The tribes in India form an important part of the total population. It represents an element in Indian society which is integrated with the culture of our civilization. The tribal population of India constitutes nearly eight per cent of the total population.

There are a number of tribes in India spread over different parts at different levels of socio-economic development. It is essential to connect them with the mainstream society. Tribes in India face a lot of difficulties such as

poverty, economical and technological backwardness, lack of basic education and healthcare system. Moreover, geographical isolation and illiteracy among the tribals come in the way of development of these communities. At times, tribals face discrimination and exploitation.

Sir, it is very crucial for us to recognize the fact that the tribal communities still need the constitutional status of STs, SCs and assistance under specific programmes to preserve their culture, language and upliftment of their livelihood to ensure their advancement and social justice.

Odisha being the third largest tribal populated State in the country, the Government of Odisha, with the approval of the Tribal Advisory Council, has recommended more than 160 communities of the State to the Ministry of Tribal Affairs, Government of India for their inclusion in the ST list of the State. Among these some are new entries. Some others are sub-tribes, synonyms and phonetic variations of the existing ST communities residing in different parts of the State. They are being deprived of the benefits availed by other ST communities, though they have the same tribal chrematistics as their respective notified STs.

Sir, particularly nine communities of Odisha have been recommended for inclusion in the ST list of the State on priority basis, such as – Bhokta, Durua, Kalanga, Nakasia, Paba, Khandayat Bhuyan, Tamudia, Chapua Kamar and Kandhia. But no clarity has been provided on the progress of these proposals so far. Similarly, two particularly vulnerable tribal group communities such as

Chukutia Bhunjia and Paudi Bhuyan have not been included as yet in the Scheduled Tribe list.

Sir, the hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji through letter dated 19th February, 2021 has also suggested that a quadripartite Committee may be set up including the representatives of the Ministry of Tribal Affairs, Registrar General of India, Anthropological Survey of India and the Government of Odisha for further deliberations on the matter.

Sir, in 2014, a task force under the Ministry of Tribal Affairs had recommended nine proposals to be included in the ST list from Odisha as priority cases. But the same is yet to be decided because of delay in the Presidential Order. Therefore, I would request you to kindly look into these long pending issues and expedite the scheduling of these left out communities to deliver social justice to them in accordance with the provisions of the Constitution of India. This shall go a long way in helping these deprived communities by giving them their much-needed recognition as STs and ensure social justice.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके साथ-साथ बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

समाज में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाली जातियों का विकास, उनको शिक्षा, नौकरी तथा अन्य स्थानों पर आरक्षण देकर उन जातियों का विकास करना है ताकि वे समाज में शिक्षित होकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इससे पहले भी कई बार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में कुछ जातियों को शामिल करने के लिए संविधान संशोधन लाया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस अनुपात में वह मूल रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से पहले जिस वर्ग में हैं, उस वर्ग से उसका उतना अनुपात घटाकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में जोड़ा जाये। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर सरकार की कार्यशैली को आपके समक्ष बतलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय विकास परिषद की 51वीं बैठक, जो 27 जून 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्गों का समाजिक आर्थिक, शैक्षणिक इत्यादि क्षेत्रों में विकास करके 10 वर्ष के अन्दर ही इन वर्गों को सामान्य वर्गों के समकक्ष लाया जायेगा। इस पारित किये प्रस्ताव को लागू करने के लिए तत्कालीन नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने देश की सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के विकास के लिए योजनाएं बनाकर 10 वर्षों के अन्दर-अन्दर सामान्य वर्गों के बराबर लाया जाये तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्कालीन नीति आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा दिनांक 31.10.2005 को सरकारी आदेश सहित दिशानिर्देश जारी किये गये थे कि बजट की धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी की सामान अनुपातिक धनराशि अनुसूचित जाति के आवंटित माइनर कोड 789 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित माइनर कोड 796 में रखी जायेगी। यह धनराशि न

ही डाइवर्टेबल होगी और न ही लैप्सेबल होगी। मुझे दुख के साथ इस सदन को बतलाना पड़ रहा है कि उस नीति आयोग के आदेश को भी राज्य सरकारों ने नहीं माना, जिससे दोनों वर्गों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का विकास होना संभव नहीं हो पाया। जो धनराशि इन वर्गों के विकास के लिए आरक्षित की गई थी, उस धनराशि का उपयोग अनेक दूसरी योजनाओं में डाइवर्ट करके किया गया। साथ ही इसका जमकर दुरुपयोग भी हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल एक हजार परास्नातक छात्रों को छात्रवृत्ति देती है, जबकि इन वर्गों के छात्रों की संख्या कई हजारों में है। इसी प्रकार डॉक्टरेट करने वाले केवल दो हजार छात्रों को ही यूजीसी के माध्यम से नेशनल छात्रवृत्ति दी जाती है, जबकि डॉक्टरेट करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 10 हजार होती है।

सरकार यह जरूर सोचे और बताये कि एक हजार परास्नातक छात्रों का चयन और डॉक्टरेट करने वाले दो हजार छात्रों का चयन किन मापदण्डों के आधार पर किया जाता है। अत: छात्र अपना चयन कराने हेतु अनैतिक कदाचार का सहारा लेते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के विकास के लिए 2005 से आवंटित बजट का पूर्ण सदुपयोग न होना यह दर्शाता है कि 86 हजार करोड रूपया भारत सरकार के खजाने में अनस्पेंड पड़ा है। सरकार से मेरी मॉग है कि यदि वास्तव में वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का विकास धरातल पर चाहती है तो इन वर्गों के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य के लिए पहल करें। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार के खाते में अनस्पेंड पड़े 86 हजार करोड़ रूपये से देश के समग्र जिलों में एक-एक अम्बेडकर नवोदय विद्यालय की स्थापना हो और उस विद्यालय में संविधान सम्मत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग छात्रों के लिए 22.5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण नौकरी की तरह ही किया जाये। इतना ही नहीं, प्रत्येक राज्य सरकारें उद्यमों और उद्योगों के विकास के लिए अलग-अलग स्थानों पर विशेष औद्योगिक एरिया का विकास करती है।

इस औद्योगिक एरिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए भूखंड संविधान सम्मत आरक्षण के मुताबिक आरक्षित किया जाय और इनमें उद्योग स्थापित करने वाले

लोगों को बिना किसी कोलेटरल गारंटी के दिया जाय, जिससे इनका आर्थिक विकास भी संभव हो सके। मुस्लिम समाज में जो गुर्जर लोग हैं, जो एसटी में आते हैं, उन्हें भी पूरे देश में, मेरी नगीना लोक सभा में भी ये लोग हैं, ये लोग जम्मू-कश्मीर और पूरे देश में बसे हैं, उनको भी इसका लाभ मिला, क्योंकि इन जातियों ने संघर्ष करके इस देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया) : सभापति महोदय, मैं इस अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक को एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह मानता हूं। सब प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी हैं। मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गौड़ नाम की एक जाति रहती है और उसमें से कुछ सोनभद्र, मिर्जापुर, छत्तीसगढ़ के इलाके में, भदोही, प्रयोगराज में रहती हैं। वे लोग वनवासी क्षेत्रों में रहते हैं, वे अलग तरह के हैं। गौड़ जाति के लोग बलिया, गाजीपुर, बस्ती, देवरिया और गोरखपुर में रहते हैं। वह बोझा ढोने का काम करते हैं, जंगलों में लकड़ी काटने का काम करते हैं, पत्ता बटोरने का काम करते हैं। वह बड़ी बहादुर जाति है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे बलिया में बहुत से ऐसे गौड़ जाति के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी की थी और बड़ी बहादुरी के साथ भागीदारी की थी। गौड़ जाति के लोग भी अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं, जो अभी तक पिछड़े वर्ग में थे। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी उससे सहमत है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी छोटी-छोटी जातियों का काम के अनुसार कैसे जीवन विकास ऊपर उठ सकता है, जो परम्पराओं से जुड़े हुए लोग हैं। गौड़ जातियों के साथ कई परंपराएं जुड़ी हुई हैं। वह गांवों-गांवों में कई परंपराओं के साथ लोकनृत्य करते हैं, जिसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में गौड़ाऊ नृत्य कहते हैं। वह शंकर विवाह, राम विवाह और लोक परंपराओं के लोकनृत्य आदि करके अपना जीवन-यापन करते हैं। वह गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं। मैं भारत सरकार के मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सरकार की सुविधाएं उनको जरूर मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सारी सुविधाएं यथासम्भव उपलब्ध भी करवाई हैं। वह सुविधाएं उन तक कैसे पहुंचे, मेरी समझ से सांसद के नेतृत्व में एक कमेटी बलिया, गजीपुर तथा हर जिले में बनाई जाए। गौड़ जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल है, उनको सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं? हमारे पशुपति भाई जानते होंगे कि उनके जिले में भी गौड़ जातियां हैं, जो भड़भूजे का काम करती हैं। भड़भूजे के नाम पर उनको पहले अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया था, वह पिछड़ी जाति में थी। मैं निवेदन करूंगा कि उनको अनूसचित

जनजाति में शामिल कर लिया गया है और उनकी सारी सुविधाएं बहाल हों। भारत सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं उनकी समृद्धि के लिए दी जाती हैं, वहां एक कमेटी निश्चित करके जिले स्तर पर उसकी पहुंच बनाई जाए और जिले के अधिकारी उसमें शामिल हों, क्योंकि उनकी जिले के अफसरों तक पहुंचने की कूबत नहीं है। जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में जब तक उस तरह की व्यवस्था कायम नहीं होगी, तब तक वह उस लाभ से लाभार्थी नहीं बन पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गौड़ जातियां, जो भड़भूजा के नाम से जानी जाती थीं, अभी तक पिछड़ी जाति में थीं, उनको सारी सुविधाएं बहाल करने के लिए जिले में एक समिति बनाई जाए और सांसद उसका नेतृत्व करे तथा उन तक पहुंच बना कर उनको लाभार्थी बनाने की कृपा की जाए। मैं यही निवेदन प्रस्तुत करते हुए अपने निवेदन को पूरा करता हूं।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here in support of this amendment of the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to provide for inclusion of certain communities in the list of Scheduled Tribes.

सर, मैं जिस राज्य से आती हैं, वहां पाँच-सात साल से धनगर, मराठा, लिंकायत और मुस्लिम समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। कल भी जब बिल मैं डिस्कशन हुआ था, तो उसके बारे में मैं बोलीं थीं, क्योंकि धनगर, मराठा, लिंकायत और मुस्लिम समाज के लोगों ने आंदोलन किए। आंदोलन के बाद तब के जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में आरक्षण दे देंगे।

मंत्री जी के आज के जवाब में ऐसा आया है कि सन् 1979 में महाराष्ट्र ने पहली बार धनगर समाज की मांग दिल्ली भेजी थी। तब मिस्टर पवार महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे और सन् 1981 में यह किया गया था। यह सारा मंत्री जी का स्टेटमेंट है, मैं सिर्फ दोहरा रही हूँ, उन्होंने वापस भेज दिया, क्योंकि उसमें टैक्निकल चीजें कुछ कम ज्यादा थीं। लेकिन उसके बाद जब विपक्ष के नेता थे, वर्ष 2013 में उन्होंने कहा था कि अगर वर्ष 2014 में हमारी सरकार आएगी तो हम धनगर समाज को पहले ही कैबिनेट में आरक्षण दे देंगे। सर, 5 साल उनकी सरकार रही। महाराष्ट्र में हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। अगर 5 साल से 52 का हिसाब करें तो 250 कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन धनगर समाज को आरक्षण नहीं मिला। उसके बाद अभी भी उनकी सरकार है और कल महाराष्ट्र के भारतीय जनता पक्ष के सदस्य जब बोल रहे थे, तब उनकी भी यह मांग थी कि यह किया जाए। आज महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है तो दिक्कत कहां है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं मंत्री जी से विनती करूंगी कि धनगर समाज की जो मांग है, मराठा समाज की जो मांग है, मुस्लिम समाज की जो मांग है, कल भी हम इसी तरह के डिसकशन में बात कर रहे थे और इसी तरह के 4-5 बिल्स और हैं। अगर हिमाचल के लिए हो सकता है, तमिलनाडु के लिए हो सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए हो सकता है तो महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हम एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल ला सकते हैं? एक-एक कर के टुकड़े-टुकड़े में एक-एक राज्य के

लिए बिल ला रहे हैं। क्यों न एक बिल पूरे देश के लिए लाया जाए, जहां-जहां से मांग आ रही है। मंत्री महोदय ने जवाब में आज सुबह कहा कि जब महाराष्ट्र से आज सुबह प्रस्ताव आया था तब उन्होंने कमीशन के बारे में बोला था। वर्ष 2019 में जो विपक्ष के नेता थे, वे वर्ष 2014 में मुख्य मंत्री बने और आज वे महाराष्ट्र में उप-मुख्य मंत्री हैं। उन्होंने एक कमीशन बिठाया था, जिसने धनगर समाज की रिक्वॉयरमेंट को रिजैक्ट किया? मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन अखबार में पढ़ा है। मेरे ख्याल से अगर इतना बड़ा समाज मांग कर रहा है तब आपने ऐसा कौन सा सर्वे करवाया है, किसको आपने जिम्मेदारी दी, जिन्होंने यह मांग रिजैक्ट कर दी? मैं महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को, क्योंकि जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि जो-जो मांग आएगी, मैं उस राज्य से बात करूंगा।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगी कि आप कृपया महाराष्ट्र राज्य से बात करें और धनगर समाज का जो प्रपोज़ल सन् 1979 में भेजा गया था, वह सन् 1981 में क्यों वापस गया? उसके बाद महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी, मैं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्रोनोलॉजी आपको बता रही हूं। जो कमिटमेंट था, उसका क्या हुआ? उसके बाद वह जो कमिशन बिठाया गया, उसका रिजैक्शन क्यों आया? क्योंकि इन्होंने किसको दिया कि इतना बड़ा अन्याय, इतने बड़े समाज के साथ किया गया, जो न्याय मांगने की कोशिश कर रहा है, हम सभी उसमें साथ हैं। हरेक पार्टी उसमें साथ है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, सबकी मांग एक है। अगर एक आवाज़ में महाराष्ट्र के सारे पक्ष यह कह रहे हैं कि धनगर समाज को आरक्षण देना चाहिए तो दिक्कत क्या है? आपके पास तो 303 सांसद हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में अभी ईडी सरकार है, ईडी मतलब एकनाथ और देवेंद्र सरकार है। ऐसा वे खुद कहते हैं, मैं उनको ईडी सरकार नहीं कहती हूँ। अगर ईडी सरकार ने कहा है कि यह आरक्षण देना है तो उसकी क्रोनोलॉजी देख कर आप सबको सोचना चाहिए।

सर, मेरी दोस्त माधवी, चंद्राणी मुर्मु और अपरूपा पोद्दार ने जो-जो ट्राइबल्स के इश्यूज़ रेज़ किए हैं, मंत्री जी ने भी जवाब में एकलव्य स्कूल के बारे में कहा है कि स्कूल बड़े बनवाए गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन क्या है? स्कूल सिर्फ बिल्डिंग से नहीं

होता है । उसमें बच्चों को कैसी शिक्षा मिलती है, उससे होता है । राइट टू एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन का विषय हमारा है तो क्यों न इन सारे बच्चों को इंटिग्रेट करें? क्यों ऐसा किया जाना चाहिए कि एक समाज के बच्चे एक ही स्कूल में जाएं? राइट टू एजुकेशन में प्रावधान किया गया है तो क्यों न ये सारे जो बच्चे हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं, उससे ज्यादा शायद पैसा बढ़ा कर दिया जाए । सदस्यों ने नीति आयोग के बारे में जो पहले बोला है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि अपरूपा पोद्दार जी ने सब कहा है कि नीति आयोग कुछ कह रहा है और सरकार कुछ कह रही है । नीति आयोग कह रहा है क इस विभाग का बजट कम हो रहा है, लेकिन मंत्री जी आज के उत्तर में कह रहे थे कि बजट बढ़ा है । नीति आयोग सच कह रहा है या मंत्री जी सच कह रहे हैं, इस बारे में उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए । ट्राइबल्स को मदद की जरूरत है । अरविंद सावंत जी जो कह रहे थे, हमारे यहां भी महाराष्ट्र में नंदूरबार हो, पालघर हो, मेलघाट हो, उनके प्रश्न अलग हैं । ये जो ट्राइबल्स हैं, उनकी महिलाओं के प्रश्न अलग हैं । उनमें एनीमिया का नंबर ज्यादा है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज्यादा हैं । महाराष्ट्र में सारी डिलिवरीज़ इंस्टिट्यूशनलाइज्ड हैं, लेकिन देश में सब जगह इंस्टिट्यूशनलाइज्ड नहीं है तो क्यों न एक इंटिग्रेटिड प्रोग्राम इनके लिए बनाया जाए? यह टोकनज्मि नहीं है कि नाम बदल दिया, उनको एसएसी या एसटी की लिस्ट में डाल दिया, इतने से नहीं होगा सर ।

We have to make a huge social impact of genuinely being good to them, and only providing Budget is not enough. We will have to have an inclusive larger programme.

I appreciate what the Minister was saying. He was very open and honest about what has happened in my State, but it would have been nice if in his reply he had stated about making a comprehensive goal, like ‘five years from now we will make sure that ‘X’ amount of people in the tribal areas are all educated; all their women get equal rights; we will make sure that all their children are

completely out of malnutrition; all the women are out of anaemia'. These are the larger targets.

We cannot just look at tribals in a small way, and I do not think that charity is what they are looking for. They are looking for fair inclusion / rights on merit, and I think that this world is working towards merit. Why can they not also get things? I am saying this because they are citizens of this country and I think that we all owe it to them.

So, I take this opportunity again to request the hon. Minister कि 303 सदस्यों की यहां आपकी इतनी बड़ी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो मराठा समाज, धनगड़ समाज, लिंगायत और मुस्लिम समाज को आरक्षण दिए जाने के बारे में जरूर सोचें। यह आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो का कमिटमेंट है। यह आठ सालों से पेन्डिंग पड़ा है। प्लीज़, उसे पूरा करें ।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद) : सर, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सर, एस.सी./एस.टी. के लिए हम पिछले दस-बीस सालों से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इनका उत्थान हो, इनकी वे-ऑफ-लिविंग ऊपर हो, लेकिन ज़मीनी हक़ीकतें क्या हैं, वह मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं। यहां से हम कानून बनाकर भेजते हैं, बेनिफिट्स भेजते हैं। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि 86,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लेकिन, फील्ड में क्या होता है?

मेरी कंस्टीट्युएन्सी में धनगड़ समाज है। यह समाज जेनरेशन से वहां रहते चले आ रहे हैं। इनके बाप के भी सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं, इनके दादा के सर्टिफिकेट्स भी बने हुए हैं, लेकिन जब बेटा जाता है तो उसका सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस समाज के नहीं हैं। यहां पर कोई धनगड़ समाज नहीं रहता है – ऐसा ऑफिशियली लिख कर दे दिया गया। हम यहां बिल पास करते रहें और बेनिफिट्स के काम करते रहें, लेकिन अगर वे वहां तक पहुंचेगे ही नहीं तो फिर इसका क्या फायदा होगा?

सर, मैं आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं कि गुर्जर समाज, जिसमें मुस्लिम-हिन्दू सब हैं। यह वह समाज है, जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया। इन्होंने गोरिल्ला वॉर की थी। ये जंगलों में रहते हैं और आज भी रहते हैं। ये अंग्रेजों से लड़ते थे, उन्हें मारते थे और फिर जंगलों के अन्दर चले जाते थे। मुस्लिम समाज को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम समाज को बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसके लिए एक क्रिस्टल क्लियर आदेश सरकार की तरफ से अधिकारियों को जाना चाहिए। मुझे माफ कीजिएगा, जो अधिकारी हैं, वे अभी भी वही पुराने मनुवादी सोच के हैं। ऐसे बहुत-से हैं। वे आदेशों का पालन नहीं करते हैं। अगर आदेश क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो फिर वह कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता है। मेरी यह रिक्वेस्ट है कि मुस्लिम समाज के गुर्जरों को भी एस.टी. का बेनिफिट मिले और धनगड़ समाज को जिस तरह से डिप्राइव्ड किया जा रहा है, उसको भी रोका जाए और उन्हें हक़ मिलना चाहिए। आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से यही रिक्वैस्ट है।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): सभापति जी, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन), 2022 पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, दीनदयाल जी की अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन उच्च विचारों के साथ होता है। हमारी सरकार इसको मुख्य रूप से लेती है। दीनदयाल योजना के अन्तर्गत पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है, जो कहीं से भी पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, गरीब है, किसी भी प्रकार से उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, विकास करने का अवसर नहीं मिल रहा है तो उन्हें यह अवसर प्रदान किया जाता है। हमारी सरकार में इस बात पर ध्यान दिया जाता है। इसी के अन्तर्गत जो हमारा आदिवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र और इन पर जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति पर विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है, इसी तरह उनके लिए भी हम एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं और वह महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम उनके लिए चिंतित हैं। हम उनके विकास के लिए अपनी बात कहते हैं। अगर हमारे क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो हम सांसद लोग इस विषय को उठाते हैं।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब अपने-अपने क्षेत्र की बात करते हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले समस्त जातियों की बात करते हैं। आज यह संशोधन लाया गया है। इस तृतीय संशोधन में हम उनको सम्मिलित करने की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ही मैं अपने क्षेत्र का एक विषय कहना चाहती हूँ। भोपाल, सीहोर और रायसेन का हमारा जो रजक/धोबी समाज है, उसको सम्मिलित करने के लिए कहती हूँ। उनको17 प्रदेशों में सम्मिलित किया गया है। यह पिछड़े वर्ग में थे। अभी इनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। परंतु, मध्य प्रदेश में सिर्फ तीन जिले हैं, उन तीन जिलों के अलावा पूरे मध्य प्रेदश में वह पिछड़े वर्ग में आते हैं। इसीलिए, उनकी समस्या खड़ी होती है। जो अनुसूचित जाति में आते हैं, वे कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो पिछड़े वर्ग में माने जाने हैं, कहीं और जाते हैं तो अनुसूचित जाति में माने

जाते हैं। इससे उनका विकास कहीं न कहीं एक तरह से असंतुलित हो रहा है। इसलिए, पूरे मध्य प्रदेश में रजक/धोबी समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। यह मेरा आग्रह है।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगी कि कहीं भी उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके विकास, उनकी उन्नति और सब प्रकार से उनके विकास को देखते हुए, उनको आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर प्रयास करते हैं। हम किसी विशेष जाति के बंधन में नहीं बंधे हैं। जैसे हमारे बंधू मनुवादी के बारे में कह रहे थे। ये मनुवादी लोग कौन है? वह इसे स्पष्ट करें, नहीं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। एक तरफ वह गुर्जर मुस्लिम के बारे में कह रहे हैं और दूसरी तरफ मनुवादी कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? हम किसी जाति के बंधन में नहीं हैं। मैं कहती हूँ कि मेरी परिभाषा विस्तृत है। हमारी 'वसुधैव कुटुम्बकम' की परिभाषा है। हम 'वसुधैव कुटुम्बकम' की परिभाषा को मानते हुए, विश्व को अपना परिवार मानते हैं और उनके निरोगी होने की कामना करते हैं। हमारे भारत में यह भेद नहीं है।

हम इस बात को कहते हैं। मैं इस बात को प्रमाणित करती हूँ कि हम जैसे साधू-संन्यासी कहीं भी जाते हैं, वे आदिवासी-वनवासी क्षेत्रों में जाकर कॉलेज खोलते हैं, हम हॉस्पिटल खोलते हैं, हम सेवा में रत रहते हैं।

महोदय, आप इस बात का भी ज्ञान लीजिए कि उनके पास हमारी योजनाएं पहुंचने में रोड़ा कौन बन रहा है? आज इस रोड़े पर ध्यान दिया जाए। अगर इनको देखा जाए तो ऐसे ही लोग रोड़े बने हुए हैं और उनके पास सुविधाएं नहीं पहुंचने दे रहे हैं। हम उस विषय की बात करते हैं, जो सब के विकास को लेकर चलते हैं, कोई पिछड़ा नहीं रहे, कोई भी किसी प्रकार से वंचित न रहे। सब को बढ़ने का अवसर मिले, सबको पढ़ने का अवसर मिले ।

महोदय, मैं सिर्फ इतना कह कर अपनी बात समाप्त करती हूं?

जो पिछड़े हैं, उन्हें मिलाएं
जो बिछड़े हैं, उन्हें बढ़ाएं
जो नहीं हुआ, वो शुरू कराएं
भारत को विश्व गुरु बनाएं

भारत माता की जय !

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आज संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश तीसरा संशोधन विधेयक, 2022 पर चर्चा हो रही है और उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, आरक्षण संविधान प्रदत हक है और आरक्षण उन तमाम वंचित वर्ग को मिले, जो उसके हकदार हैं। आरक्षण का वास्तविक लाभ आरक्षण के हकदारों को मिल रहा है अथवा नहीं, इस विषय पर सरकार और सदन को गंभीरता से सोचने की जरुरत है। मेरे से पूर्व विद्वान सांसदों ने पूरी बात को यहाँ पर रखा है।

सभापति महोदय, आजादी का जो आंदोलन हुआ, उसके अंदर जनजाति वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। मेरे राजस्थान के अंदर, 17 नवंबर, 1913 को राजस्थान और गुजरात की जहाँ सीमा लगती है, वहाँ पर बांसवाड़ा के मानगढ़ में, जालियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, उससे भी बड़ी घटना हुई थी। वहाँ 1500 आदिवासियों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया था। देश के आदिवासी भाइयों का वहाँ पर बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। उस शहादत से देश को प्रेरणा मिलती है। विगत दिनों प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे। उन्होंने आदिवासी और सर्व समाज की माँग को पूरा करने की बात की। वे लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिले। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के आदिवासी भाइयों का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था।

महोदय, मैं पुन: इस माँग को दोहराऊंगा कि राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और उनसे बड़ी उम्मीद थी। आज पूरा देश उम्मीद की नजर से इस बात को देख रहा है।

सभापति महोदय, आधी से ज्यादा आदिवासियों की सीटें पूरे देश के अंदर हर महकमे के अंदर खाली हैं। जो बजट एसटी को आबंटित होता है, वह यूटिलाइज नहीं होता है। 90 हजार करोड़ रुपये का बजट पिछले बीस सालों के अंदर लैप्स हो गया। … (व्यवधान) कांग्रेस है ही कहां?

यहां कोई है ही नहीं, सभी सीटें खाली हैं। ... (व्यवधान) आप अकेले हैं, इधर आ जाइए। उधर क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

महोदय, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों को न्यायपालिका में उनका हक मिले। केंद्र में ओबीसी से वंचित वर्गों को उनका हक मिले। इसको लेकर मैंने कल सदन के अंदर मांग उठाई थी। आरक्षण को लेकर देश के अंदर बड़े-बड़े आंदोलन हुए। आरक्षण आंदोलनों का दंश देश की जनता ने झेला। इसके अंदर बहुत से समाजों के नौजवान शहीद हुए। आरक्षण के जो बड़े आंदोलन हुए, उसमें राजस्थान में गुर्जर समाज के भाइयों ने आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन किया। तत्कालीन जो बीजेपी सरकार थी, उसने अधिकार के लिए लड़ रहे गुर्जर भाइयों पर गोलियां बरसाईं। उसमें 72 गुर्जर शहीद हुए। वहीं हरियाणा में जाट समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया।

गुजरात में पाटीदार समाज, आंध्र प्रदेश में कापु समुदाय, महाराष्ट्र में मराठा और लिंगायत आंदोलन हुए। यह बात मैं सदन में इसलिए बोल रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में जो हक देश के गरीब, वंचित और शोषित तबके को दिया, उसे पाने के लिए उन समुदायों को आजादी के दशकों के बाद भी सरकारों से लड़ाई लड़नी पड़ी। सरकार को संविधान की मूल भावना को समझने की जरूरत है। प्रधान मंत्री जी को इन्होंने सत्ता में बैठाया है। नौजवान, किसान, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी सबने उन्हें वोट दिया, तब आप दो बार ताकतवर बनकर उभरे। पिछली बार आप एनडीए के सहारे बने। इस बार एनडीए के सहारे ज्यादा सीटें लीं और एनडीए के कई दलों को आपने भेज भी दिया। हम भी उसके अंदर से चले गए।... (व्यवधान) हमारी वजह से आपको भी कई सीटों पर फायदा हुआ था।

मेरा एससी, एसटी और ओबीसी की नौकरियों के संबंध में निवेदन है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के आरक्षित आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं। यही स्थिति केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी है, जो स्वायत्त संस्थान हैं, जहां केंद्र सरकार के भर्ती नियम लागू होते हैं। वर्ष 2021 के अंत में सरकार ने स्वीकार किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग आधे आरक्षित पद खाली पड़े थे। संसद में एक

सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 5,737 पदों में से 2,389 पद खाली हैं। एसटी के लिए संबंधित आंकड़े क्रमश: 3,097 और 1,199 और ओबीसी के लिए 7,815 और 4,251 हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वद्यिालय में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 380 पदों में से 157, एसटी के लिए आरक्षित 180 में से 88 और ओबीसी के लिए आरक्षित 346 में से 231 पद रिक्त हैं। ये आंकड़े आरक्षण के मानदंडों का मजाक उड़ाते हुए अत्यधिक उपेक्षा को दर्शाते हैं। … (व्यवधान) थोड़े समय पहले विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति की 112वीं रिपोर्ट जारी हुई। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि समस्या न केवल केंद्र सरकार के विभागों में आरक्षित पदों पर नियुक्तियों में भारी बैकलॉग है, बल्कि इन पदों को भरने के लिए सरकार की उदासीनता भी है। सरकार के पास खाली आरक्षित पदों पर नजर रखने के लिए कोई एजेंसी या तंत्र नहीं है। रिपोर्ट के मुबाबिक गृह मंत्रालय में भी आरक्षित पदों पर नियुक्तियों का बैकलॉग है। मंत्रालय में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 6,393 पदों में से केवल 1,108 पद भरे गए हैं। इसी तरह, एसटी के लिए आरक्षित 3,524 पदों में से केवल 466 पद भरे हुए हैं। ओबीसी के लिए आरक्षित 6,610 पदों में से केवल 717 पद भरे गए हैं।… (व्यवधान) यह तब हो रहा है जब सरकार दावा करती है कि "सबका साथ, सबका विकास" उसका आदर्श वाक्य है। यदि आरक्षित पद अभी भी खाली पड़े हैं, तो यह सरकार की ओर से इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है। इसलिए मेरी मांग है कि केंद्र सरकार बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को उनके संविधान प्रदत्त हक प्रदान करने में गंभीरता दिखाए। राजस्थान के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के नौजवान भाइयों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, वे कम कैसे हों? आप इसके लिए कुछ करिए। धन्यवाद।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती) : सभापति महोदय, संवैधानिक शेड्यूल्ड ट्राइब्स थर्ड अमेंडमेंट बिल, 2022 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम यह बिल ला रहे हैं और थर्ड अमेंडमेंट कर रहे हैं। दूसरी जातियों की मांग बहुत सालों से थी, ये एसटी में थे, उनको फिर से एसटी में लाकर न्याय देने का काम हमारी मंडिमंडल कर रही है, उसके लिए मैं मंत्री जी को दिल से बहुत धन्यवाद करती हूं। शेड्यूल ट्राइब्स के जितने भी कलीग यहां बोले, सभी ने अपने-अपने क्षेत्र या राज्यों के ट्राइब्स क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाई-बहनों की समस्याओं के बारे में बताया। हम भी जहां से आते हैं, मेरे क्षेत्र के एक विधान सभा क्षेत्र में शेड्यूल्ड भाई-बहन रहते हैं। पिछले कई वर्षों से वहां बहुत सारी समस्याएं हैं। मनरेगा का भी उल्लेख किया गया। मनरेगा में क्या काम हुआ है, उनके हाथ बांध दिए गए। उसको कमजोर बनाया गया है। अगर पूरे विदर्भ में सबसे ज्यादा मनरेगा में कहीं काम हुआ है तो मेरे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में हुआ है, एक-एक महीने में शेड्यूल ट्राइब एरिया में रहने वाले लोग वहां पर काम करते हैं, उनको मिनिमम 100 डेज का काम दिया गया है। मैं मंत्रिमंडल और सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें साल में मिनिमम 200-250 डेज काम देना चाहिए। वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालन्यूट्रिशन और स्किल सेल है। वहां पर जो लोग रहते हैं, उनको इन सब चीजों की बड़ी समस्या है। वहां हॉस्पिटल की कहीं कोई सुविधा नहीं है, उस सुविधा को देना बहुत जरूरी है। जब गर्भवती डिलीवरी करती हैं या कोई इमर्जेंसी केस होता है तो 150 किलोमीटर अमरावती जाना पड़ता है। अगर बीच में कोई दुर्घटना हो जाती है, कई बार माता और बच्चे की डेथ हो जाती है। ऐसी जगहों पर उन्हें हॉस्पिटल की फेसिलिटी देना बहुत जरूरी है।

आज भी मेरे क्षेत्र में मैक्सिमम जगह पर ट्राइबल एरियाज में कनेक्टिविटी नहीं है, टेलीफोन नहीं है, इंटरनेट काम नहीं करता है, अगर 108 पर फोन करेंगे तो एमपी में लग जाता है, ये सब समस्याएं हैं। एजुकेशन की प्रॉब्लम है, चाहे चन्द्रपुर हो या अमरावती में मेलघाट का क्षेत्र हो, जहां-जहां ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल क्षेत्रों में भाषा की भी प्रॉब्लम है। जब वहां पर टीचर्स आते हैं तो ज्यादातर नॉन आदिवासी होते हैं, उनको हमारी भाषा नहीं आती है। हमारे बच्चे उनकी भाषा नहीं

समझते हैं, वे हमारी भाषा नहीं समझते हैं। हमारे बच्चों को अगर जॉब का अवसर देना है, डेढ़ सौ किलोमीटर प्लेन से आदिवासी क्षेत्र में जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं, उनको बहुत कष्ट करना होता है। हमारे आदिवासी बच्चे बीईडी, डीईडी किए हुए हैं, अगर उस क्षेत्र में उनको ही अवसर दिया जाए तो वहां के बच्चों को न भाषा की समस्या होगी न एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी, वे अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, उन्हें राइट देने का काम पंत प्रधान प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं। राइट देने का काम हम लोग कर सकते हैं, छोटे-छोटे इश्यू हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का इश्यू है। हम समर्थन करने के लिए खड़े हैं। आदिवासियों की प्रॉब्लम है, आदिवासी को समाज में लाकर न्याय देने का काम कर रहे हैं, लेकिन वे सुविधाओं से वंचित हैं। उनकी बात यहां पर रखना हमारा कर्तव्य है। मुझे लगता है कि कास्ट सर्टिफिकेट का जो इश्यू है, उन्हें उतनी दूर से आकर डीएम से मिलने में चप्पलें घिस जाती हैं, तब भी उनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। अगर हम छोटी-छोटी प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे तो आदिवासी भाई-बहनों को बहुत न्याय दे पाएंगे।

मंत्री महोदय जी यहां बैठे हैं, जब हम पुनर्वासन की बात करते हैं। पहले तो आदिवासी लोग जंगल छोड़ कर बाहर आने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर वे जंगल छोड़ प्लेन एरिया में आते हैं तो उनको घर छोड़ने का जो मुआवजा देते हैं, वह दस लाख रुपये देते हैं। शहर में 10 लाख रुपये में आज कहीं पर भी रहना बहुत मुश्किल है।

उसके पुनर्वसन के लिए जो राशि होती है, उसको डबल या ट्रिपल करके उन्हें उस चीज की भी सुविधा देनी चाहिए। तब जाकर वे अपना घर, अपना जंगल, अपना प्यार छोड़कर शहरों में आएंगे। हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। मेडिकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। … (व्यवधान) एक मिनट दे दीजिए।

कुछ किसानों के मुद्दे हैं, जो ट्राइबल क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर जितनी भी जगहें होती हैं वे फॉरेस्ट एरिया में आती हैं। उनको वह जगह फॉरेस्ट द्वारा दी गई है कि वे वहां पर अपना बसर करें। फॉरेस्ट विभाग द्वारा ही उनको खेती करने के लिए जगह दी जाती है। लेकिन उन खेतों पर वाइल्ड

एनिमल का इतना प्रभाव रहता है कि बुआई करने के बाद भी उनके हाथ में वह चीज नहीं आती है क्योंकि सारी चीजें वाइल्ड एनिमल खा जाते हैं।

मुझे लगता है कि आपको इन सब चीजों का भी निपटारा करना चाहिए। मंत्रिमंडल ट्राइब को लेकर जो भी बिल लाती है, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए। उन्हें ग्रोथ देने के लिए, पिछले आठ वर्षों में प्राइम मिनिस्टर के मंत्रिमंडल द्वारा और प्राइम मिनिस्टर द्वारा जितना दिया जा सकता था, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा आप लोग दे रहे हैं।

लेकिन, कुछ छोटे-छोटे इश्यूज हैं। अगर उसके लिए भी आपने सपोर्ट दे दिया तो हमारे आदिवासी भाई-बहनों की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मंत्रिमंडल ने 4-जी के लिए पहले भी मेरे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया है। यदि कनेक्टिविटी के लिए कुछ सोर्स करेंगे तो मुझे लगता है उनको बहुत जल्द कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, those who have spoken yesterday, should not repeat the same points today.

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Thank you very much, Sir. History is witness to the contribution and sacrifices of the tribal communities to our nation building. But it is also a fact that tribal communities are still deprived of equality and justice on several aspects.

Since 2014, several efforts have been taken under the vision of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi *ji* to ensure the upliftment of tribal communities across our nation. Thanks to our NDA Government, we now have the pride and privilege of having hon. Shrimati Draupadi Murmu *ji,* the first member of a tribal community to ever represent the highest Office of the President of India. I wish to submit a key representation for the consideration of the Government, that is with regard to the demand for reservation for Dalits and Adivasis in the private sector. As per the 2011 Census, the population of the Scheduled Castes was 16.6 per cent and the Scheduled Tribes was 8.6 per cent in the 121 crore Indian population. Together, they form a quarter of the total population of our nation. However, a total of only 1,27,973 persons from SC/ST community were given employment as a part of affirmative action by apex industry Associations namely CII, FICCI and ASSOCHAM as on 30th September, 2018. In the light of the words of our hon. Prime Minister back in 2015, and I quote “India will prosper when our tribal communities prosper”, it is my humble submission that the Government should consider reservation to SC/ST communities in all private sector jobs to help in furthering their prosperity.

Reservation in private sector can be given by an executive order as clarified in OMs of the Government. However, to give constitutional sanctity, I request the hon. Minister, through you, to propose a suitable amendment or legislation in this regard. Also, I would like to request the hon. Minister to consider the setting up of a Tribal Museum in Tamil Nadu.

While concluding my speech, I express my confidence that this Bill will help the Hattee community to prosper further in their enclaves.

Thank you very much.

SHRI INDRA HANG SUBBA (SIKKIM): Thank you, Chairperson, Sir. I stand to support this Bill on behalf of Sikkim Krantikari Morcha party. I am a lone Member from Sikkim. I would like to bring to the notice of the hon. Minister that even in Sikkim – just like the communities who have been recently included in the list of Scheduled Tribes – 12 communities are yet to get listed in the list of Scheduled Tribes.

17.54 hrs. (Hon. Speaker *in the Chair*)

When Sikkim was merged in the Union of India in 1975, out of three major communities, two major communities, Bhutia and Lepcha, were included as Scheduled Tribes in 1978 itself. Later on, in 2003, both Limboo and Tamang communities were included in the list of Scheduled Tribes. However, there are still 12 communities who share a similar kind of tribal trait with the rest of the tribal communities in Sikkim. They have been demanding, and the Government of Sikkim, time and again, has been apprising the Government of India about this issue. These 12 communities are yet to get their share as Scheduled Tribes

in the Constitution of India. So, I would like to request the hon. Minister that this issue must be addressed to bring justice to those who have been left out after the merger of our State.

Sikkim is a small State. We do not have a large population. All the communities living there share similar socio-economic conditions. I would also like to bring to the notice of the House that just to enlist a particular community in the List of Scheduled Tribes in the Constitution of India does not mean giving justice in terms of the socio-economic condition of a community. It is also important that the identity of these communities is taken into account. Policies must be framed to protect their identity as far as possible.

In various parts of the country which have the Scheduled Tribe population, specifically in Sikkim, a number of languages are being spoken by different tribal communities. The Government of India must have a policy to preserve and develop these languages. They should promote these languages in the regional universities. These languages should be developed for the future generations. Gradually, tribal languages and dialects are becoming endangered. Along with the socio-economic development of the Scheduled Tribe communities, their oral history, language, and dialect must also be protected.

On behalf of the Sikkim Krantikari Morcha Party, I support this Bill. Thank you very much.

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हाटी समुदाय को एसटी कम्युनिटी में शामिल करने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं आपके समक्ष पंजाब केसरी (हिमाचल प्रदेश) की एक न्यूज रखना चाहता हूं। राजगढ़ में गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की एक रैली थी। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदया को एक मेमोरेंडम दिया था। उसमें लिखा था कि गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा सोमवार को नेहरू मैदान (राजगढ़) में एक महारैली का आयोजन किया गया था। उसमें प्रदेश भर के 12 संगठनों के अनुसूचित जाति के पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। बैठक में वक्ताओं ने गिरिपार क्षेत्र में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने के विरोध में हाटियों को काल्पनिक करार देते हुए यह कहा है कि प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा गलत रिपोर्ट देकर प्रभावशाली लोगों को जनजाति घोषित करने की साजिश की जा रही है। जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति/जनजातीय नियम/अधिनियम और पंचायतों में आरक्षण के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में हाटी समुदाय बन जाने से अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति निर्बल वर्ग को मिलने वाला आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक्चुअली सच्चाई क्या है? इससे पहले इन लोगों ने मेरे पास आकर यह कहा था, एक्चुअली जो हाटी कम्युनिटी है, वह काल्पनिक कम्युनिटी है। जो पहले हाटी थे, उनको दर्जा दे दिया गया था। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में नायक और ओझा को गोंड समुदाय के साथ लिस्ट में लाया गया है। वहां के लोग बोलते हैं कि ये लोग ब्राह्मण जाति के हैं। मुझे मंत्री जी से यह पूछना है कि अगर ये लोग ब्राह्मण हैं, तो हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोगों को यही डर है कि सरकार हमारे अधिकार को समाप्त कर रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर सरकार हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएगी, तो हम क्या करेंगे?

18.00hrs.

आज की डेट में सारे देश में, मैं जिस-जिस भी स्टेट में गया, चाहे वह राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो या ओडिशा हो, वहां वे लोग मुझसे यही पूछते हैं कि हमारे जो अधिकार हैं, क्या उनको खत्म कर दिया जाएगा? इस सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई भी नई जाति, चाहे वह आदिवासी जनजाति में शामिल होने के लिए आए या अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए आए, उसे हमें आरक्षण में लाना चाहिए और उसके लिए अलग से बजटरी प्रोविजन भी लाना चाहिए। असम में दो तरह के ट्राइब्स क्षेत्र हैं। एक हिल ट्राइब्स क्षेत्र है और दूसरा प्लेन ट्राइब्स क्षेत्र है।

हिल वाले को हिल में रिजर्वेशन मिलता है और प्लेन वाले को प्लेन में रिजर्वेशन मिलता है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये लोग 100 प्रतिशत आरक्षण के तहत आएं। हमें किसी को भी इससे वंचित नहीं करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री नव कुमार सरनीया: सर, मैं जाते-जाते सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे आदिवासी, एससी और पिछड़े लोग जो इलाहबाद सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, वे लोग 100 दिनों से वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। वहां की कुलपति को गलत तरीके से नियुक्त किया गया है। उन्होंने आते ही वहां की फीस को 4 गुना तक बढ़ा दिया है। अगर फीस 20 हजार रुपये है तो वह आज 80 हजार रुपये हो गई है।

वहां पर स्टूडेंट्स ने कहा है कि अगर ऐसे चलेगा तो हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस विषय पर विचार करे। इनकी यूनियन को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी सपोर्ट किया है तथा जेएनयू ने भी सपोर्ट किया है।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 16, 2022/Agrahayana 25, 1944 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)